खण्ड-161, अंक-3
बुधवार, 16 अग्रहायण, शक संवत् 1877
(7 दिसम्बर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 161 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE LIBRARY
UTTAR PRADESH
2 MAY 1956

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ७ दिसम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुहूनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फज़लुल हक, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री

भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल बैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री

राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्रदत्त श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर त्रिवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री

लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठोर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ७ दिसम्बर, १६५५

*१-२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[वापस लिये गये।]

ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण-काल में आर्थिक सहायता

*३—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि विकास क्षेत्रों तथा सामूहिक विकास योजनाओं में कार्य करने वाले ग्राम साथियों के शिक्षण-काल में सरकार उनके प्रशिक्षण तथा योजनादि का व्यय स्वयं नहीं देती ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—शिक्षण-काल में ग्राम साथियों को ३० रु० प्रतिमास छात्रवृत्ति देने का निश्चय किया गया है।

*४—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—अब तक कितने ग्राम साथी शिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और सरकार को कितने ग्राम साथियों की आवश्यकता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब तक २,८४८ ग्राम सेवक शिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। सन् १६५६-६१ तक लगभग ७,२७० ग्राम सेवकों की आवश्यकता होगी।

बस्ती जिले में पानी पेय जल कूपों के लिये सहायता

*५—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १६५३-५४ तथा सन् १६५४-५५ में बस्ती जिले में तहसीलवार प्लानिंग विभाग की तरफ से कितने पानी पीने के कुओं की स्वीकृति की गई, पूरी सहायता दी गई और कितनों को अधूरी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मांगी गई सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३७ पर)

*६—श्री राजाराम शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह पता है कि ग्रामीणों को ८-१० दफा दफ्तर पर आना-जाना पड़ता है और उन्हें उपर्युक्त सहायता समय पर नहीं मिलती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अनुदान के लिये प्रार्थियों को साधारणतया ३ या ४ बार दफ्तर पर आना होता है क्योंकि जिला नियोजन समिति द्वारा अनुदान की राशि ३ किस्तों में दी जाती है।

*७—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—[६ दिसम्बर, १६५५ के लिये प्रश्न ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बिजनौर जिलान्तर्गत अफजलगढ़ अस्पताल के प्रान्तीयकरण की मांग

*८—श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिजनौर जिले के अन्तर्गत अफजल गढ़ कस्बे में स्थित जिला बोर्ड के अस्पताल को राजकोय करने का प्रश्न बहुत दिनों से उसके विचाराधीन है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ५-६ श्री मथुरा प्रसाद पांडेय ने पूछे।

*९—यदि हां, तो सरकार कब तक उपर्युक्त अस्पताल को राजकीय कर लेने का विचार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कदाचित माननीय सदस्य महोदय का मतलब अफजलगढ़ के अस्पताल से है। वहां की नोटीफाइड एरिया कमेटी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने प्रान्तीयकरण के बाद अपना मौजूदा खर्च देना मंजूर नहीं किया। इसलिये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है।

इटावा जिलान्तर्गत औषधालयों पर व्यय

*१०—श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्तर्गत कितने राजकीय चिकित्सालय एलोपैथिक व आयुर्वेदिक हैं ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—

एलोपैथिक	.. ..	१
आयुर्वेदिक व यूनानी	.. ..	८

*११—श्री मिहरबान सिंह—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३–५४ व १९५४–५५ में कितना रुपया उक्त एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालयों पर सरकार ने दवाओं में व्यय किया है ?

श्री बनारसीदास—

सन्	एलोपैथिक	आयुर्वेदिक व यूनानी
१९५३–५४ ..	२१,६५६ रु०	४,४०० रु०
१९५४–५५ ..	(प्रतिवर्ष)	(प्रतिवर्ष)

श्री मिहरबान सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो राजकीय चिकित्सालय हैं उनके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह के जो चिकित्सालय हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट कुछ धन खर्च करती है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, ऐसा है कि कुछ सबसीडाइज्ड डिसपेंसरीज होती हैं उनमें से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की तरफ से भी चलती हैं, उनको आर्थिक मदद बहुत सी जगह पर दी जाती है।

श्री मिहरबान सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आंकड़े दिये हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चिकित्सालयों का खर्चा भी शामिल है ?

श्री बनारसीदास— जी नहीं।

श्री मिहरबान सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि चिकित्सालयों में दवायें बहुत कम रहती हैं और सीजन वगैरा यानी मलेरिया वगैरा के समय पर भी मामूली दवायें तक नहीं मिलती हैं, तो क्या उसके लिये वह कुछ सोच रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—जी हां, यह सही है कि दवाओं की बहुत कमी रहती है। आम तौर पर यह होता है कि रूरल डिसपेंसरीज पर १,५०० रुपये सालाना खर्च होता है और जिला अस्पतालों पर ४,६७६ रुपये सालाना खर्चा होता है। इस बात के लिये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा दवाओं की व्यवस्था के लिये रुपया दिया जाय।

*१२--श्री भोलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---[४ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।)

लाला लाजपतराय हास्पिटल, कानपुर में टी० बी० वार्ड खोलने का विचार

*१३--श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के ला० लाजपत राय अस्पताल की इमारत बनाने में जिसके टी० बी० वार्ड में लगभग साठ चारपाइयों की इमारत बनाना तय हो चुका है और जिसके लिये बजट में रुपया भी पास हो चुका है क्या दिक्कत है ?

*१४--क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह इमारत जल्द से जल्द कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल में ५० शय्याओं का एक टी० बी० वार्ड बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस वार्ड के लिये रुपया शिक्षक तथा विद्यार्थी फंड, टी० बी० असोसियेशन तथा ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन ने दिया है : आशा है कि यह वार्ड अगले वित्तीय वर्ष में बन कर तैयार हो जायगा।

मिर्जापुर जिले में शिवपुर तथा पचेवरा ग्रामों में चिकित्सालय खोलने का विचार

*१५--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)---क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर चुनार तहसील के शिवपुर और पचेवरा ग्राम की जनता ने अपने ग्राम में चिकित्सालय खोलने के लिये सरकार से प्रार्थना की है ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)--- जी हां।

*१६--श्री राजकुमार शर्मा---क्या यह सही है कि उपर्युक्त ग्रामों में चिकित्सालय खोलने के लिये जिला परामर्शदात्री समिति ने भी सिफारिश की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जी हां। विचाराधीन है।

*१७--श्री राजकुमार शर्मा---क्या यह सही है कि पचेवरा ग्राम की जनता ने आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लिये भवन भी निर्माण कराना प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो क्या वहां अतिशीघ्र चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जी हां।

श्री राजकुमार शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह चिकित्सालय कब तक खुल जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पर विचार किया जायगा।

श्री राजकुमार शर्मा---क्या यह सही है कि अभी हाल में मंत्री जी ने जनवरी में वहां जाने का विचार किया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जी नहीं, इसकी तो कोई सूचना नहीं है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि पथौरा ग्राम का अस्पताल भवन बन कर तैयार हो गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जी हां, वहां पर भवन बन रहा है।

नोट---तारांकित प्रश्न १३-१४ श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा ने पूछे।

अमरोहा हैण्डलूम फैक्टरी में दरियों के कार्य में उन्नति

*१८--श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद)--क्या सरकार को मालूम है कि अमरोहा हैण्डलूम फैक्टरी में जो दरियां बनाई और छापी जा रही हैं उनकी मांग दूसरे प्रदेश और शहरों से रोज ब रोज बढ़ती जा रही है ?

श्री बनारसीदास--जी हां ।

*१९--श्री मुहम्मद तकी हादी--अगर ऐसा है, तो सरकार ने इन दरियों के कारबार को तरक्की देने के लिये क्या तदबीरें सोची हैं ?

श्री बनारसीदास--इन दरियों का उत्पादन एवं क्षेत्र बढ़ा दिया गया है ।

श्री मुहम्मद तकी हादी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र बढ़ने से क्या मतलब है ?

श्री बनारसीदास--पहले यह अमरोहे में ही बनती थीं लेकिन अब रामपुर, सिकन्दराराऊ और इटावा वगैरा में भी बनने लगी हैं ।

श्री मुहम्मद तकी हादी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अमरोहे में उत्पादन ज्यादा नहीं हो सकता था जो और जगह यह काम बढ़ा दिया गया ?

श्री बनारसीदास--बात यह है कि अमरोहे में उत्पादन काफी बढ़ा है लेकिन मांग बढ़ गई है और रामपुर सिकन्दराराऊ तथा इटावा में इस तरह के काम करने वाले कारीगर उपलब्ध हो गये और डिजाइन बना कर दे दिया गया था और लोगों ने उनको बनाया तो उसको कैसे रोक सकते थे । अब सभी जगह आवश्यकता पूरी की जा रही है ।

श्री मोहर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस हैन्डलूम फैक्ट्री का संचालन किस के द्वारा होता है ?

श्री बनारसीदास--यह अमरोहा की फैक्ट्री का जहां तक सवाल है उसका उत्पादन कोआपरेटिव सोसाइटी के द्वारा होता है ।

श्री मोहर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उसको इस सरकार के द्वारा कुछ मदद भी मिलती है ? यदि हां, तो सालाना कितनी ?

श्री बनारसीदास--वैसे तो कोआपरेटिव सोसाइटीज जिस तरह का काम करती हैं उसी तरह से इसने सेल्स डिपो कायम किया है, उसको ग्रांट इन-ऐड भी देते हैं । अगर ऋण की आवश्यकता होती है तो वह भी दिया जाता है । इस वक्त कितना रुपया इसको दिया गया है इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । अगर मांगी जाय तो दी जा सकती है ।

न्यायालयों में प्रयोग होने वाले फार्मों की कमी

*२०--श्री जगदीश सरन (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि सरकारी प्रेस, इलाहाबाद प्रदेश के न्यायालयों में प्रयोग होने वाले फार्मों की मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है जिससे जनता को बड़ी असुविधा हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--न्यायालयों के पदाधिकारियों द्वारा भेजे गये मांग-पत्रों के अनुसार तीन-चौथाई फार्म उन्हें भेज दिये गये हैं । शेष एक-चौथाई फार्म प्रकाशित हो रहे हैं और उनको शीघ्र ही भेज दिया जावेगा ।

---

*नोट--तारांकित प्रश्न २० श्री सुन्दरलाल ने पूंछा ।

गवर्नमेंट खादी योजना के अन्तर्गत स्पिनिंग गाइड ट्रेण्ड व्यक्तियों की नौकरी

*२१—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गवर्नमेंट खादी योजना के अन्तर्गत स्पिनिंग गाइड की ट्रेनिंग प्राप्त कितने युवकों को काम मिल सका और कितने अभी बेकार हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक सरकार को विदित है, खादी योजना के अन्तर्गत स्पिनिंग गाइड की ट्रेनिंग प्राप्त सब व्यक्ति काम पर लग चुके हैं।

*२२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[२१ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में जनाना अस्पताल खोलने का विचार

*२३—श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में कोई चिकित्सालय स्त्रियों के लिये सरकार खोलने वाली है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ६५ स्त्री चिकित्सालय खोलेगी। इन्हीं में से एक स्त्री चिकित्सालय के लिये सैदपुर तहसील भी ध्यान में रखी जायेगी।

मथुरा जिले में प्लानिंग विभाग का व्यय

*२४—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले में प्लानिंग विभाग द्वारा कुल कितना-कितना रुपया सन् १९५४ में किस-किस मद पर खर्च किया गया और कितना हर मद में बच रहा है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ २३८–२४० पर)

मथुरा जिले में विकास कार्यों पर व्यय

*२५—श्री रामहेत सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले की तहसील छाता में सन् ५२–५३ तथा ५३–५४ में कौन-कौन से विकास कार्य किये गये तथा उन पर कितना-कितना खर्च किया गया ?

श्री फूल सिंह—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ २४१ पर)

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १९५३–५४ में जनता द्वारा छाता तहसील में ७८,४५३ रुपये का श्रमदान करने पर केवल २,५१७ रुपया ८ आना ही पंचायत फंड से खर्च किया गया, शासकीय अनुदान से कुछ नहीं खर्च किया गया, ऐसा क्यों ?

श्री फूल सिंह—मिट्टी के जितने काम होते हैं श्रमदान द्वारा, उनमें साधारणतया कोई सहायता नहीं दी जाती, लेकिन जो पुलिया वगैरह के काम होते हैं उनमें सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। माननीय सदस्य वहां की कमेटी के सदस्य हैं, अगर वह चाहेंगे तो उसमें भी उनको सहायता दी जा सकती है।

नोट—तारांकित प्रश्न २१ श्री रामसुन्दर पांडेय ने तथा २३ श्री यमुना सिंह ने पूछा।

श्री रामहेत सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४ में ५०,००० रुपया नियोजन विभाग का प्राप्त होने पर २४,२२८ रुपये १० आने की रकम उसमें से बेकार पड़ी हुई है। उसको खर्च क्यों नहीं किया गया ?

श्री फूल सिंह---यह आंकड़े पूरे साल के नहीं हैं। साल खत्म होने पर मालूम होगा। बहुत से काम बीच में ही अभी पड़े होंगे।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फर नगर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सूची में हरिजनों के मकानों और उनके उत्थान के लिये रुपया बचत में रहा, उसका क्या कारण है ?

श्री फूल सिंह---ऐसा मालूम पड़ता है कि मथुरा जिले में कई मदों में रुपया बाकी पड़ा है और खर्च नहीं हुआ। हम इसकी जांच कर रहे हैं और चाहते हैं कि रुपया खर्च किया जाय।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन मदों में कितना रुपया दिया गया और कितना-कितना रुपया शेष रह गया है खर्च होने से ?

श्री अध्यक्ष---यह तो फेहरिस्त में दे दिया गया है।

श्री रामहेत सिंह---क्या माननय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले के नियोजन अधिकारी के खिलाफ कई बार इस प्रकार की शिकायत की गई है कि जो रकम पड़ी हैं वह खर्च नहीं की जा रही हैं जिसकी वजह से ५ लाख ४५ हजार रुपये में से ३ लाख ३२ हजार रुपये की रकम बेकार पड़ी है ?

श्री फूल सिंह---यह रुपया खर्च नहीं किया गया है, इस किस्म की शिकायत मेरे पास नहीं आई है लेकिन और तरह की शिकायतें उन के संबंध में अवश्य आई थीं।

श्री रामहेत सिंह---क्या माननीय मंत्री जी इसको शिकायत समझ कर इसकी जांच करायेंगे कि यह रकम क्यों नहीं खर्च की गई जबकि जनता की मांग बराबर जारी है ?

श्री फूल सिंह---यह मैं पहले निवेदन कर चुका हूं। मैं उनको लिख रहा हूं कि इस रकम को जल्दी खर्च किया जाय।

राज्य की बन्द चीनी मिलें

*२६---श्री कल्याण चन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रांत में कितनी चीनी मिलें है, जो बन्द पड़ी हैं ?

श्री फूल सिंह---उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में से ४ मिल बन्द पड़ी है जिनमें से बहुत अधिक समय से बन्द हैं।

श्री कल्याण चन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह मिलें किन शहरों में हैं और कितने दिन से बन्द है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---एक भटनी में है और दो इलाहाबाद में झूंसी और नैनी में हैं और एक गोरखपुर के जिले में है।

श्री कल्याण चन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि इन मिलों के बन्द होने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तीन मिलें बहुत जमाने से बन्द हैं। शायद मालिकों में झगड़ा रहा। एक मिल सन् १९४८-४९ से बन्द है। उस भटनी मिल का भी शायद इन्तजाम खराब रहा। उसके जो मालिक थे वह पाकिस्तान चले गये थे। अब कुछ हिस्सेदार रह गये थे उनमें मुकदमा और झगड़ा चल रहा है। इस मिल के नीलाम करने की आज्ञा हो गयी थी और यह नीलाम पर चढ़ भी गयी था फिर कुछ कानूनी अड़चन पड़ गयी इस वजह से यह भटनी मिल नीलाम नहीं हुआ। तीन मिल बहुत जमाने से बन्द पड़ी है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—सरकार इन मिलों के चलाने का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक नैनी मिल का प्रश्न है उसके मालिक तो मुझसे मिलने आये थे। वह हमसे चाहते थे कि उनको १२, १४ लाख रुपया उधार दिया जाय। इस विषय में विभाग में विचार हो रहा है। अभी तक विभाग से मेरे पास कोई उत्तर नहीं आया। दो मिलों की तरफ से हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया कि वह उसको चलाना चाहते हैं और न इस बात का कोई आवेदन आया कि वहां शुगर केन उस मात्रा में पैदा किया जाता है जिस मात्रा में इस मिल के लिए चलाने की आवश्यकता है। इसलिये उन दोनों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। एक के बारे में विभाग से बातचीत चल रही है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उन्नाव चीनी मिल भी बहुत दिनों से बन्द पड़ी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उन्नाव का जो मिल है वह मेरे ख्याल में कुछ चल रहा है। वह गुड़ से चीनी बनाता है। वह कुछ मात्रा में अब भी चल रहा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो मिलें बन्द हैं उन पर कुछ सरकारी ड्यूज भी बाकी हैं, अगर हैं तो कितना ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नूरी शुगर मिल पर कुछ दाम बाकी है। तीन मिलें बहुत जमाने स बन्द हैं। इसलिये मेरे सामने उनके कोई कागजात नहीं आये जिससे मैं यह कह सकूं कि सरकार का कुछ रुपया उन पर बाकी है।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इलाहाबाद में जो नैनी शुगर मिल बन्द है उसको चलाने के लिये सरकार कोई चेष्टा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर अभी दिया जा चुका है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बतलायेगी कि भटनी मिल कब तक नीलाम कर दिया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने बतलाया कि नीलाम की तारीख लग गयी थी और नीलाम में मिल १० लाख रुपये के करीब में खरीद भी लिया गया था लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से आर्डर ले लिये गये और उसका नीलाम करना स्थगित कर दिया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे का फैसला हो जायगा उसके बाद फिर आदेश इसके बेचने के जारी किये जा सकेंगे।

प्रदेश के राष्ट्रीय प्रसार ब्लाक

*२७—श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायेगी कि वह १९५५-५६ में राष्ट्रीय प्रसार ब्लाक कहां-कहां खोल रही है ?

श्री फूल सिंह—२० ब्लाक जिन की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है २ अक्तूबर को खोले जा चुके हैं। २० और ब्लाकों के जनवरी, १९५६ में खुलने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ २४२ पर)

श्री अवधविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले में वह कोई ब्लाक खोल रही है या नहीं ?

श्री फूल सिंह—अभी तक जिन-जिन मिलों में दो-दो ब्लाक खुले हैं उनमें पहले ब्लाक खोलने का विचार है। अब मैं फौरन नहीं कह सकता कि कानपुर उस लिस्ट में है या नहीं।

फर्रुखाबाद की कायमगंज तहसील में फूड प्रिजर्वेशन एण्ड कैनिंग फैक्टरी खोलने के लिए प्रार्थना-पत्र

*२८—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद में आम और फलों के बाग का कितना रकबा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फर्रुखाबाद की कायम गंज तहसील में आम के बागों का क्षेत्रफल ३,००५ एकड़ है और अन्य फलों के बागों का क्षेत्रफल १,६७७ एकड़ है।

*२९—श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)—क्या सरकार यहां Food Preservation and Canning factory कायम करना चाहती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

*३०—श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)—क्या इस संबंध में सरकार के पास कोई Representation आया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। Representation पर उचित कार्यवाही की गई और उसके प्रेषक को सरकार का विचार सूचित कर दिया गया है।

*३१—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[२७ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न ६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

रायबरेली जिले के राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र

*३२—श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले में कुल कितने राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र खुलने वाले हैं और वे कब तक सब खुल जायेंगे ?

श्री फूल सिंह—रायबरेली में २ ब्लाक खुल चुके हैं और एक जनवरी, १९५६ में खोलने का विचार है। सन् १९६०-६१ तक करीब १३ और ब्लाक खोलने का इरादा है।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या सरकार उन तेरह स्थानों के नामों को बताने की कृपा करेगी जहां पर यह क्षेत्र खुलने वाले हैं ?

श्री फूल सिंह—इनकी सूची इस वक्त मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको दे दी जायगी।

*३३—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—[४ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

ज्वालापुर में बांस कुटीर उद्योग-विकास की प्रार्थना

*३४—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार ज्वालापुर में बांस संबंधी कुटीर उद्योग को विकसित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस संबंध में उसकी क्या योजना है ?

श्री बनारसीदास—(अ) फिलहाल नहीं।
(ब) प्रश्न नहीं उठता।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि फिलहाल का अर्थ प्रथम पंचवर्षीय योजना है अथवा द्वितीय पंचवर्षीय योजना ?

श्री बनारसीदास—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बांस, बेंत और पल्प उद्योगों को विकसित करने की व्यवस्था की गयी है और इसके लिये केंद्रीय सरकार से रुपया भी मांगा गया है और आशा है कि आगामी वित्तीय वर्ष में २६ हजार रुपया इस कार्य के लिये रक्खा जायगा। लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो सका है कि किन स्थानों पर इसके सेंटर्स रखे जायेंगे।

देहरादून जिले में सीमेंट, पेपर तथा केमिकल पल्प की फैक्टरियां खोलने पर विचार

*३५—श्री दीनदयालु शास्त्री—पावड़ घास की प्रचुरता को देखते हुये क्या सरकार का विचार लक्सर-देहरादून और हरद्वार-ऋषीकेष रेल लाइन पर कोई पेपर मिल तथा गन्ना मिल खोलने का है ? यदि हां, तो कब और कहां ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सच है कि पिछले माह में जब माननीय मंत्री जी देहरादून गये थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि देहरादून जिले में वे सीमेंट और कागज की मिलें खोलने का विचार कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक कागज की फैक्ट्री के खोलने का विषय है सरकार स्वयं तो इसका कोई इरादा नहीं रखती लेकिन सरकार प्राइवेट सेक्टर में उद्योगपतियों द्वारा कागज का पल्प और केमीकल पल्प तथा रेयन फैक्ट्री देहरादून जिले में खुलवाने के लिये प्रयत्नशील है।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान भारत सरकार के प्रतिरक्षा मंत्री श्री महाबीर त्यागी के बयान की तरफ गया है जिसमें उन्होंने माननीय मंत्री जी के नाम से कहा है कि वे सीमेंट और कागज की मिलें देहरादून में खोलने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने उत्तर में बताया कि देहरादून में सीमेंट की फैक्ट्री के लिये सरकार प्रयत्नशील है। गोला गोकरननाथ शुगर फैक्ट्री के संचालक, श्री नेवटिया ने केंद्रीय सरकार के सामने फैक्ट्री के लिये लाइसेंस प्राप्त करने का आवेदन-पत्र दे रक्खा है। इस आवेदन-पत्र के स्वीकार होने पर सरकार ऋण आदि द्वारा जो कुछ सहायता कर सकेगी, इस उद्योग को चलाने के लिये, वह करने का विचार रखती है। केमीकल पल्प और पेपर फैक्ट्री के चलाने के लिये भी सरकार प्रयत्नशील है। केंद्रीय सरकार ने पेपर फैक्ट्री लगाने के विषय में एक कमेटी नियुक्त की है जिसके आई० जी०, फोरेस्ट सभापति हैं। उनसे कहा गया है कि वे इन प्रश्नों पर विचार करके अपना निर्णय सरकार को बतायें कि किन-किन स्थानों पर कौन-कौन से रिसोरसेज हैं और वहां नयी फैक्टरियां किस-किस चीज की खोली जा सकती हैं। जब इस कमेटी की सिफारिशें सरकार के पास आ जायेंगी तब सरकार इस विषय में अपनी योजना बनायेगी कि कहां पर रेयन फैक्ट्री और कहां पर पल्प फैक्ट्री लगायी जाय।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि देहरादून के अतिरिक्त मिर्जापुर में भी कागज बनाने का सामान मौजूद है और यह कि वहां पर भी उसकी फैक्ट्री खोली जा सकती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कागज की फैक्ट्री बनाने के विषय में कई उद्योगपतियों ने प्रदेशीय सरकार को लिखा है। उन्होंने अपनी योजनायें भी दी हैं। एक योजना में मिर्जापुर जिले में

बांस से पेपर बनाने की योजना है। सरकार इन योजनाओं पर विचार कर रही है। जिन-जिन उद्योगपतियों ने सरकार को इस प्रकार की योजनायें दी हैं वे सरकार से किसी न किसी रूप में सुविधा चाहते हैं। कोई चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उनको घटे हुये दामों पर दी जाय या वे उसके लिये कुछ धनराशि सरकार से चाहते हैं। सरकार इन प्रश्नों पर विचार कर रही है। बहरहाल मिर्जापुर जिले के रिसोर्सेज जहां तक इजाजत दे सकते हैं वहां तक सरकार वहां उद्योग-धंधों को विकसित करना चाहती है।

दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ में एलोपैथिक अस्पताल खोलने में विलम्ब

*३६—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ में एलोपैथिक अस्पताल कब तक खुल जायेगा ?

श्री बनारसीदास—प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कब तक अस्पताल खुल जायगा।

*३७—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अस्पताल के हेतु दोहरीघाट टाउन एरिया ने स्थानीय अफीम की कोठी को किराये पर लेने के लिये सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है ?

श्री बनारसीदास—जी हां।

श्री विश्रामराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन से कारण हैं जिन की वजह से निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वहां कब तक अस्पताल खुल जायगा ?

श्री बनारसीदास—इमारत मिलने की कठिनाई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि प्रश्न ३७ के उत्तर में जो कहा गया है कि अस्पताल के लिये अफीम की कोठी को नागरिकों ने प्रदान कर दिया है ?

श्री बनारसी दास—यह कोठी तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की है और अभी तक वहां के टाउन एरिया ने उसको किराये पर नहीं लिया है, यह बात तो इस वित्तीय वर्ष की है और अगले वर्ष अगर वह मिल गई तो वहां अस्पताल खोला जा सकता है या अगर गवर्नमेंट ने वहां इमारत बनाने का निश्चय किया तो खोला जा सकता है लेकिन जहां तक इस कोठी का सवाल है उसके संबंध में अभी निर्णय नहीं हो पाया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी वहां गये थे तो वहां के टाउन एरिया के अध्यक्ष ने जो स्मृति-पत्र उन्हें दिया था उसके उत्तर में उन्होंने वहां के लोगों को आश्वासन दिया था कि वहां अस्पताल शीघ्र खोला जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह प्रश्न अब भी विचाराधीन है और देरी का सब से बड़ा कारण यह है कि वहां की जिला परामर्शदात्री ने जो सिफारिश भेजी थी वह उसके कुछ विरुद्ध थी इसलिये वहां अस्पताल की व्यवस्था इस वर्ष नहीं हो पाई इसलिये अगले वर्ष अगर वह अफीम की कोठी मिल गई तो वहां अस्पताल खोला जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सही है कि जो सूची अगली पंचवर्षीय योजना में खोले जानेवाले अस्पतालों की हर जिले में भेजी गई है उसके अलावा भी कुछ अस्पताल और इस प्रदेश में खोले जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक अस्पतालों के खोलने का विषय है उनकी संख्या तो निर्धारित कर दी गई है जिस की रूपरेखा भवन के समक्ष रखी जा चुकी है और जिस से सदन परिचित है और जहां तक स्थानों का सवाल है उस विषय में जिलों की प्लानिंग कमेटियां और परामर्शदात्री कमेटियां हैं वह हमारे पास सिफारिश भेजेंगी और उन्हीं के अनुसार हम अपनी योजना में स्थान चुनकर योजना में सम्मिलित करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या जिला प्लानिंग कमेटी से दोहरी घाट में अस्पताल खोलने की कोई सिफारिश सरकार के पास आयी है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अगले वर्ष हम कहां खोल सकेंगे और जिस प्रकार प्लानिंग कमेटियों ने प्राथमिकता दे रखी है उसकी सूचना इस समय हमारे पास नहीं है लेकिन अब कोई तारीख नियत कर दी गई है जिसके अन्दर तक प्लानिंग कमेटियों के प्राथमिकता के निर्णय हमारे पास आ जायेंगे और उसी के अनुसार प्राथमिकता देते हुये अस्पताल खोलने का या खुलवाने का सरकार प्रयत्न करेगी ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार को ज्ञात है कि दोहरीघाट के निवासियों ने इस अस्पताल के निर्माण के लिये धन भी एकत्र कर लिया है और इस विषय में उन्होंने कोई आवेदन-पत्र भेजा है ?

श्री बनारसीदास---वहां के मंडल कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने कहा था कि ५,००० रुपया और एक लाख ईंट वह इमारत के लिये दे सकेंगे ।

*३८-३९---**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)---[४ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

शुगर मिल मुण्डेरवा, जिला बस्ती पर किसानों का बकाया

*४०---**श्री रामलाल** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शुगर मिल, मुन्डेरवा, जिला बस्ती को सन् १९५४-५५ के सीजन में किसानों ने कितना गन्ना सप्लाई किया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---१९५४-५५ सीजन में मुन्डेरवा शुगर मिल को किसानों द्वारा २२,३६,७६८ मन ३० सेर गन्ना सप्लाई किया गया ।

*४१---**श्री रामलाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त मिल में १९५४-५५ का कितना गन्ना का दाम किसानों का बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस मिल के ऊपर १९५४-५५ सीजन के गन्ने के मूल्य का ६६,५६३ रु० १० आ० ९ पाई बकाया है ।

*४२---**श्री रामलाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह उपर्युक्त मिल से किसानों के गन्ने की बाकी रकम के भुगतान के लिये कौन सा उपाय कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---गन्ना आयुक्त ने इस मिल के विरुद्ध उत्तर प्रदेश (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम १९५३ की धारा १७(४) के अनुसार कार्यवाही कर दी है ।

जौनपुर जिले में ग्राम सेवकों की भर्ती

*४३---**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में कुल कितने ग्राम सेवकों की भरती की गई है तथा उसमें कितने अनुसूचित और कितने पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री फूल सिंह---कुल ३० ग्राम सेवकों की भरती की गई है उसमें ४ अनुसूचित और ४ पिछड़ी जाति के हैं ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सेवकों के लिये योग्यता क्या रखी गयी थी ?

श्री फूल सिंह---दसवीं जमाअत पास ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह जो चार पिछड़ी जाति के लोग लिये गये हैं वह शिक्षा विभाग की लिस्ट के अनुसार लिये गये हैं या एम्बाइन्टमेंट विभाग की लिस्ट के अनुसार ?

श्री फूल सिंह---इतना ब्योरा तो हमारे पास नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो इस सवाल का जवाब मंगा कर दिया जा सकता है ।

मिडवाइफरी की ट्रेनिंग में अनुसूचित जाति की महिलायें

*४४---श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष मिडवाइफरी की ट्रेनिंग के लिये किस-किस जिले से कितनी-कितनी महिलाओं का चुनाव किया गया है तथा उनमें कितनी अनुसूचित जाति की महिलायें है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---इस वर्ष ६५ महिलाओं का मिडवाफरी की ट्रेनिंग के लिये चुनाव हुआ। इनमें दो अनुसूचित जाति की महिला भी हैं।

(जिलेवार तालिका संलग्न है)

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २४३ पर)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार, जो दाइयां देहातों में प्रसूतिकार्य करती हैं, उनको अवैध करार देने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी कोई कानून से किन्हीं व्यक्तियों या किन्हीं स्त्रियों को जो इस प्रकार के कार्य में लगी हुई हैं उन्हें अवैध घोषित करने का इरादा नहीं है परन्तु यह इरादा अवश्य है कि इस प्रकार की मिडवाइव्ज शिक्षित कर ली जायं जो कि अशिक्षित हैं और जिन्हें उन तमाम चीजों का ज्ञान और अनुभव नहीं है । ऐसी शिक्षित मिडवाइव्ज को अपने प्रदेश में अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाने का विचार है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतलायेगी कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये कि वे अधिक से अधिक संख्या में इसमें भरती हों सरकार ने उनको शिक्षित करने के लिये कोई प्रयत्न किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अनुसूचित जातियों के लिये यह आदेश तो है ही कि यदि उन्नीस बीस उनकी शिक्षा इत्यादि में अन्तर हो तब भी उनको प्रोत्साहन दिया जाय तथा नौकरी इत्यादि में भी उनको लिया जाय परन्तु यदि अधिक अन्तर हो तो योग्यता के प्रश्न को सामने रख कर अवश्य ही निर्णय करना पड़ता है ।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बतला सकेगी कि मिडवाइफ और हेल्थ विजिटर्स एक ही कैटेगरी में आते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं । दोनों अलग-अलग हैं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मिडवाफरी की ट्रेनिंग के लिये किस शिक्षा की योग्यता की आवश्यकता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो दर्जा ६ पास हों वह इसमें लिये जाते हैं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार बतलावेगी कि इतने बड़े प्रदेश के अन्दर साल में सिर्फ ६५ मिडवाइव्ज की ट्रेनिंग की व्यवस्था क्यों की गई है इससे ज्यादा क्यों नहीं की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब तक तो जिस मात्रा में मैटरनिटी सेन्टर्स खोलते जा रहे थे उस मात्रा को खयाल में रख कर उनकी संख्या को शिक्षित करने का प्रयास किया गया था परन्तु अब द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उनको बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित किया जायगा क्योंकि १६ सौ से अधिक मैटरनिटी सेन्टर्स हम उत्तर प्रदेश में अगली पंच-वर्षीय योजना में खोलेंगे ।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मिड-वाइफ की ट्रेनिंग कितने वर्ष की है और उसका स्टार्ट कितने वेतन से होता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---एक साल । ४५ रुपये से १०० रु० तक ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मिडवाइफ की ट्रेनिंग के लिये कुछ ऐसी महिलायें भी रक्खी गई हैं जो केवल कक्षा ५ पास हैं । ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी नहीं । ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कक्षा ६ से कम की योग्यता की कोई महिला रक्खी गई हो ।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी ने इस पर विचार किया है कि जब तक शिक्षित दाइयां प्राप्त हों उस समय तक जो पुरानी दाइयां हैं उनमें कुछ शिक्षा के प्रचार करने का प्रयत्न किया जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, इसके ट्रेनिंग की व्यवस्था है । हर जिले में दो-दो तीन-तीन ट्रेनिंग के सेंटर्स हैं जहां ऐसी दाइयों को ट्रेनिंग दी जाती है ।

*४५---श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)---[२१ दिसम्बर, १९५५, के लिये स्थगित किया गया ।]

हाथरस राजकीय उत्पादन केन्द्र कटलरी वर्कस के सम्बन्ध में पूछताछ

*४६---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ राजकीय उत्पदान केन्द्र कटलरी वर्क्स के चलाने के लिये कितनी अश्व-शक्ति की कौन-कौन मशीनें लगेंगी और वे इस फैक्टरी को कब तक मिल जायेंगी ?

श्री बनारसीदास---अलीगढ़ में इस प्रकार का कोई केन्द्र खोलने का विचार नहीं है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में मालूम होता है कि हाथरस के स्थान पर अलीगढ़ छप गया है, अतएव अलीगढ़ के स्थान पर हाथरस ही समझा जाय ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हाथरस में है, अलीगढ़ में नहीं है ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस केन्द्र के लिये बिजली कब मंजूर हुई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---बिजली की मंजूरी के सम्बन्ध में तो मुझे मालूम नहीं है परन्तु द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में इस योजना के लिये रकम रक्खी गई है और अगले वर्ष में हम इसे सफलता पूर्वक चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

*४७-४८---श्री ब्रजभूषण मिश्र---[८ दिसम्बर, १९५५, के लिये प्रश्न ५०-५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, दिलदारनगर, जिला गाजीपुर में मरीजों की औसत तादाद

*४१—श्री भोलासिंह यादव (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर के ग्राम दिलदारनगर में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में कितने रोगी औसतन रोजाना दवा कराते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—५९ ।

*५०—श्री भोलासिंह यादव (अनुपस्थित)—क्या मंत्री जी को मालूम है कि इसके पहिले दवाखाना कुशी ग्राम में था ? यदि हां, तो वहां कितने रोगी रोजाना दवा कराते थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । ४३ ।

*५१—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—[९ दिसम्बर, १९५५, के लिये प्रश्न ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सैदपुर, जिला गाजीपुर की डिस्पेंसरी के प्रान्तीयकरण में कठिनाई

*५२—श्री देवराम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार सैदपुर कस्बे (गाजीपुर) की डिस्पेन्सरी का प्रान्तीयकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बनारसी दास—जी हां । परन्तु शर्त यह है कि जिला बोर्ड, गाजीपुर जो अब तक उक्त डिस्पेंसरी पर खर्च कर रही है वह प्रान्तीयकरण होने पर चिकित्सालय के खर्च के लिये सरकार को देती रहे, जिसके लिये यह सूचना मिली है कि बोर्ड तैयार नहीं है ।

श्री देवराम—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक प्रान्तीय सरकार और जिला बोर्ड उस डिस्पेंसरी पर कितना रुपया व्यय करते रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—यह सूचना इस वक्त मुझे नहीं है लेकिन आम तौर से जो डिस्पेंसरीज जिला बोर्ड द्वारा संचालित होती हैं जब उनका प्रान्तीयकरण होता है तो जितना खर्चा जिला बोर्ड का होता है उसके लिये जिला बोर्ड की स्वीकृति ले ली जाती है कि वह बाद में भी देता रहेगा । गाजीपुर के जिला बोर्ड ने यह जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया इसलिये इसके प्रान्तीयकरण करने में कठिनाई है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेंगी कि प्रान्तीयकरण के मामले में क्या यह शर्त सब अस्पतालों के लिये रहती है या केवल इसी के लिये रक्खी गई है ?

श्री बनारसीदास—यह कोई आवश्यक तो नहीं है लेकिन चूंकि सारा भार सरकार पर पड़ जाता है इसलिये जो विस्तार प्रोग्राम है उसमें बाधा पड़ जायगी अगर पूरा व्यय सरकार बर्दाश्त करेगी तो चिकित्सालय खोलने के लिये जो नये प्रास्ताव आते हैं उन पर विचार किया जा सकता है लेकिन इसको प्रान्तीयकरण नहीं कहा जा सकता ।

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी की उत्पादन शक्ति

*५३—श्री अजभूषण मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी जब से चलने लगी है तब से लेकर ३१ अगस्त, सन् १९५५, तक कुल कितनी सीमेंट तैयार हुई तथा इस समय दैनिक उत्पत्ति क्या है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ४९–५० श्री यगुना सिंह ने पूछे ।

श्री बनारसी दास—३१ अगस्त, सन् १९५५, तक चुर्क सीमेंट फैक्टरी ने १,५१,५५० टन सीमेंट तैयार की। इस समय दैनिक उत्पत्ति लगभग ६६० टन है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उत्तर दिया गया है उसके हिसाब से ३१ अगस्त, १९५५, तक केवल ४२० टन प्रति दिन का औसत आता है, और सात सौ की कैपेसिटी है तो कम उत्पादन क्यों हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बीच-बीच में इस फैक्टरी के संचालन में कुछ ऐसी असुविधाएं उत्पन्न हुईं, जिनके कारण रोजाना का औसत यह फैक्टरी अपनी पैदावार का न रख सकी। जैसे कुछ स्ट्राइक का समय ऐसा हुआ जब फैक्टरी चल नहीं सकी। कुछ समय ऐसा भी हुआ जब फैक्टरी के कुछ पुर्जे न चल सके और वह उतनी पैदावार न कर सके जितनी पैदावार रोजाना की जा सकती थी। इन कारणों से फैक्टरी अपना ऐवरेज प्रोडक्शन मेंनटेन न कर सकी जिसकी उससे आशा की जाती थी और जिसे बिना उन असुविधाओं के जिन का वर्णन किया गया, न रहते हुए, कदाचित वह उस मात्रा में प्रोडक्शन अपना पैदा कर सकती।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या यह सच है कि उत्पादन का ठेका विदेशी कम्पनी को दिया गया है और यह जो उत्पादन कम हुआ है उसके लिए उससे कुछ क्लेम नहीं किया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ठेका तो उनको नहीं दिया गया है। वह तो इस काम के विशेषज्ञ की तरह नियुक्त किये गये हैं। कुछ ऐसी बातें थीं जिनके ऊपर उनका स्वयं अधिकार नहीं था जैसे स्ट्राइक का विषय था और कुछ कर्मचारियों और कार्यकर्त्ताओं का विषय था जिनके ऊपर उन विशेषज्ञों का कोई बस नहीं था। इसलिए उनसे किसी मुआविजे के लेने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ६६० टन का औसत जो बताया गया है यह किस समय का है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आज कल का है। यह जो आंकड़े हमारे पास आये हैं एक महीने या पन्द्रह रोज पहले के हैं।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इसकी कपेसिटी के अनुसार पूरा उत्पादन कब तक होने लग जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब उत्तरोत्तर प्रयत्न किया जा रहा है कि जितनी इसकी कैपेसिटी है उस मात्रा तक पहुंचने में सब वे कार्यवाहियां की जायं जिससे उत्पादन उस मात्रा तक पहुंच सके। वैसे जहां तक ७०० टन फैक्टरी का उत्पादन बताया जाता है, ऐसा शायद नहीं मालूम होता कि ७०० टन बिलकुल एग्जैक्टली, प्रोडक्शन पहुंच जाय। लेकिन अधिक से अधिक उस फिगर के नजदीक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी का कार्य कब शुरू हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पिछले साल २५ अगस्त को।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जिस विदेशी फर्म को यह ठेका दिया गया है उसकी यह भी जिम्मेदारी है या नहीं कि वह उसका प्रोडक्शन बढ़ाये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह तो इसलिए ही नियुक्त किये गये हैं कि अपने तजुरबे की बुनियाद पर अधिक से अधिक इस फैक्टरी से प्रोडक्शन कराने का प्रयत्न करें परन्तु ऐसे वे कार्य तो नहीं कर सकते जिनके ऊपर उनका स्वयं बस न हो और जो अन्य और प्रश्नों की वजह से प्रोडक्शन में रुकावट डालते हों।

फ्रूट यूटिलाइजेशन डाइरेक्टोरेट, रानीखेत, के लिये क्लर्कों का चुनाव

*१४—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३ अक्तूबर, १९५५, को फ्रूट यूटिलाइजेशन डाइरेक्टोरेट, रानीखेत, में क्लर्कों के चुनाव के लिये की गई लिखित परीक्षा (test) में केवल २ ही उम्मीदवार बुलाये गये थे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—जी हां। ३ अक्तूबर, १९५५, को लिखित परीक्षा के लिये २ उम्मीदवार बुलाये गये थे, कारण अन्य उम्मीदवार उसके पूर्व आ चुके थे।

*१५—श्री जोरावर वर्मा—क्या ये व्यक्ति Employment Exchange से अथवा सरकारी विज्ञप्ति द्वारा बुलाये गये थे और उनमें से कोई खाद्य विभाग से छंटनी किया हुआ अथवा राजनीतिक पीड़ित व्यक्ति था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—जिन व्यक्तियों की परीक्षा ली गई उनके नाम Employment Exchange से प्राप्त हुये थे। इन में एक कथित राजनीतिक पीड़ित व्यक्ति भी था। खाद्य विभाग से छटनी किया हुआ कोई भी व्यक्ति इनमें न था। ऐसे व्यक्तियों की पृथक सूचियां बाद में प्राप्त हुई और उनको अगली परीक्षा में बुलाया गया।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अन्य उम्मीदवार कब और कितने बुलाये गये ?

श्री बनारसी दास—वह तो ऐसा है क्योंकि वहां पर्वतीय प्रदेश था लोगों के आने में दिक्कत थी और ५-९-५५ को एक आया फिर २०-९-५५ को ५ आये और ३-१०-५५ को २। इसमें से एक राजनीतिक पीड़ित था और खाद्य विभाग के छटनी किए हुए कर्मचारी सब बाद में आये।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि खाद्य विभाग के छटनी किए हुए व्यक्तियों की जो लिस्ट आयी वह कब प्राप्त हुई ?

श्री बनारसी दास—अभी बताया गया कि इसके बाद में प्राप्त हुई, ३ अक्तूबर के बाद।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो क्लर्क नियुक्त किये गये वह यह वो कैन्डीडेट्स थे और इनके अलावा वह कैन्डीडेट्स थे जो उसके पहले परीक्षा दे चुके थे ?

श्री बनारसी दास—यानी जो परीक्षा में बुलाये गये वे सभी कैन्डीडेट्स थे।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कैन्डीडेट्स ऐम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज के द्वारा भेजे गये थे उनका रजिस्टर नम्बर क्या है ?

श्री बनारसी दास—यह तो बहुत तफसील की बात है। यहाँ पर फाइल के अन्दर रजिस्टर नम्बर मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ती।

*५६-५७—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—[१५ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न २१-२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मुरादाबाद जिले में आदर्श हरिजन बस्ती बनाने के लिए प्रार्थना

*५८—श्री महीलाल (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मंत्री को ज्ञात है कि नियोजन समिति, मुरादाबाद, द्वारा नवम्बर, १९५४ में कुछ बाढ़ पीड़ित हरिजन बस्तियों को आदर्श हरिजन बस्ती बनाने व पुनः बसाने के लिये जो विशेष धन की मांग की गई थी उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अर्थाभाव के कारण प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकी।

गाजीपुर जिले में कासिमाबाद विकास योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

*५९—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कासिमाबाद विकास योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें सन् ५४ में पक्की बन रही हैं ?

श्री फूल सिंह—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २४४ पर)

श्री यमुना सिंह—क्या सरकार बतायेगी कि इन सड़कों पर कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री फूल सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री यमुना सिंह—क्या सरकार उन्हीं किसानों को सड़कों के हाशिये पर पेड़ लगाने का आदेश देगी जिनकी जमीन सड़क में ली गई ?

श्री फूल सिंह—हां, ऐसा हो सकता है।

श्री यमुना सिंह—क्या सरकार अभिसहन और बिरहा कच्ची रोड को पक्का बनवाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री फूल सिंह—अगर ५ साला योजना में रखा हुआ है तो होगा।

मैनपुरी फर्रुखाबाद में आबकारी विभाग के बर्खास्त कर्मचारी

*६०—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या आबकारी मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मार्च, सन् ५०, तक जिला मैनपुरी व फर्रुखाबाद में आबकारी का काम पुलिस के सुपुर्द करने के कारण उक्त विभाग के कितने व्यक्ति नौकरी से अलग किये गये ?

मादक कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—मार्च सन् ५० तक जिला मैनपुरी व फर्रुखाबाद में आबकारी का काम पुलीस के सुपुर्द करने के कारण, आबकारी विभाग के कुल ४ इंस्पेक्टर एवं ७० चपरासी नौकरी से अलग कर दिये गये।

रामपुर जिले के शाहाबाद कस्बे में प्रसूत गृह एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने में विलम्ब

*६१—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले के शाहाबाद कस्बे में प्रसूति एवं शिशु कल्याण केंद्र खोलने का निश्चय सरकार ने गत वर्ष किया था तथा संबंधित विभाग को आवश्यक आदेश भी दे दिये थे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां।

*६२—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या यह सत्य है कि उक्त केंद्र अभी तक भी नहीं खुल पाया है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक सरकार का यह निश्चय कार्य रूप में आ सकेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां, आदेश देने की तिथि से अब तक उक्त केंद्र के लिये क्रमशः ३ मिडवाइफ की नियुक्ति की गई परन्तु उनमें से कोई भी वहां नहीं गई। अब सरकार चौथी मिडवाइफ को वहां जाने का आदेश भेज रही है और आशा है कि वह केंद्र शीघ्र कार्य करना आरम्भ कर देगा।

नोट—तारांकित प्रश्न ६० श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछा।

श्री कृष्णशरण आर्य---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह आदेश सरकार का कब जारी किया गया था वहां केंद्र खोलने के लिये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है ।

श्री कृष्णशरण आर्य---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लगभग डेढ वर्ष से वहां प्रसूत-गृह के मकान का किराया और चौकीदार की तनख्वाह चढ़ रही थी और वहां केंद्र ने कार्य प्रारम्भ नहीं किया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जी हां, उसी समय मिडवाइफ की नियुक्ति कर दी गई थी किन्तु मिडवाइफ को अपनी निजी कठिनाइयां थी जिसकी वजह से वह वहां न जा सकी । इस कारण से अभी तक उस सेंटर में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ ।

श्री कृष्णशरण आर्य---क्या सरकार उन कारणों को बताने की कृपा करेगी कि जिनकी वजह से वहां ३-३ मिडवाइफों की नियुक्ति होने पर भी वहां न जा सकी और अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस विषय की जानकारी मेरे सामने अभी थोड़े ही दिन हुये आई है और मैं उसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं । साथ ही मैं इस बात को भी जानने की चेष्टा कर रहा हूं कि इस प्रकार की देरी इस कार्य में क्यों हुई । यद्यपि तीन मिडवाइफ नहीं भी गई, तो भी और मिडवाइव्ज को भेजकर उस कमी की पूर्ति क्यों नहीं की गई ।

झांसी सिविल अस्पताल में स्थानाभाव

*६३---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी सिविल अस्पताल में Indoor patients के लिये कितने कमरे हैं और उनमें मरीजों की क्या औसत है ?

श्री बनारसी दास---सिविल अस्पताल, झांसी, में १५ कमरे हैं तथा उनमें ४९ रोगियों के उपचार की व्यवस्था है । Indoor patients का दैनिक औसत ६० है ।

*६४---**श्री गज्जूराम**---क्या सरकार यह जानकर कि उक्त हास्पिटल में Indoor patients के ठहराने के लिये पर्याप्त कमरे नहीं हैं कमरों की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास---जी हां । कमरों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री गज्जूराम---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह कमरे और कितने बनेंगे ?

श्री बनारसी दास---वहां पर ऐसा है कि बेड्स बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है, इसके लिये प्लान्स और एस्टीमेट्स मांगे गये हैं ।

श्री गज्जूराम---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ये कमरे उसी हास्पिटल के अन्दर बनेंगे ?

श्री बनारसी दास---नहीं । इसके लिये और स्थान भी हासिल करने के लिये कहा गया है ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह कमरे इसी पंच-वर्षीय योजना में बन जायेंगे या अगली पंच-वर्षीय योजना में बनेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में जितने अपने प्रदेश में ऐसी जगहों पर अस्पताल हैं जो कि कमिश्नर के हेडक्वार्टर्स पर हैं वह सब अस्पताल बढाये जायेंगे और उनमें बेड्स की संख्या अधिक रखी जायगी और उनमें अन्य प्रकार के विशेषज्ञ भी रखे जायेंगे जो उस अस्पताल के स्टैंडर्ड को ऊंचा कर सकें और उन तमाम आवश्यकताओं को पूरा कर सकें जिनके पूरा होने की इन स्थानों पर आवश्यकता है। झांसी का अस्पताल भी कमिश्नरी के हेडक्वार्टर पर एक अस्पताल है जहां पर कि यह तमाम सुविधायें प्रदान की जायंगी जिनका मैंने वर्णन किया।

जालौन परगने में शुगर फैक्टरी खोलने की मांग

*६५—**श्री बसन्तलाल** (जिला जालौन)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला जालौन के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग परगना जालौन में गन्ना अधिक पैदा होता है ?

श्री फूल सिंह—प्राप्त सूचना के अनुसार जिले में गन्ने का क्षेत्रफल केवल २,६९२ एकड़ है जिसमें से जिले के उत्तरी-पश्चिमी भाग यानी तहसील जालौन में २,५२२ एकड़ भूमि में गन्ना पैदा होता है।

*६६—**श्री बसन्तलाल**—अगर हां, तो क्या सरकार उस क्षेत्र में सर्वे करा कर शुगर मिल खोलने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री फूलसिंह—प्रश्न संख्या ६५ के उत्तर में दिये गये आंकड़ों से ज्ञात होगा कि उस क्षेत्र में चीनी मिल के लिये पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिल सकेगा। इस कारण वहां चीनी मिल खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एक चीनी मिल के लिये कितने प्रतिशत जमीन में या कितने एकड़ जमीन में गन्ना का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिये आवश्यक होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आजकल के हिसाब से किसी फैक्ट्री को इकोनामिक ढंग से चलाने के लिये इस बात की आवश्यकता होती है कि एक हजार टन का कम से कम प्लांट रखा जाय और एक हजार टन के प्लांट के लिये गन्ना अगर १२० दिन फैक्ट्री चले या १५० दिन चल जाय तो करीब ३५–४० लाख मन के हिसाब से गन्ने की आवश्यकता पड़ती है।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि चीनी मिल खोलने पर किसानों का उत्साह और बढ़ने से गन्ने की उपज पर्याप्त मात्रा में वहां बढ़ सकती है ?

श्री अध्यक्ष—(नियोजन मंत्री से) आप जवाब देना चाहते हैं इसलिये मैं इजाजत दे दता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक नयी गन्ने की फैक्ट्रीज के खोलने का विषय है उसके विषय में सरकार ने एक विशेष अधिकारी को नियुक्त कर रखा है और वह प्रदेश के विभिन्न स्थानों से उन तमाम विषयों की जानकारी प्राप्त करके जो कि एक फैक्ट्री के खोलने के लिये आवश्यक होते हैं सरकार को एक रिपोर्ट देने वाला है और यदि यह स्थान भी या अन्य स्थान भी जहां प्रदेश में नयी फैक्ट्रियां खोली जा सकती हैं, उसकी रिपोर्ट में सम्मिलित होंगे तो सरकार जहां तक उसके साधन उसे इजाजत देते हैं प्रदेश में "फैक्ट्रीज की स्थापना करने के लिये प्रयास करेगी। जहां तक नयी फैक्ट्रियों के खोलने का विषय है, केंद्रीय सरकार स्वयं, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, लाइसेंस देती है और इस विषय, में केंद्रीय सरकार में स्वयं, अभी विचार विनिमय हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अन्य नयी फैक्ट्रीज के लाइसेंस देने की नीति अपनायी जाय या नहीं अपनायी जाय क्योंकि दक्षिण के प्रदेशों से काफी मांगे हैं कि वहां पर फैक्ट्रीज खोली जायं और प्रत्येक प्रदेश की रीजनल सफिशेयेंसी की बात को सामने रखकर इस बात की कोशिश की

जा रही है कि वहां भी नयी नयी फैक्ट्रीज खोली जाय। तो केंद्रीय सरकार को उस पर निर्णय करना पड़ेगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो शुगर इंडस्ट्री है उसके प्रति वह क्या नीति अख्तियार करे। बहरहाल, इस विषय में केंद्रीय सरकार से लिखा पढ़ी हो रही है और अन्य फैक्ट्रियों को खोलने की यदि केंद्रीय सरकार इजाजत देगी तो उस व्यक्ति की सिफारिश आ जाने पर वह सरकार नयी फैक्ट्रीज खुलवाने का प्रयास करेगी।

'मूल्य स्थिरीकरण योजना' के अन्तर्गत गल्ला व गुड़ की खरीद

*६७—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मूल्य स्थिरीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के किन-किन जिलों एवं स्थानों में गल्ले और गुड़ की खरीद की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—'मूल्य स्थिरीकरण योजना' के अन्तर्गत प्रदेश के जिन-जिन जिलों एवं स्थानों में गल्ले तथा गुड़ की खरीद की गई उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २४५-२४६ पर)

*६८—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गल्ला और गुड़ किस भाव से खरीदा गया था तथा किस दर पर बेचा गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—खरीद निम्नांकित भावों पर की गई—

गेहूं	१० रु० प्रति मन,
ज्वार	५ रु० ८ आने प्रति मन,
चना	६ रु० प्रति मन,
गुड़	१० रु० प्रति मन,
	केवल हापुड़ में गुड़ की खरीदारी का भाव १० रु० ४ आने प्रति मन और शक्कर व चक्कू का भाव ११ रु० व १० रु० ८ आने प्रति मन था।

गल्ले की बिक्री केंद्रीय सरकार के आदेशानुसार होती है। केंद्रीय सरकार ने कुछ ज्वार बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में वितरण के लिये इस प्रदेश को ७ रु० प्रति मन बोरे सहित दिया है तथा कुछ ज्वार उनके द्वारा स्वीकृत टेंडरों पर ५ रु० ८ आने से ७ रु० २ आने ३ पाई प्रति मन तक बेची गयी है। शेष ज्वार अब बिना किसी प्रतिबन्ध के निम्नलिखित निर्धारित दरों पर बेची जा रही है :—

बनारस में	७ रु० प्रति मन बोरे सहित,
दूसरे केंद्रों में	६ रु० ४ आने प्रति मन बोरे सहित,

कुछ गेहूं केंद्रीय सरकार ने १० रु० १४ आने प्रति मन (बिना बोरे के) जेलों के लिये तथा १२ रु० ८ आने प्रति मन बोरे सहित बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में वितरण के लिए इस प्रदेश को दिया है।

गुड़ बेचने का भाव ९ रु० ८ आने से लेकर १२ रु० ६ आने प्रति मन था।

*६९—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—क्या रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार का इस योजना के लागू करने में कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—गल्ले की खरीद के लिये केंद्रीय सरकार ने २,५८,००,००० रु० प्रदेश सरकार को दिया था। खरीदारी में लगभग १,८२,२०,००० रु० व्यय हुआ है। गुड़ योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार ने प्रदेशीय सहकारी फेडरेशन, लखनऊ, को ५० लाख रुपया का ऋण दिया था जिसमें ३९ लाख रुपया प्रदेशीय सहकारी फेडरेशन ने सरकार को अदा कर दिया है। गुड़ की बिक्री में हानि हुई है और कुछ व्यय कर्मचारियों के वेतन तथा गोदाम इत्यादि पर हुआ है। यह सब काट कर जो वसूल होगा वह सरकार को लौटाया जायेगा इसका पूरा ब्योरा तभी बन सकेगा जब सब गुड़ उठ जायेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर और बनारस रीजन में गुड़ और गेहूं की मंडी में केंद्र क्यों नहीं खोला गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां जहां विभाग ने यह समझा कि अधिक मात्रा में ये चीजें बिकती है, इनका वितरण होता है, वहां-वहां उन स्थानों को छांटा और उनके तहत में खरीदारी प्रारम्भ की।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार को जानकारी है कि बनारस रीजन और गोरखपुर रीजन के बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर ये जिले जो हैं वहां पर चीनी मिल न होने के कारण गुड़ की पैदावार अधिक होती है और वह सस्ते भाव पर बेचा जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---गुड़ की पैदावार प्रदेश में सब से ज्यादा पश्चिम के जिलों में होती है, इसलिये जहां ज्यादा पैदावार होती है मार्केट उन्हीं के द्वारा चलता है। तो पहले उन्होंने खरीदारी पश्चिम के जिलों में की और उन जिलों में नहीं की जहां कि कम मात्रा में यह गुड़ पैदा होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि गुड़ की बिक्री में अब तक सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी कुल गुड़ बिका नहीं है और आंकड़े आये नहीं हैं। जैसा कि उत्तर में कहा गया, जब कुल गुड़ बिक जायगा तब हम घाटे के विषय में बतला सकेंगे। अभी तो आंकड़े निकले नहीं हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले में गुड़ की कितनी खरीद उन्होंने इस योजना के अन्तर्गत की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब सरकार के पास यह आंकड़े तो नहीं है कि कितनी खरीद हुई। यह सूची तो मेरे पास नहीं है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत कितने गुड़ और कितने गल्ले की कुल खरीद की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सूची जिलों की दी गयी है उसमें बहराइच जिला भी है ? यदि है, तो वह किस रीजन में है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---बहराइच जिला बनारस रीजन में है ?

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि स्थिरीकरण योजना के अन्तर्गत जो गल्ले की कीमत सरकार ने प्रति मन के हिसाब से दी वह किस आधार पर तय की जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो मूल्य निर्धारण किया गया है वह तो इस बात को ध्यान में रख कर किया गया है कि क्या मुनासिब कीमत गल्ले की हो सकती है और क्या मुनासिब कीमत गल्ले की किसान को मिलनी चाहिये, जिससे कि उसे नुकसान बहुत उठाना न पड़े और उसे उतनी मात्रा में उनके श्रम का फल मिल जाय जिससे कि वह अपने उस उद्योग में बराबर लगा रहे।

श्री रामेश्वर लाल---क्या माननीय मंत्री जी के पास इसकी सूचना है कि गेहूं के उत्पादन पर प्रति एकड़ किसानों का क्या व्यय होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो मेरे पास इस बात की सूचना नहीं है। यह प्रश्न तो बहुत विवादग्रस्त और बहुत वर्षों से चला आ रहा है। अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है कि प्रति एकड़ कितना खर्चा किसान का होता है।

अतारांकित प्रश्न

झांसी जिले की मोठ-गुरसराय सड़क का निर्माण-कार्य

१—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मोठ-गुरसराय सड़क (जिला झांसी) जिसे श्रमदान द्वारा तैयार होने के बाद पी० डब्ल्यू० डी० ने पक्की कराने के लिये अपने अधिकार में लिया था कब तक बन जायेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चालू वित्तीय वर्ष में कार्य को पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

---

*उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब माननीय मुख्य मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा। कल माननीय हरि सिंह जी भाषण दे रहे थे। वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल चल-चित्र के बारे में यही बता रहा था कि अंग्रेजों ने.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके इतिहास को न दोहरायें क्योंकि इस समय सिद्धान्तों की बहस हो रही है। आप एक दफा यह बात कह चुके हैं।

श्री हरिसिंह—चल-चित्र का जहां तक सम्बन्ध है, एक माननीय सदस्य ने कल कहा था कि १६ वर्ष की आयु के बच्चों को चल-चित्र देखने की आज्ञा नहीं होनी चाहिये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन पुरुषों की अधिक आयु है उनको क्यों आज्ञा दी जाती है जब कि बच्चे उनसे यह शिक्षा प्राप्त करते हैं कि इन चल-चित्रों के देखने से कोई विशेष शिक्षा मिलती है जिसके कारण वे इन चल-चित्रों को देखने के लिये उत्सुक होते हैं। मेरे दिमाग में इससे बिल्कुल उल्टा आया है कि जो कि १२ साल से ऊपर के हैं उनपर प्रतिबन्ध होना चाहिये कि वह चल-चित्र न देख सकें और जो १५ साल से २२ साल के युवक हैं उनको स्वतन्त्रता हो और उन्हें अधिक से अधिक तादाद में देखने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय, क्योंकि उसका एक विशेष कारण है। उन पर इसलिये प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं ताकि वह विश्वविद्यालय और कालेजों में यह कहें कि हमारी सरकार गलत काम करती है और वह हड़ताल करें, इस तरह से यह उनके हित में है और यह देश के अहित में है और जनता के अहित में है। जितने हमारी सरकार के अच्छे कार्य हैं उनका सूचना विभाग से प्रचार किया जाना चाहिये, जिससे लोग समझ सकें कि हमारे देश का कल्याण किस प्रकार हो सकता है, हमारे देश के नेता और सरकार क्या कार्य कर रही है। इन चित्रों के द्वारा जो हमारे गांवों के किसान और मजदूर बम्बई के बारे में नहीं जान सकते हैं कि वहां की क्या हालत है, कैसे हवाई जहाज चलता है, जो नहीं जानते हैं उनको यह चित्र दिखाये जायं। बच्चों को पता नहीं होता है कि यह क्या बवाल है उनके लिये तो यह लोग प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं और जो हड़ताल कराते हैं और सरकार की बुराई जिन चीजों से होती हैं उनको प्रोत्साहन देते हैं। चल-चित्र द्वारा यह शिक्षा दी जानी चाहिये कि अपना

---

* १० फरवरी, १९५५, की कार्यवाही में छपा है।

स्वास्थ्य कैसे अच्छा रख सकते हैं, जीवन किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, देश का निर्माण कैसे हो और किस तरह से नियोजन का कार्य चल रहा है। इनपर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये।

जो चल-चित्र वाकई बहुत गन्दे हैं जिससे लोगों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है उनको अवश्य बन्द कर दें। मैं तो उन चल-चित्रों के लिये कहता हूं जो अच्छे हों और जिनसे बच्चों के दिमाग पर अच्छा प्रभाव हो और गांव वालों को भी चल-चित्र देखने का मौका मिल सके, शहर के लोग तो बराबर देखा ही करते हैं जैसे उपाध्याय जी की मोटर चलती है.....

श्री अध्यक्ष— मैं समझता हूं कि यह विधेयक उपाध्याय जी का नहीं है आप विधेयक पर ही बोलें।

श्री हरिसिंह—जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, वह ऐसा है जिससे विशेष आज्ञा मिल सकती है कि अच्छे-अच्छे चल-चित्र चलें। जिन चित्रों से अच्छा प्रभाव पड़े वह चलाये जायं और बाकी पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो विधेयक सदन के सामने उपस्थित किया है वह एक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में चलचित्रों का एक विशेष प्रभाव पड़ रहा है। आज यदि हम इसका निरीक्षण करें कि इससे हमें लाभ हो रहा है या हानि तो यह बतलाना बहुत ही कठिन है, लेकिन एक बात निश्चित है और वह यह है कि चलचित्र हमारे जीवन में एक विशेष स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। आज आप देखें कि हमारे प्राचीन संगीत के मुकाबले में करीब-करीब चल-चित्रों के नये हल्के फुल्के गाने होते हैं और उन्होंने अपना एक स्थान ग्रहण कर लिया है। इसी तरह से हमारे विचारों में, वेशभूषा में और हमारे जीवन की अनेक चीजों में चलचित्रों का एक विशेष प्रभाव पड़ रहा है और इसलिये यह आवश्यक है कि हमारे देश के निर्माण कार्यों के लिये, हमारे विचारों को परिमार्जित करने के लिये, उनमें एक नवीन प्रगति लाने के लिये हमारे देश के और प्रदेश के प्रशासन का ध्यान इस ओर जाय।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि चल-चित्र किस तरह का होना चाहिये, इसके सर्टिफिकेशन का काम तो केन्द्रीय सरकार के अधीन है और वह बहुत महत्वपूर्ण काम है यह मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं। आज जिस तरह के चित्रों का सर्टिफिकेशन भी हो जाता है वह मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिये, लेकिन चूंकि हमारा, सदन का, उससे सम्बन्ध नहीं है, इसलिये मैं उस पर अधिक न कहना ही उचित समझता हूं परन्तु जिस तरह से कि सिनेमाघरों का प्रबन्ध होता है, जिस तरह के चित्र उनमें दिखलाये जाते हैं उस सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार द्वारा काफी नियंत्रण किया जा सकता है और किया जाना चाहिये। पहली बात तो यह होनी चाहिये कि जहां हमारे इस तरह के सिनेमाघर हैं वहां के वातावरण में सुधार किया जाय। वहां शहर के जितने रिफ रेफ उस तरह के लोग होते हैं आकर जमा हो जाते हैं और जिनसे कि वहां का वातावरण बड़ा अवांछनीय हो जाता है और उसका उनके पास रहने वालों पर और यदि कोई शिक्षण संस्थायें वहां हुईं तो उन पर बुरा असर पड़ता है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जहां रहता हूं वहां समीप ही एक शिक्षण संस्था है और वहां पास ही में एक सिनेमा भी है। उस सिनेमा से बड़े जोर से लाउड स्पीकर पर प्रायः दिन भर सिनेमा सम्बन्धी गाने, जिनको मैं समझता हूं कि हम अपने परिवार को सुनाना नहीं चाहते, उनका प्रसार होता रहता है। तो मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि ऐसे स्थानों पर सिनेमा का लाइसेन्स न दिया जाय, जहां पर कि शिक्षा संस्थायें हों या छात्रावास हों। इसके साथ ही यह भी आवश्यक

[श्री देवकीनन्दन विभव]

है कि ९ बजे के बाद रात में जो शो होते हैं उनको बन्द किया जाय। इनके कारण अनेक दुर्घटनायें होती हैं और वह अवांछनीय हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह रूल्स में या बिल में इस प्रकार का संशोधन करें जिससे कि हमारे यहां ९ बजे रात के बाद के शो बन्द कर दिये जायं। इससे मेरा खयाल है कि काफी लाभ होगा और जो अनेक दुर्घटनायें और अवांछनीय बातें होती हैं वह बन्द हो जायंगी। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे नियमों में यह भी होना चाहिये कि जिससे हम शिक्षा सम्बन्धी और स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ फिल्म भी दिखाने के लिये सिनेमा वालों को बाध्य कर सकें। मैं समझता हूं कि लाइसेंस के रूल में यह हो सकता है और इसका प्रयोग होना चाहिये। इसके साथ ही एक बात और भी है और वह यह कि अभी तक जो सिनेमाओं के सम्बन्ध में कुछ विधेयक बनाये गये हैं जैसा कि यहां धूम्रपान के सम्बन्ध में बनाया गया, तो मुझे जहां तक इल्म है उसका स्ट्रिक्ट तरीके से पालन नहीं होता है। उसका पालन किया जाना चाहिये। साथ ही जहां तक हो सके हम सिनेमाओं को ऐसे स्थान पर रखें जो कि बस्ती में घरों के बिल्कुल बीच में न हों, क्योंकि उससे सारे मुहल्ले को बड़ी असुविधा होती है और उसके लिये कुछ गम्भीरता से हमको यह सोचना पड़ेगा कि हम सिनेमाओं को किन स्थानों पर रखें जहां पर उनका उपयुक्त व्यवहार कर सकें। इस पर मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन यह अवश्य होना चाहिये। हम चल-चित्रों को हटा नहीं सकते हैं। उसका प्रयोग दुनियां में बहुत सी चीजों में होता है। आज हमारे यहां एटम इनर्जी का प्रादुर्भाव हो रहा है। एटम इनर्जी का जहां तक सम्बन्ध है, उससे मानवता के लिये अनेक लाभ हो सकते हैं। वही चीज एटम बम बनाने से दूसरी तरह के अस्त्र शस्त्र बना कर मानव जाति के लिये संहार भी हो सकता है। इसलिये हम चलचित्र का प्रयोग कुछ अच्छी शिक्षा देने के लिये कर सकते हैं। लेकिन आज चलचित्रों का जिस तरह से प्रयोग हो रहा है उससे हमारे समाज का, हमारे विचारों का, हमारे बच्चों के विचारों में एक विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। इससे हम आंख मीच नहीं सकते। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि आज कल जिस वातावरण को सिनेमाओं में दिखाया जाता है और जिस तरह से आज उनका संचालन होता है उनमें सुधार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। मैं यह भी समझता हूं कि उसका इस बिल के अन्दर बहुत स्कोप है कि जब हम उनको सुधार सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर प्रश्न उपस्थित किया जाय। इस पर बहुत बहस हो चुकी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अभी तो यह बिल शुरू हुआ है। इस पर बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं यह प्रश्न सदन के सामने रख देता हूं। वैसे इस पर अभी तक ९, १० सदस्य बोल चुके हैं।

प्रश्न यह है कि अब इस विषय पर बहस बन्द की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल आज हमारे सामने है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और साथ ही साथ हमें यह मौका भी है कि इस बिल में जो खामियां हैं, उनकी ओर माननीय मुख्य मंत्री

का ध्यान आकर्षित करें। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि जिसको ओर हमारी प्रदेशीय सरकार को ही नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार को भी काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे तो जो बिल हमारे सदन से पास होगा उससे हमारे पास ऐसे अधिकार हो जाते हैं कि उनसे कुछ ज्यादा रोकथाम कर सकते हैं, जो फिल्म हमारे मुल्क के अन्दर तैयार हों अगर वह ठीक न हों और उनके देखने से हमारी जनता के ऊपर गलत असर पड़ता हो तो उनको हम बन्द कर सकते हैं। हमारा प्रदेश इतना बड़ा है कि जिसकी आबादी ६ करोड़ ३२ लाख है और काफी लोग हमारे प्रदेश में सिनेमाओं को देखने वाले हैं। हमारे यहां शहर बहुत से हैं और हमारे प्रदेश के अन्दर काफी ऐसे सिनेमा हाउसेज हैं जिनमें हमारे इस प्रदेश के लोग सिनेमा देखने जाया करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिनेमा की क्या हालत है, इसके बारे में मैं समझता हूं कि बहुत से हमारे साथी जो इसको देखते हैं वे अवश्य जानते होंगे। हां, माननीय मुख्य मंत्री जी को इसका कम मौका मिलता होगा, लेकिन फिल्म्स किस प्रकार की निकल रही हैं, अगर आप इसका अनुभव करना चाहते हैं तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे आज कल निकलने वाली दो चार फिल्मों को देख लें। आज कल जैसी फिल्म्स निकल रही हैं उनमें फौलादी मुक्का, मि० सम्पत, पिलपिली साहब और श्री ४२० हैं। ऐसी-ऐसी फिल्म्स इस देश में निकल रही हैं कि जितनी डकैती होती हैं उसमें दिखायी जाती हैं, ४२० के मामले उसमें दिखाये जाते हैं और इन्हीं से हमारे देश के नौजवान ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और वही चीज वे भी करते हैं। दिल्ली में हमारे मंत्री महोदय, जो कि सिनेमा, चलचित्र और इनफार्मेशन विभागों के चार्ज में हैं उन्होंने इस बात का आर्डर जारी कर दिया है कि रेडियो स्टेशन से फिल्मी गाने प्रसारित न किये जायं, क्योंकि वे अपने देश का कल्चरल डेवलपमेंट चाहते हैं। अपने देश का जो पुराना म्युजिक का इतिहास है वे उसका पुनरुद्धार चाहते हैं। लेकिन रेडियो सुनने वाले लोग अभी हमारे देश में बहुत कम हैं, क्योंकि यहां पर गरीबी ज्यादा है, लेकिन सिनेमा देखने वाले लोग हमारे देश में बहुत ज्यादा हैं। सिनेमा के अन्दर भद्दे गाने गाये जाते हैं और उनको हमारे लड़के और लड़कियां गाते हैं। जिसका असर उनके ऊपर बहुत बुरा होता है। यद्यपि मैं जानता हूं कि इसका अधिकार केन्द्रीय सरकार को है.....

श्री अध्यक्ष---इसके बारे में मैं समझता हूं आप ज्यादा न कहें, केवल थोड़ा सा इशारा ही काफी है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मैं थोड़ा सा ही कह रहा हूं। हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत अधिकार भी है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी चाहें तो इस किस्म के फिल्मों पर 'बैन' लगा सकते हैं, यहां चलने से रोक सकते हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि हमारी इस रोक का बम्बई की फिल्म कम्पनियों पर प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता है। इस प्रकार की स्टंट पिक्चर्स में रुपया तो कम खर्च होता है, लेकिन उसके द्वारा वे लाखों रुपया कमाते हैं। हां, कुछ अच्छी फिल्में भी निकल रही हैं। आजकल जैसे 'झनक झनक पायल बाजे' तथा इसके पहले एक फिल्म निकली थी 'जागृति'। ये फिल्म्स शिक्षाप्रद हैं। ऐसी फिल्में भी कभी-कभी निकल जाती हैं। आज अगर हम इसका ठीक उपयोग करें तो हमारी शिक्षा बढ़ सकती है, एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं मगर उसके लिये हमें पिलपिली साहब और फौलादी मुक्का जैसी फिल्मों पर अवश्य रोक लगानी होगी। और इसका असर फिल्म प्रोड्यूसर्स पर अवश्य पड़ेगा और वे स्टंट पिक्चर्स बनाना बन्द कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस बिल के द्वारा अधिकार दिया जा रहा है कि वह किसी ऐसी फिल्म को बन्द कर दे।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

मैं समझता हूं कि आज जो बिल हमारे सामने है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल है और हमारी शिक्षा इसी पर बेस करती है। इन फिल्म्स के जरिये से हमारे बच्चों को बड़ी-बड़ी शिक्षा मिल सकती है। आज शहरों में ज्यादा सिनेमा हाउसेज हैं तथा जहां लेबर सेंटर्स हैं वहां अधिक हैं। गावों में अभी इनकी संख्या बहुत कम है। गांवों के लोग भी जब शहरों में आते हैं तो सिनेमा देखते हैं और उन पर भी कभी-कभी इसका असर पड़ता है। जब गांवों के अन्दर भी लाइसेंस देने की बात हो तो उस वक्त गवर्नमेंट की ओर से इस बात का प्रयत्न होना चाहिये कि इस किस्म की बीमारी गावों में न पहुंचने पाये और गांवों में गलत किस्म की फिल्में न जाने पायें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि शिक्षाप्रद फिल्म्स अपने इनफार्मेशन डिपार्टमेंट के मार्फत बनवायें जिनमें शिक्षा की बातें हों, प्रदेश की औद्योगिक उन्नति की बातें हों। छोटी-छोटी शिक्षाप्रद फिल्में यदि गांवों के लिये तैयार करायी जायं तो ज्यादा अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय, सारा प्रदेश सन् ६१ तक एन० ई० एस० ब्लाक में आ जायगा और जितने एन० ई० एस० ब्लाक यहां खोले गये हैं उनके पास प्रोजेक्टर्स हैं, लेकिन वह भी अपने प्रोजेक्टर्स से वही पिलपिली साहब, फौलादी मुक्का और श्री ४२० दिखाया करते हैं। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि हमको फौरन इस बीमारी को रोकना चाहिये और हमें जल्द ऐसे फिल्मों के निर्माण के लिये उपाय निकलवाने चाहिये जिससे ऐसे फिल्म आगे न बनें और केवल शिक्षाप्रद और नैतिकता को बढ़ाने वाले सुन्दर फिल्म यहां बनें। अभी मैं एक कम्युनिस्ट पार्टी का पत्र पढ़ रहा था उसका कहना है कि हमारे यहां अच्छे फिल्म जिनकी शिक्षा के लिये जरूरत है जल्दी जल्दी नहीं बन रहे हैं। इसलिये इस तरह के तरक्की करने वाले फिल्म बनने में देर न होनी चाहिये और हमें कोशिश करना चाहिये कि जिससे बच्चों के लिये शिक्षाप्रद फिल्मों का उत्पादन बढ़े।

जहां तक लाइसेंसिंग का प्रश्न है, आजकल यह देखा जाता है कि शहर के जो सबसे ज्यादा घने आबाद भाग हैं उन्हीं जगहों पर सिनेमा घर खोलने का प्रयत्न यह उद्योगपति किया करते हैं, जहां पर लोग घर से नीचे उतरते ही सिनेमाघर में जाकर बैठ जायं लेकिन इस चीज का वहां के आस पास के लोगों पर बुरा असर पड़ता है और अगर कोई बीमार होता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है, तमाम भीड़भाड़ शोरगुल, गुन्डागर्दी होती है, पान वाले अलग चिल्लाते हैं। वह लोग ऐसी जगह ही खोलना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर वहां सिनेमा देखें। इसलिये जरूरत इस बात की है कि उन उद्योगपतियों के लिये लाजमी कर दिया जाय कि वह सिनेमा की इमारत शुरू करने से पहले ही जिलाधीश से इजाजत लें कि हम सिनेमा के पर्पज से इमारत बनाना चाहते हैं और अगर वह सिनेमा किसी स्कूल, कालेज या अस्पताल के पास है तो वह पहले से ही उस को इजाजत न दे और उस से कह दिया जाय कि अगर ऐसी जगह सिनेमा खोलोगे तो तुमको इजाजत न मिलेगी। अगर इमारत बन जाती है तो वह दौड़धूप जिलाधीश के पास करते हैं और वह कहते हैं कि अब तो रुपया लग गया और कभी-कभी उस को भी कठिनाई होती है, इसलिये इमारत बनने से पहले ही जिलाधीश से इजाजत लेने का प्राविजन होना चाहिये। यह तो मैंने कह ही दिया जैसा कि कल श्रीमती चन्द्रावती जी ने कहा था कि सिनेमा स्कूलों, अस्पतालों के पास न खुलने देना चाहिये और ऐसी भीड़भाड़ की जगह लाइसेंस न देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यही एक इंडस्ट्री ऐसी है कि जब कोई उद्योगपति सोचता है कि बिजनेस किया जाय तो वह सब से पहले फिल्म प्रोड्यूसर या फिल्म बनाने की तरफ और फिर इन सिनेमा घरों को चलाने के उद्योग की ओर आकर्षित होता है और इन से ही वह समझते हैं कि रोजी अच्छी तरह से कमा सकते हैं। इस पर अब मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता, क्योंकि क्लोजर

आ चुका है और माननीय मुख्य मंत्री जी भी मालूम होता है कि इसे जल्द ही पास कराना चाहते हैं, इसलिये मैं उन से ज्यादा न कहकर एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब वह सोशलिस्टि पैटर्न की बात करते हैं तो उस सोशलिस्टिक पैटर्न का प्रचार करना, उस को कायम करना, उसको समझते हुये उद्देश्यों की पूर्ति करना है तो उसके लिये हमारे पास यह सिनेमा का इतना बड़ा साधन है जिस से हम जल्द ही देश की उन्नति और प्रचार का कार्य कर सकते हैं। इन साधनों को हम जुटा सकते हैं और जितने खराब फिल्म्ज़ आते हैं उनपर पाबन्दी लगाकर हम सारे प्रदेश में अगर उसको बन्द करा सकें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के बिल का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो चलचित्र विधेयक है उसको पढ़ने से ज्ञात होता है कि जो अत्यन्त आवश्यक बातें थीं उनकी कुछ कमी रह गयी है, आपने यहां प्राधिकारी कलेक्टर को रखा है। मेरा कुछ अनुभव यह है कि उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर जहां सिनेमाओं के सम्बन्ध में, उनकी बिल्डिंगों के सम्बन्ध में, बातें आयीं उन्होंने बड़े पक्षपात से काम लिया। यह एक सामाजिक कार्य है। जनता का अधिक सम्बन्ध है और सरकार को भी यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रबंध के सम्बन्ध में एक कमेटी को अधिकार दिया जाय न कि एक कलेक्टर को अधिकार हो। इसके साथ साथ कलेक्टर के अतिरिक्त इसका एक और भी प्रतिबन्ध है जिसमें किसी भी प्राधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है जो किसी जिले में या समस्त उत्तर प्रदेश में इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकते हैं। इसको भी मैं अत्यन्त अनुचित समझता हूं। मैं तो इस सम्बन्ध में यह अपने विचार प्रकट कर देना चाहता हूं कि सिनेमाघर, अधिक रूप से, कस्बों और शहरों में ही हैं। वहां पर टाउन एरियाज और म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उन्हीं के सुपुर्द यह भी किया जाय। यह हो सकता है कि कोई प्राधिकारी इसमें सम्मिलित हो और सेक्रेटरी की हैसियत से वह कार्य करे, लेकिन मुख्य राय तो वहां के निवासियों की है, उनके प्रतिनिधियों की बातें मान्य होनी चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से जितनी अनुचित या पक्षपात की बातें होंगी वह नहीं हो सकेंगी। मेरा अनुभव कई स्थानों का है और दूसरी बातें ऐसी हैं कि जैसे इस समय भी हम प्रायः देख रहे हैं। अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, उस स्थान का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उस समय वहां पब्लिक मीटिंग हो रही थी और उस पब्लिक मीटिंग में मैं सभापति के रूप में था, वहां एक बच्चा आया और मुझे बड़ा उत्साह हुआ कि यह छोटा बच्चा कोई राष्ट्रीय गाना गायेगा। वह अकर खड़ा हुआ और उसने सिनेमा का गाना आरम्भ किया। मैंने समझा कि यह पहली कड़ी है। इसको लेकर आगे इसका रूप राष्ट्रीय गान का होगा। लेकिन मुझे मजबूर होकर उसको बैठाना पड़ा, मैंने उसको शाबाशी दी क्योंकि वह बच्चा यह नहीं जानता था कि इस गाने का प्रभाव आगे चलकर क्या पड़ेगा। जितने गाने हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं सब सिनेमाओं से हमारे बच्चे सीखते हैं और उनकी आदतों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आप देखेंगे कि जो बच्चे स्कूल के हैं या जो नहीं पढ़ रहे हैं वे आपको ऐसे ही गाने गाते हुये मिलेंगे। राष्ट्रीय गान या दूसरे करेक्टर बनाने वाले गाने आप नहीं सुनेंगे। मैं यह बात मानता हूं कि इसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है। अपनी सरकार भी इस सम्बन्ध में लिखा पढ़ी करके या किसी भी रूप में ऐसे गाने या ऐसे फिल्म तैयार हो सकते हैं जैसे विदेशों के हैं। हमारे सामने विदेशों के भी सिनेमाघर हैं मैं देख रहा हूं कि वहां पर ऐसे फिल्म हैं जिनसे देश की वृद्धि होती है और जितनी योजनायें उन्नति की हैं वह दिखायी जाती हैं।, बहादुरी के कार्य दिखाये जाते हैं, तो इन चीजों का अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिये दूसरा निवेदन मैं यह भी कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार, यह जो एक जरूरी बात है उस सम्बन्ध में जिस प्रकार से हो सके, हमारे नवजवानों को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करे और यह वर्ग ऊंचा तभी उठ सकता है जब उनकी अच्छी धारणा हो, अच्छे विचार हों। जहां अच्छे विचार और आचरण और अच्छे वातावरण होते हैं उन्हींके अनुसार वह बन सकते हैं। प्रायः देखने में आ रहा है कि सिनेमाओं की बिल्डिंगें वहीं बनी हुयी हैं जहां कन्या पाठशालायें, स्कूल या कालेज और दूसरी संस्थायें हैं। नियम में यह भी है कि सिनेमा इनसे एक फर्लांग के निकट नहीं होना चाहिये। और प्रायः यह भी देखा जा रहा है कि जहां

[श्री श्रीचन्द्र]

सिनेमा हाउस बहुत ही निकट बने हुये हैं, कुछ ही गजों की दूरी पर संस्थाओं हैं बहुत स्थानों पर आज्ञायें दी जा रही हैं परन्तु इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। यह बहुत आवश्यक है कि जहां सिनेमाओं की बिल्डिंग इतने नजदीक हों उनको दूसरे स्थान पर जहां तक सम्भव हो सके, बदल दिया जाय। कोई स्कूल या संस्था वहां न हो और आगे चल कर यह अनिवार्य रूप से हो। मैं तो यह समझता हूं कि जहां तक सिनेमा के गानों की आवाज पहुंचती हो वहां तक स्कूल या कालेज न रहने चाहिये। मैं समझता हूं कि एक फर्लांग की दूरी का जो नियम रक्खा है वह ठीक है। मेरे एक मित्र ने अभी कहा कि "चार मील"; मैं तो यह भी समझता हूं कि सिनेमाओं को हिमालय की चोटी पर बना दिया जाय। मैं तो यह भी समझता हूं कि सिनेमा देखकर बेकार अपना समय नष्ट करना है। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां व्यस्त रहते हैं और अपने देश का जो कार्य है उसको पूरा करने की ओर उनका ध्यान नहीं है।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं अपने मित्रों से यह कहने के लिये तैयार हूंगा कि इस ओर रुचि न रख कर अपने देश की उन्नति की ओर रुचि रखें तो अच्छा है। साथ ही एक चीज यह भी हो सकती है कि उन सिनेमाओं के द्वारा देश में जितने कार्य उन्नति के हो रहे हैं उनको दिखाया जाय। हमें रुपये की आवश्यकता है। वह रुपया हमें इन सिनेमाओं से लेना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि जो भी टैक्सेज हैं वे अत्यन्त कम हैं। वे अधिक से अधिक कर दिये जायं, क्योंकि यह नियम है कि जिस मनुष्य के पास अधिक रुपया होगा, उसका खर्च ज्यादा होगा वह इस तरह से ऐशो आराम में रुपया ज्यादा खर्च करेगा। यहां तक टैक्स बढ़ा दिये जायं कि जिस के पास बेकार रुपया हो वही खर्च कर सके। इससे हमारे देश को उन्नति होगी और उन्नति होने से हमारा देश हर हालत में अच्छे रास्ते पर चल कर उन्नति कर सकेगा। यही तीन बातें आपको सामने रखना चाहता था।

श्री रामलखन मिश्र---अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---यह मेरे लिये बड़े संतोष की बात है कि जो विधेयक मैंने सदन के सामने रक्खा है उसके मुख्य सिद्धांतों से सभी माननीय सदस्य सहमत हैं। दो चार शंकायें यहां प्रकट की गयी। मैं समझता हूं कि उनका निराकरण कर देना मेरे लिये आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं उस शंका का जिक्र कर देना चाहता हूं जिसको माननीय नारायणदत्त जी ने उपस्थित किया था। वे इस वक्त यहां नहीं हैं। वह एक कनूनी सवाल था कि इस विधेयक में ऐसा लिखा है कि १९१८ का सिनीमैटोग्राफी ऐक्ट निरस्त होता है, ऐसा करने का अधिकार हम को है या नहीं है। इस सम्बन्ध में हमने कानूनी सलाह ले ली है। जिस समय १९१८ का ऐक्ट बना था उस समय गवर्नमेंट आफ इंडिया का १९३५ का ऐक्ट बना नहीं था। एक ऐक्ट सेंट्रल का था, वैसा भी था। अब संविधान पास होने के बाद सूरत यह हो गयी है कि उस ऐक्ट का जो विषय है उसके भी दो टुकड़े हो गये। एक टुकड़ा जिसका सर्टिफिकेशन से सम्बन्ध था वह केन्द्रीय सरकार के पास चला गया और उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने १९५२ में कानून भी बना लिया और उसमें १९१८ के कानून को निरस्त कर दिया। दूसरा हिस्सा लाइसेंसिंग का है। इसके सम्बन्ध में सूरत यह है कि केन्द्रीय सरकार ने जब १९५२ में कानून बनाया, जितनी बी और सी स्टेट्स हैं वहां तक उन्होंने १९१८ का कानून निरस्त कर दिया, लेकिन जहांतक ए स्टेट्स है वहां तक लाइसेंसिंग वाला कानून अभी तक १९१८ का "जीवित है और उसके अनुसार काम हो रहा है। अब चूंकि यह संविधान के अनुसार स्टेट का विषय हो गया है तो पार्लियामेंट को इसके निरस्त करने का अधिकार नही रह गया। इसका अधिकार हमें दिया गया है। इसलिये

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम निरस्त कर रहे हैं। क्योंकि उतना हिस्सा अभी तक जीवित है और अगर निरस्त न करें तो १९१८ का कानून भी जीवित रहेगा और नया कानून भी पास हो जायगा। तो एक ही विषय पर दो कानून हो जायेंगे। इसलिये कानून सलाह इसके सम्बन्ध में यह दी गयी कि १९१८ का कानून जो हमारे यहां और दूसरी ए स्टेट्स में जीवित है, उसको हमें अपने यहां निरस्त करना चाहिये।

इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गयीं कि आज कल जो फिल्म्स दिखलायी जाती हैं उनमें बहुत सी अच्छी नहीं हैं। मुझको फिल्म देखने का बहुत कम अवसर मिलता है। परन्तु मैं उन सब माननीय सदस्यों से जिन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ कहा है सहमत हूं कि कई फिल्म जो हमारे यहां दिखलायी जाती हैं, यदि वह न दिखलायी जातीं तो अच्छा था। इस सम्बन्ध में समय समय पर केन्द्रीय सरकार से भी हमारी लिखापढ़ी होती रहती है। लेकिन जो कानूनी सूरत है उसके होते हुये हम विवश हैं। सेंसर बोर्ड से जो फिल्म पास कर दी जायं, जिन पर मोहर लगा दी जाय "पास्ड बाई सेंसर बोर्ड" उसके सम्बन्ध में हम इस किस्म की राय नहीं दे सकते कि फिल्म अच्छी नहीं है। इसको नहीं दिखलाना चाहये। हम में से किसी की निजी राय भले ही हो। लेकिन फिल्म पास हो गयी केन्द्रीय सरकार के कानून के अनुसार तो वह चाहे जिस प्रकार की फिल्म हो तो इस विषय में अगर हम कोई संशोधन करना चाहें तो हमारा संशोधन अल्ट्रावायरस हो जायगा। हम मजबूर हैं। हम उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते चाहे धार्मिक प्रकार क. फिल्म हो या इम्मारल प्रकार का फिल्म हो। एक ही अख्तियार है। वह अख्तियार १९१८ से चला आ रहा है। इस वक्त भी है और आगे भी रखना चाहिये। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, इस बात को देख कर, कल माननीय जगन्नाथ मल्ल जी का यह ख्याल था कि ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिये, लेकिन थोड़ा सा विचार करने पर मालूम होगा कि उसकी जरूरत है। कुछ माननीय उपाध्याय ने बतलायी भी कि उसकी कैसे जरूरत हो सकती है। एक और बात होती है। कभी कभी फिल्म के सम्बन्ध में कुछ न कहते हुये उसको रोकने की जरूरत आ पड़ती है। ला ऐंड आर्डर की दृष्टि से जो लोग फिल्म पास करते हैं उन की निगाह में फिल्म अच्छी हो सकती है, कोई कम्युनल बात न हो उनकी निगाह में। लेकिन कभी कभी ऐसी आवश्यकता पैदा हो सकती है और हुयी है, उदाहरण के लिये शिव पार्वती फिल्म। मैंने फिल्म देखा तो नहीं, लेकिन उसकी तस्वीरे देखी हैं। कई जगहों पर आपत्ति की गयी कि फिल्म में शंकर पार्वती का जो चरित्र दिखाया गया है उससे हिन्दुओं को आघात होता है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आपत्ति की। और ऐसा ख्याल हुआ कि कहीं लोग सिनेमाओं में न घुस जायं। तो ला ऐंड आर्डर की दृष्टि से उसको रोकना पड़ा। एक जगह ऐसा हुआ कि मुसलमानों ने शिकायत की कि इ फिल्म में इस्लाम धर्म के बारे में बात आती है। तो ऐसी बातें पैदा हो जाती हैं कि कहीं पर शुद्ध ला ऐंड आर्डर की दृष्टि से इस बात की जरूरत होती है, और खुद सिनेमाघर सुरक्षा की दृष्टि से इस बात की जरूरत होती है कि उसको रोक दिया जाय। इसलिये यह अधिकार रहना चाहिये।

इस सम्बन्ध में कई बातें कही गयीं कि लाइसेंसिंग अथारिटी कौन होगा। इतना मैं सुन पाया कि अधिकांश लोगों का ख्याल है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होना चाहिये। उसके अलावा कोई और अधिक रीहै नहीं। उसके सम्बन्ध में जो शुबहा किया गया मुझे उसे सुनकर दुख हुआ। कल अपनी स्पीच में हमारे एक मित्र ने देहाती सी एक मिसाल दी थी और बहुत ठीक दी थी मिसाल बनवासी जी ने। उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सम्बन्ध में ऐसी बात कहना वैसा है जैसे कोई यह शिकायत करे कि किसी बारात में जैसे किसी की लाख रुपये हैसियत है और कोई यह कहे कि वह तवा लेकर भाग गया। उसके हाथ में लाखों का खर्च होता है, बल्कि ज्यादः और एक जिला जिसमें कई लाख आदमी रहते हैं उनकी जानमाल इज्जत की रखवाली उसके सुपुर्द रहती है। साधारण आदमी नहीं होती, पढ़ा लिखा होता है कई वर्ष सर्विस करने के बाद तब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाया जाता है। इतनी जिम्मेदारी उसके सुपुर्द रहे और तब हम पब्लिकली यह कहें कि किसी सिनेमा मैनेजर से पास की बाबत झगड़ा हो जायगा और पक्षपात करेगा। तो जरा सोचना चाहिये अपने राष्ट्र के चरित्र का हम क्या विज्ञापन कर रहेहैं, बाहर के आदमी क्या कहेंगे कि यहां पर इतने पढ़े लिखे आदमी जिनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी डाली जाती है वे इतने पतित हैं कि पास के

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

सम्बन्ध में रक्षा की जायेंगे और सिनेमा के साथ ज्यादती कर जायेंगे। इसके सिवाय और कुछ नहीं कह सकता। यदि सचमुच हमारा चरित्र इतना ही गिरा हुआ है तो हम सर्वथा स्वराज्य के अयोग्य हैं, और दूसरी बात नहीं कह सकता।

कमिश्नर का जिक्र किया गया। कमिश्नर ऊंचा अफसर होगा। लेकिन अगर हम गिरे हुए हैं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक जिले में देखने का मौका है, कमिश्नर को ५ जिलों में। और मैं अपनी बाबत कह सकता हूं मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे जिलों में जो अधिकांश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनसे मेरा चरित्र ऊंचा है। मैं ऐसी शेखी की बात नहीं करता। तो यह तो कोई बात हुयी नहीं कि कमिश्नर कोई होगा तो बहुत ऊंचे दर्जे में उठकर बात करेगा। अगर ऐसी ही बात है तो मैं सारे सूबे में सिनेमा देख सकता हूं। एक बात का जिक्र किया गया, हमको इस बात का काफी अनुभव है। पहले भी लाइसेंसिंग कमेटी रह चुकी हैं और जो अनुभव हुये उन्हीं के आधार पर हमने लाइसेंसिंग कमेटी को तोड़ दिया। एक आदमी के ऊपर जिम्मेदारी डालना आसान होता है। लेकिन किसी बोर्ड या किसी कमेटी जिसमें कि आफिशियल्स के अलावा नान-आफिशियल्स हों उनसे गवर्नमेंट कोई जवाब तलब नहीं कर सकती है। ऐसा होते हुये जिनके ऊपर जिन अफसरों के ऊपर हमने जिम्मेदारी डाली उनके अलावा और कोई नहीं हो सकता जो कि स्थानीय परिस्थितियों से पूरे तौर से वाकिफ हो और इस काम को कर सके।

दो तीन बातें कुछ ऐसी कही गयीं कि उनको शायद भ्रम हुआ। ऐसा कहा गया जैसे यह इसमें कुछ बातें छूट गयी हैं कि स्कूल इत्यादि के पास सिनेमा न रखा जाय। छूट कुछ नहीं गया। यह तो ऐलीमेंटरी बात है। जहां सिनेमा का कानून बनता है वहां इस बात को ध्यान में रखा जाता है और जो काम करने जा रहे हैं कोई ऐसा अनोखा काम नहीं है जो कहीं न हो। मैं माननीय सदस्यों को निमंत्रण देता हूं देखें। दूसरे देशों में देखें। आपके देश में सेंट्रल ऐक्ट बना है। यह चीज ऐक्ट में नहीं लिखी जाती है, रूल्स में लिखी जाती है। सन् १९१८ के अनुसार जो रूल्स बने थे यह लिखा हुआ है और जाहिर बात है आगे जब कानून बनेगा तो कानून के पास होने के बाद उनमें यह चीज ज्यों की त्यों रख दी जाय। रूल्स में साफ लिखा हुआ है :

"7(2) No building except that already licensed at the date this rule comes into force shall be licensed for cinematograph exhibition if it is situated,—

(*a*) within a radius of one furlong from—

(*i*) any residential institution attached to a recognized educational institution such as a college, a high school or girls school; or

(ii) a public hospital with a large indoor patient ward; or

(iii) an orphanage containing one hundred or more inmates

जब रूल्स बनेंगे जैसे सन् १९१८ के रूल्स चले आ रहे हैं, और रूल्स में क्यों लिखा जाता है, ला में क्यों नहीं लिखा जाता ? उसकी वजह है समाज की परिस्थिति बदलती रहती है, समाज में आज एक किस्म की बिल्डिंग की रक्षा करने की जरूरत होती है, लेकिन कानून रोज नहीं बदला जा सकता। उदाहरण के लिये मुझे मालूम है पिछले ५,७ वर्षों के अन्दर अमेरिका में अपने यहां परिवर्तन करना पड़ा। मसलन जब से एटौमिक ऐक्सपेरीमेंट हो रहे हैं उनकी अलग अलग लेबोरेटरीज हैं। तो वहां उन लेबोरेटरीज के आस पास यह जरूरी समझा कि किसी प्रकार की भीड़ न लगे तो उनको कानून बन ना पड़ा। हमारे यहां भी कोई जरूरत पैदा हो सकती है। इसीलिये किसी समय किसी बिल्डिंग स्कूल की रक्षा करने की बात को ध्यान में रखते हुये रूल्स में वह चीज रखी जाती है और वह मौजूद है। ऐसा नहीं कि उस तरफ हमारा ध्यान कुछ नहीं गया। एक चीज का जिक्र नारायणदत्त जी ने किया था कोई अश्लील विज्ञापन वगैरह निकलने की बाबत ऐसा नहीं है कि उसका प्रबंध नहीं है। उसका भी प्रबन्ध है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को याद होगा बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है, एक कानून यहां पास किया गया था आवश्यक

ऐडवरटाइजमेंन्ट्स के सम्बन्ध में वह कानून सभी जगहों के लिये है जहां पर अश्लील विज्ञापन होता हो, उन सबको वह कवर करेगा चाहे वह सिनेमाघर हो चाहे और कोई जगह हो। तो हर कानन में अलग-अलग इसे लिखने को जरूरत नहीं है। यह तो एक व्यापक कानून है और कहीं भी अगर अश्लील ऐडवरटाइजमेंट होगा तो वह जरूर इस से कवर हो जायगा।

दो एक चीजों का और जिक्र हुआ। मसलन् यह कि हमने जो नियम बनाये हैं उनका पूरे-पूरे तौर पर पालन नहीं होता, इनका पूरे-पूरे तौर पर पालन कर ने का प्रबंध होना चाहिये। तो एक तरीका यह हो हो सकता है कि अलग इंस्पेक्टर्स उसके लिये रखे जांय। वह हमनें नहीं रखा यह ठीक है। लेकिन दो वजहों से वह हमने नहीं रखा। एक वजह तो यह कि जितने ये सोशल कानून होते हैं, इनमें हमारी हमेशा यह नीति रही है कि जो सोशल लेजिस्लेशन हो उसमें बहुत ज्यादा लोगों को तंग नहीं करना चाहिये क्योंकि हमारी जो आदतें होती हैं, वह धीरे-धीरे बदलती हैं। मसलन इसी सदन में हमने एक कानून पास किया शाप्स ऐंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट, उस में नियम है कि दूकान कितने बजे खुलनी चाहिये और इतने बजे तक बन्द हो जानी चाहिये। अब हम लोग जैसे हैं हम में से कितने आदमी घड़ी लेकर चलते होंगे, यह अगर कहा जाय कि दूकान खुलनी चाहिये थी आठ बजे तो ८ बजने में ५ मिनट हैं तभी क्यों खुल गयी या बन्द हो जानी चाहिये थी रात के दस बजे तक तो दस बजकर १५ मिनट पर क्यों बन्द हुयी, तो यह इसको किस हद तक जुर्म माना जा सकता है। यह सब चीजें धीरे-धीरे ठीक होती हैं। वैसे ही यह हमारा सिनेमा सम्बन्धी भी कानून है। बड़े बड़े शहरों में आम तौर पर स्मोकिंग वगैरा बन्द हो गया है और जगहों पर भी धीरे धीरे यह चीजें हो ज यंगी। सोशल कानूनों में हमने यह तरीका जरूरी नहीं समझा कि इंस्पेक्टर्स वगैरह रखे जांय क्योंकि अगर इंस्पेक्टर रखा जायगा तो वह अगर और कुछ नहीं तो अपनी कारगुजारी दिखाने के लिये ही सही, दो चार आदमियों पर जुर्माना तो करेगा ही, तो ख्वामख्वाह लोगों को इस तरह अपनी कारगुजारी दिखाने का मौका न दिया जाय इसलिये यह चीज हमने नहीं रखी। और दूसरी बात यह है कि खर्चा भी होता है इसमें। परन्तु यदि सदन चाहता है कि इंस्पेक्टर रखे जायं तो वह हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट को उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन हमने यह समझा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में धीरे धीरे यह ठीक हो जायगा।

नारायणदत्त जी ने एक यह सवाल उठाया था कि इसमें जो एग्जम्पशन देने का अख्तियार दिया गया है वह गवर्नमेंट को क्यों दिया गया है। उसके विषय में एक बात तो और कहनी हो चाहिये कि गवर्नमेंट के ऊपर सुबहा करने से कैसे काम चलेगा। जिस गवर्नमेंट के हाथ में करोड़ों रुपये आपने खर्च करने को रखे हैं और इतने अधिकार दे रखे हैं कि अगर गलत काम वह करना चाहे तो कहां तक देखभाल उसकी आप कर सकेंगे लेकिन बात यह है कि जीवन इतना काम्प्लेक्स होता है कि हर जगह यह अख्तियार रखना पड़ता है। इस किस्म के अधिकारों से काम लिया भी गया है। इस तरह के जो रोज सिनेमा चलते रहते हैं जिनका कि अभी नाम लिया गया पिलपिली साहब, श्री चार सौ बीस या झनक झनक पायल बाजे, जो भी हो उनके लिये तो यह नहीं है लेकिन कभी कभी ऐसी फिल्म भी आती हैं जैसे इंडो–चाइना फ्रेंडशिप, इंडोरशन फ्रेंडशिप, इनको अगर कोई टाउनहाल में कोई एशोसियेशन दिखलाना चाहत है, किसी स्कूल में कोई दिखलाना चाहता है तो ऐसी जगहों में जो सिनेमा हाउसेज के नियम हैं मानी हुयी बात है उनका पालन नहीं हो सकता। एजूकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहां कोई एजूकेशन फिल्म दिखलानी हो तो वहां उन नियमों का पालन तो नहीं हो सकता। इसलिये जहां ऐसी फिल्मों के दिखलाने की बात होती है वहां एग्जम्पशन देने का अधिकार होना ही चाहिये। नहीं तो फिर इस किस्म की खास खास फिल्स के लिये कोई जरिया नहीं रह जाता। तो इस अधिकार से पिछले मर्त्तबे काम भी लिया गया है ऐसी और फिल्मों के लिये और मैं हाउस को यह विश्वास दिलाता हूं कि यही इसका मतलब है और कोई मतलब नहीं।

एक दो बातें और हुयी हैं। नौ बजे के बाद कोई फिल्म न दिखायी जाय और एक दूसरा सजेशन यह है कि उनको मजबूर किया जाय कि हेल्थ वगैरह के फिल्म वह दिखलायें। मजबूर

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

करने वाली बात तो लाइसेंस के वक्त ली जा सकती है लेकिन पहले ऐसी फिल्म्स हैं कहां । तो पहले तो ऐसी फिल्में नहीं हैं जिनके लिये उनको मजबूर किया जाय । एक सवाल यह हो सकता है कि गवर्नमेंट को शिक्षा वगैरह के सिलसिले में अच्छी अच्छी फिल्में तैयार करानी चाहियें । लेकिन एक तो उसके लिये पैसे की दिक्कत है और दूसरे उत्तर प्रदेश उन प्रदेशों में नहीं है जहां फिल्म इंडस्ट्रीज हैं । बम्बई कलकत्ता, मद्रास ऐसे शहर हैं जहां फिल्म इंडस्ट्रीज हैं । जहां पर फिल्म इंडस्ट्री वाली फिल्म्स नहीं हैं तो हमको तैयार करने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं । पर जितना भी फिल्म तैयार करा सकें हैं, या जल्दी में तैयार कर लेंगे वह बहुत कम है । इसलिये अगर हम उनको मजबूर करें कि तुम को इतना दिखलाना ही होगा तो वह कैसे दिखलायें ? वह है कहां ? सिनेमा हाउस तो फिल्म तैयार नहीं करते, दूसरे लोग तैयार करते हैं, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बनावे कि जो फिल्म बनाने वाली कम्पनियां हैं उनको इतना परसेंट अवश्य बनाना होगा तब तो वह मौजूद रहें और वह दिखा सकेंगे । लेकिन अगर हम यही कर देंगे और उनके पास दिखाने को कोई चीज नहीं होगी तो सारी चीज बेकार हो जायगी ।

९ बजे के बाद बन्द करने की बात कही गयी । ९ बजे के बाद चलने में खराबियां हो सकती हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है कि हिन्दुस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री दुनिया की फिल्म इंडस्ट्रीज है जो सब से बड़ी हैं, उनमें एक है । हमारी आबादी भी बहुत है और कई पास-पड़ोस के देश हैं । मसलन पाकिस्तान है, वहां हमारे फिल्म जाते हैं । आज जैसी दुनिया है उसको देखते हुये मानना होगा कि रिक्रिएशन के कुछ न कुछ साधन जनता के पास होने चाहियें और गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि जितना जनता के लिये रिक्रिएशन के साधन का प्रबंध करे । एक साधन सिनेमा भी है, इसमें संदेह नहीं है । जाहिल और बिना पढ़े लोग ही नहीं पढ़े लिखे आदमी सिनेमा देखने जाते हैं । अगर ९ बजे बन्द करने की बात की जाय तो एक बात का ख्याल रखना होगा कि हमारी आबादी का एक अच्छा खासा हिस्सा है जोकि ९ बजे के पहले देख ही नहीं सकता । जैसे शाप्स एंड कामर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, वह ९–१० बजे बन्द होते हैं वह बहुत अच्छा खासा सेक्शन है । अगर रात को फिल्म देखने का मौका उसे न मिले तो कोई मौका उसे मिलता नहीं है और उसमें एक दिक्कत पैदा हो जायगी । तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये यह तो नहीं कर सकते कि रोक दें कि रात को फिल्म दिखाये ही न जायं । मजबूरी है ।

मैंने जो मुख्य मुख्य बातें यहां कही गयीं थी उनको समझाने की कोशिश की है कि किन वजहों से इस विधेयक को हमने रखा है और उसका यह रूप है । मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो खास-खास बातें हैं उनका ध्यान इसमें रखा गया है ।

एक चीज का और जिक्र किया गया है कि जो सजा रखी गयी है वह बहुत ज्यादा है । इसमें यह रक्खा गया है कि एक हजार रुपया तक जुर्माना और पांच सौ रुपया रोज तक जुर्माना जब तक वह चीज ठीक न हो जाय । यह नारायणदत्त जी के ख्याल से ज्यादा है और रामेश्वरलाल जी के विचार से बहुत कम है । उनका कहना है कि जेलखाने तो जरूर ही भेजना चाहिये, क्योंकि ये बड़े रुपये वाले होते हैं, खाली जुर्माने से क्या होगा ? सजा की बाबत यह है कि इसमें अपटु फाइव हंड्रेड कहा है । जो सजा देने वाला होगा, वह अपने डिस्क्रेशन से काम लेगा कि जो जुर्म है वह कैसा है । एक कानून यह है कि खिड़की कितनी चौड़ी होनी चाहिये । फर्ज कीजिये ४ फिट चौड़ी होनी चाहिये थी और वह तीन इंच कम हुयी और उसको दुरुस्त करने में समय लगता है, तो एक अपराध यह भी होता है । और एक बड़ा अपराध होता है । तो "पांच सौ तक" रखने में उसमें गुंजाइश हो जाती है । अगर कम कर दें तो जो बड़े अपराधी होंगे उनको बच जाने का मौका रहेगा । तो इसमें यह है कि जब तक पूरा काम नहीं होता तब तक पांच सौ रुपया रोज तक जुर्माना हो सकता है । अब उसको अधिकारी तय करेंगे । अगर घटाकर हमने सौ रुपया कर दिया तो जहां ५० रुपया जुर्माना होना चाहिये वहां ५ रुपया होगा । तो इसमें गुंजाइश रहेगी ।

मैंने जो निवेदन किया है उस पर गौर करने के बाद संशोधन पेश करने वालों को स्वयं मालूम होगा कि जो कई संशोधन रखे गये हैं उनकी आवश्यकता नहीं है और उन संशोधनों से विधेयक में कोई खास प्रगति नहीं होती, यह कोई खास तरक्की नहीं करता। इतना ही नहीं बल्कि यह दूसरे सदन से पास हो कर आ गया है, अगर इसको हम जल्दी से यहां पास कर दें तो यह कानून हमारे स्टेट्यूट बुक में आ जाय और जो कमी है वह पूरी हो जाय। सिद्धांत की बात तो दूसरी है लेकिन वैसे अगर इसमें कोई परिवर्तन हुआ तो इसके माने यह हैं कि इसे फिर वहां जाना होगा और यह दो वर्ष से रुका हुआ है, सन् १९५४ से। अगर यह चीज चालू हो जाय तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ और ३

परिभाषाएं

२---इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के प्रतिकूल कोई बात न होने पर---

(क) "चल-चित्र यंत्र" (cinematograph) के अन्तर्गत चलने वाले चित्रों अथवा चित्रावलियों (series of pictures) के प्रदर्शन के नियमित्त यंत्र (apparatus) हैं;

(ख) "अध्यासी" (occupier) के अन्तर्गत प्रबन्धक अभिकर्ता (managing agent) अथवा अध्यासी के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकृत अथवा उसकी ओर से स्थान का अवधान (charge), प्रबन्ध अथवा नियंत्रण रखने वाला अन्य व्यक्ति है;

(ग) "स्वामी" के अन्तर्गत, जब यह किसी स्थान के अभिदेश में हों, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अध्यासी से किराया पाता हो अथवा उसके पाने का अधिकार रखता हो;

(घ) "स्थान" के अन्तरर्गत गृह, इमारत खेमा अथवा अन्य कोई ढांचा (structure) तथा किसी भी प्रकार का परिवहन (transport) चाहे कुछ भी हो, है;

(ङ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है; तथा

(च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उस उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

चल-चित्र लाइसेंस

३---उस स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम में अन्यथा की गई हो कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त स्थान से भिन्न किसी स्थान पर अथवा ऐसे लाइसेंस द्वारा आरोपित शर्तों और निरोधों (conditions and restrictions) का अनुपालन किये बिना चल-चित्र यंत्र (cinematograph) द्वारा प्रदर्शन नहीं करेगा। प्रदर्शनों का होगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी।

४—इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने का अधिकार रखने वाला प्राधिकारी [जिसे यहां पर आगे चल कर लाइसेंस प्राधिकारी (licensing authority) कहा गया है] डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के समस्त राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिये ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसे वह विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये लाइसेंस प्राधिकारी का कार्य करने के लिये संविहित (constitute) कर सकती है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

खंड ४ की प्रथम पंक्ति के शब्द "इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस" से लेकर "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि" तक निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, एक शाब्दिक संशोधन और है कि इसी खंड ४ की ५ वीं पंक्ति में जो अन्तिम शब्द "अन्य" है वह भी निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, मेरा उद्देश्य जिला मैजिस्ट्रेट को लाइसेंसिंग अथारिटी न बनाने का उनके चरित्र से संबंधित नहीं है जैसा कि शायद अपने भाषण में माननीय मुख्य मंत्री ने बतलाया। मैं किसी तरह से यह कहने का साहस नहीं करता कि जिला मैजिस्ट्रेटों का चरित्र आमतौर पर हम लोगों से कम है बल्कि उनके पास काम इतना अधिक है कि इस अधिनियम के अनुसार जो लाइसेंसिंग अथारिटी के कर्त्तव्य हमने निर्धारित किये हैं उनको देखते हुये वे किसी प्रकार इस काम को सम्पन्न नहीं कर सकते। मेरी जिन जिला मैजिस्ट्रेटों से स्वयं बात हुई है उनका कहना है कि वे काम की वजह से इतने परेशान हैं कि कुछ कहना नहीं। तो योग्य से योग्य आदमी भी उस काम को नहीं कर सकता है अगर हम चाहें कि वह वास्तविक रूप से उस कार्य को सम्पन्न कर सके और उसकी देख रेख कर सके। मेरा जो निवेदन है वह इससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वयं सरकार को इस विधेयक में आवश्यकता महसूस हुई है कि वह जिला मैजिस्ट्रेट के अलावा दूसरे आदमी को भी लाइसेंसिंग अथारिटी नियुक्त करने की शक्ति मांगे और ऐसा मालूम होता है कि जिला मैजिस्ट्रेट के अलावा दूसरा आदमी भी लाइसेंसिंग अथारिटी हो सकेगा। तो मैं यह चाहता हूं कि सरकार के हाथ में लाइसेंसिंग अथारिटी नियुक्त करने की शक्ति रहे। अब सम्भव है कि लखनऊ में जिला मैजिस्ट्रेट अन्य कार्यों की अधिकता के कारण, क्योंकि प्लानिंग से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के सारे कार्य उनके जिम्मे रहते हैं, यह कार्य न कर सके, लेकिन जहां एक ही सिनेमा हो वहां जिला मैजिस्ट्रेट के लिये यह करना आसान होगा। तो सरकार के हाथ में ताकत फिर भी मौजूद रहेगी। अगर सरकार किसी विशेष जिले के लिये जिला मैजिस्ट्रेट को ही नियुक्त करना चाहे तो कर सकती है और किसी जिले की स्थिति को देखते हुये, जैसे कानपुर है, वहां अगर जिला मैजिस्ट्रेट के अलावा डी० एस० ओ० को चाहे, चूंकि उसके पास काम कम रहता तो उसको नियुक्त कर दे। या सेंट्रल ऐक्ट की परिभाषा में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की परिभाषा में कमिश्नर आफ़ पुलिस भी शामिल कर लिया गया है। १९५२ के सेंट्रल ऐक्ट में धारा २ की उपधारा (*d*) में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सिलसिले में यह है कि :—

"District Magistrate in relation to a Presidency town means the Commissioner of Police."

इससे यह स्पष्ट होता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अलावा कमिश्नर पुलिस भी प्रेसीडेंसी टाउन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में हो सकता है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस ऐक्ट की हम नकल कर रहे हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही अकेले लाइसेंसिंग अथारिटी नहीं बना रहे हैं, बल्कि प्रेसीडेंसी टाउन्स में कमिश्नर पुलिस को भी माना गया है और सरकार के हाथ में यह ताकत है कि वह दूसरे व्यक्ति को भी लायसेंसिंग अथारिटी नियुक्त कर सकती है और फिर जो हमारे यहां १९५१ के सिनेमोटोग्राफी रूल्स लागू हैं। उसके नियम २ की परिभाषा ७ में यह है कि :—

"Licensing Authority means an Officer appointed as such by the Government by notification in the official Gazette for a specified area."

यह जो नियम हमारे यहां लागू है उसमें यह परिभाषा रखी गयी है। मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन से सरकार के उद्देश्य में कोई हानि नहीं होती है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो काम से दबा हुआ है उसको भी रिलीफ पहुंच सकती है। खास तौर से ऐसे शहरों में जहां सिनेमा घर बहुत ज्यादा हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियंत्रण नहीं कर सकते हैं वहां दूसरी लाइसेंसिंग अथारिटी रखने की गुंजायश हो सकती है। इसलिये मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

पुलिस उप-मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने जो संशोधन रखा है उससे मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जो वह चाहते हैं उसकी पूर्ति कहां तक हो सकती है। जब कोई कानून बनता है तो साधारण स्थिति के लिये बनता है। साधारण तौर पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस स्थिति में होता है कि लाइसेंस देने के लिये जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है वह पालन हुई या नहीं इसको वह आसानी से देख सकता और पता लगा सकता है। अगर कमिश्नर के सुपुर्द यह काम किया जाय तब उसको भी उन्हीं साधनों से काम लेना होगा और इसमें देर होगी। सरकार के ऊपर आक्षेप भी होगा कि यहां तो लाल फीते का जोर है। मैं समझता हूं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में इस धारा में जो शब्द हैं उनसे उनकी इच्छा पूरी हो सकती है और उनके संशोधन की आवश्यकता महसूस नहीं होती।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन् मुझे दुख है कि माननीय उपमंत्री जी के निवेदन से मैं सहमत नहीं हूं। अगर सरकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही लायसेंसिंग अथारिटी बनाना उपयुक्त समझती तो फिर प्रोविज रखने की आवश्यकता नहीं होती। इसके द्वारा सरकार महसूस करती है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कुछ शर्तों पर या विशेष स्थितियों में कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिये समस्त राज्य के लिये अलग भी नियम हो सकता है और जहां तक मुझे सूचना है वह यह है कि आज भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अलावा लायसेंसिंग अथारिटीज मौजूद हैं। इसलिये मेरा संशोधन अधिक मौजूं है और सरकार के हाथ में शक्ति भी सुरक्षित रहती है और विधेयक में जो द्वैधवृत्ति आ गई है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लायसेंसिंग अथौरिटी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है तो यह डुप्लिजम हो जायगा। इसको रोकने के लिये मेरा संशोधन है। इस अधिनियम के अधीन लायसेंस देने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को होगा और बाकी के लिये आप चाहते हैं फिर रखेंगे। इससे अधिक स्पष्ट मेरा संशोधन है। इसलिये मैं इसको वापस लेने में असमर्थ हूँ।

श्री जगनप्रसाद रावत—मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। मैं संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ की पंक्ति १ के शब्द "इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस" से लेकर "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि" तक निकाल दिया जाय और पंक्ति ५ में जो अन्तिम शब्द "अन्य" है वह भी निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--माननीय, मैं आप की आज्ञा से निम्न-लिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं---

खंड ४ की पंक्ति ३ के शब्द "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "कमिश्नर" रख दिया जाय।

माननीय, मेरे संशोधन के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने विचारों को पहले से ही प्रस्तुत कर दिया है इसलिये तलाश होने की संभावना मेरे लिये है ही। परन्तु फिर भी मैं माननीय मंत्री जी के तर्क से सहमत नहीं हूँ। मैं यह समझता हूं कि मंत्री जी ने जो अध्यात्मवाद की शिक्षा अभी हमें दी है मैं उससे सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि जिलों के जो जिलाधीश हैं उनसे वह अपने को अच्छा नहीं समझते, बुरा समझते हैं.....

श्री अध्यक्ष---बुरा समझते हैं यह नहीं कहा। अपने को अच्छा नहीं समझते यह कहा है।

श्री रामेश्वर लाल---माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जो जिलाधीश हैं उनसे वह अपने को अच्छा नहीं समझते। यह तो अपने देश की परिपाटी है और अपने देश में अधिकतर लोग कहा करते हैं और इसे बहुत ऊंचा आदर्श मानते हैं। वह कहते हैं कि "बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दीखा कोय, जो मन ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोय।" तो माननीय मंत्री जी ने उसी को चरितार्थ किया। यह कहने में तो शोभा की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी आदर्श को हजारे सहस्यगण भी मानें तो हम ५१ जिलाधीशों का ही नहीं बल्कि और हजारों और लाखों व्यक्तियों को अपने से अच्छा मानने लगेंगे। मैं मानता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी लाखों में एक हैं। नारायणदत्त जी कह रहे हैं कि करोड़ों में एक हैं। मैं इस बात को मानता हूं। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हटा कर कमिश्नर को रख दिया जाय इस पर अगर हम गौर से देखें तो हम पायेंगे कि जिले में जिलाधीश के पास बहुत काम है और जिसकी चर्चा अभी माननीय राजनारायण जी ने अपने भाषण में की। जिले के सारे कामों की जिम्मेदारी जिलाधीश की है। माननीय मंत्री जी मैं चाहूंगा कि स्पष्ट करें कि क्या कमिश्नर के पास भी इतना ही काम है। यह सत्य है कि कमिश्नर के पास भी जिम्मेदारी का काम है और बड़ी जिम्मेदारी का काम है लेकिन उसके पास उतनी रेस्पांसिबिलिटी नहीं है जितनी कि एक जिलाधीश के पास होती है। तो इस प्रकार का संशोधन उनके लिये, शासन के लिये और लाइसेंस प्राप्त करने वालों के लिये भी सुविधाजनक होगा। एक और बात है, देवरिया जिले में बार्डर के पास मेरा घर है। वहां एक बार एक सभा होने वाली थी। बिहार के कुछ नेता बार्डर के पास ही एक सभा करने वाले थे लेकिन चूंकि वहां दफा १४४ लगा दी गई तो उन्होंने पास ही यू० पी० में पड़ने वाले एक मैदान में अपनी सभा कर ली और बिहार के सारे लोग आकर उस सभा में सम्मिलित हुये। तो देवरिया के जिले में बार्डर पड़ता है या देवरिया और गोरखपुर पर बार्डर पड़ता है देवरिया के बार्डर पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देवरिया ने यह रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि कोई सिनेमाघर इस स्थान पर सिनेमा प्रदर्शित नहीं कर सकता है और उस स्थान से लगा गोरखपुर जिले के किसी स्थान पर अगर वह चलचित्र प्रदर्शित करता है जिससे हमारे बच्चों पर या देखने वालों पर बुरा प्रभाव पड़ता है या इसी तरह की बुरी भावना फैलती है जो बुरी है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देवरिया उसको बन्द नहीं सकता है। उसको गोरखपुर के जिलाधीश को लिखना पड़ेगा और तब तक वह चलचित्र का प्रदर्शन समाप्त भी हो जायगा। तो मैं यह समझता हूं कि अगर कमिश्नर हो जाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के स्थान पर, तो उस को यह असुविधा नहीं होगी। वह पूरी अपनी कमिश्नरी में कम से कम जिनमें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१२, १४ जिले होंगे उन सारे जिलों में उसको जुरिस्डिक्शन प्राप्त होगा। उसको इस तरह की अड़चन नहीं आयेगी जिस तरह की अड़चन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आयेगी। कमिश्नर को उस अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिये मैं समझता कि हूं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के स्थान पर कमिश्नर होना ज्यादा उचित है और उसको लाइसेंसिंग अथारिटी बनाया जाय। मैंने आज भी और कल भी इस बात की शंका प्रकट की थी कि जिलाधिकारी बिना टिकट के सिनेमा देखते हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि इस इन्टरटेन्मेंट टैक्स में बराबर कमी होती गयी? माननीय मंत्री जी को मालूम होगा कि पिछले साल से इस साल और पिछले साल से उसके पहले साल बराबर इन्टरटेन्मेंट टैक्स में कमी होती गयी है। हमारे माननीय सदस्य सब जानते हैं कि लेबर क्या सभी अध्यापक मजदूर दुकानदार सिनेमा देखते हैं और उनमें कोई भी आदमी इन्टरटेन्टमेंट टैक्स से बरी नहीं होता। उसमें कुछ बड़े लोग होते हैं जिनको यह टैक्स नहीं देना पड़ता और सिनेमावाले उनको मुफ्त ही सिनेमा दिखाते हैं। अगर यह बात सही है तो माननीय मंत्री जी को मानना पड़ेगा कि कुछ लोग सिनेमा जरूर मुफ्त देखते हैं। अगर इस बात के लिये माननीय मंत्री जी तैयार हों कि सब को सिनेमा मुफ्त दिखाया जाय तो यहां एम० एल० एज० को मुफ्त सिनेमा दिखाने का प्रबन्ध किया जाय। अगर जेल विजिटर की तरह से कुछ को हीं बना दिया जाय तो हम कम से कम बदनामी तो नहीं करेंगे क्योंकि पास हमारे पास घर पर ही पहुंच जाया करेगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामेश्वर लाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन पर कि जिलाधीशों की जगह पर कमिश्नर को लाइसेंसिंग अथारिटी करार दिया जाय, अपने विचार प्रकट कर रहा था। मान्यवर, मैं इसलिये चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लाइसेंसिंग अथारिटी न हो और कमिश्नर लाइसेंसिंग अथारिटी हो क्योंकि इसके लिये मेरे पास काफी तर्क हैं। सब से पहली बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने जिले का आला अफ़सर होता है। यदि कोई आला हाकिम कोई ग़लती कर दे तो फिर उसके नीचे काम करने वाले जो आफीसर्स होंगे उनमें भी ग़लती करने की प्रवृत्ति हो जायगी क्योंकि जब बड़े लोग ही ग़लती करेंगे तो छोटे लोग ईमानदारी को किस प्रकार निभा सकेंगे? इसलिये यही मुनासिब समझा गया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जगह पर कमिश्नर लाइसेंसिंग अथारिटी हो। मानन्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे इस संशोधन के संबंध में अपने भाषण में यह बताया कि दुनिया वाले क्या कहेंगे कि उनके हाकिमों के बारे में विधान सभा के सदस्यों की इतनी बुरी राय है। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की यह बात सही है लेकिन आज दुनिया की बात कहने का एक फैशन हो गया है। हमें छोटी-छोटी बातों को भी दुनिया की कसौटी पर कसने की आदत हो गयी है। क्या जब कलेक्टर ग़लती करते हैं, जब भ्रष्टाचार करते हैं तब उनसे दुनिया वाले कुछ नहीं कहते। क्या दुनिया वाले उस वक्त कुछ नहीं कहते जब सोना तो क्या मिट्टी भी चुरायी जाती है और उनके यहां मिलती है। जब बांधों के सम्बन्ध में लोगों के घरों की तलाशी ली गयी तो उनके घरों में सीमेंट और लोहा निकला लेकिन इस पर क्या दुनिया वालों ने कुछ नहीं कहा। इसलिये हम कहते हैं कि कलेक्टर्स लाइसेंसिंग अथारिटी न रहें बल्कि कमिश्नर्स लाइसेंसिंग अथारिटी रखे जायं। जब हम ऐसा कहते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि दुनिया वाले क्या कहेंगे? सरकार उस पर क्यों नहीं विचार करती जब गजटेड अधिकारियों पर मुकदमें चलते हैं, वे सजा पाते हैं। तो इस प्रकार से दुनिया की बातें कर के दुनिया को प्रलोभन में डाल कर जनता को पीसने का एक फैशन सा हो गया है। मुझे तो इस संशोधन को प्रस्तुत करने की प्रेरणा इसी विधेयक से मिली है। इस विधेयक के खंड ४ में जो प्रतिबंधात्मक वाक्य है उसमें लिखा हुआ है:—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के समस्त राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिये ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसे वह विज्ञप्ति में

[श्री रामेश्वर लाल]

निर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये लाइसेंस प्राधिकारी का कार्य करने के लिये संविहित कर सकती है।"

तो मैंने सोचा कि १५–१६ जिलों में कमिश्नर रहता है। जब सरकार समझती है कि सारे राज्य के लिये एक लाइसेंसिंग अथारिटी हो सकती है लिहाजा उसी से मुझे यह प्रेरणा मिली कि अगर उसके बजाय ६–७ या ८ लाइसेंसिंग अथारिटी हो जायं तो कोई बुरी बात नहीं है। इस प्रकार का जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया। आगे भी आप देखेंगे कि खंड ६ में रखा गया है कि अगर कहीं शान्ति भंग हो जाय और जिलाधीश अगर इस नतीजे पर पहुंचे कि किसी चलचित्र के प्रदर्शन से वहां की शांति भंग हो रही है तो वह उस जगह प्रतिबन्ध लगा देगा। मिसाल के लिये मान लीजिये कि यहां लखनऊ के जिलाधीश को किसी खास चलचित्र के प्रदर्शन से अगर शान्ति भंग होने का खतरा दिखाई देगा तो उसको अधिकार होगा कि वह यहां पर उस चलचित्र पर प्रतिबन्ध लगा दे और वह उसका चलना यहां रुकवा सकेगा। लेकिन अगर पास ही में बाराबंकी में अगर वही चलचित्र चलता रहता है तो उनको वहां भी, रोकने का कोई अधिकार न होगा क्योंकि वहां पर तो केवल बाराबंकी का ही जिलाधीश उसके प्रदर्शन को रोक सकेगा और उसको राज्य सरकार के पास प्रतिबन्धित करने के लिये सुझाव भेजना होगा, और उसकी आज्ञा लेनी होगी और इसमें बहुत समय लग सकता है और शांति भंग का खतरा बढ़ सकता है। इसलिये मुनासिब यही है कि बजाय जिलाधीश के आप कमिश्नर को यह अधिकार दे दीजिए और वह जहां जहां चाहेगा और शांति भंग का खतरा देखेगा, वहां-वहां वह बिला किसी प्रकार की देर किये किसी भी चलचित्र को प्रतिबन्धित कर सकेगा। इस तरह से अशांति से लोगों की आसानी से रक्षा हो सकेगी इसी सद्भावना से प्रेरित हो कर मैंने यह सुझाव सदन के सम्मुख रखा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के स्थान पर यदि लाइसेंसिंग अथारिटी कमिश्नर को रख दिया जाय तो अच्छा है, इसमें सरकार को भी सुविधा होगी और जिले के कार्य संचालन में जिलाधीश को भी सुविधा होगी क्योंकि उसके पास वैसे ही बहुत काम है और कमिश्नरों के पास काम कम है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने शंका प्रकट की और कहा कि इतना बड़ा काम जो ला एण्ड आर्डर का है, रक्षा और शांति आदि का है उस सबकी जिम्मेदारी जिलाधीश पर है, तो हम क्यों न इस काम के लिये भी उसी पर भरोसा रखें। मैं एक बात कहना चाहता हूं उनसे कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बड़े अच्छे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है और उनके व्यक्तित्व पर या उनकी किसी भी बात पर कोई शक नहीं कर सकता लेकिन इसके माने यह नहीं है कि अगर वह बड़े अच्छे हैं तो उनके जो दूसरे साथी, उपमंत्री, सभासचिव, माननीय अध्यक्ष या और जो लोग हैं उनकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि वह बड़े अच्छे हैं, डेमोक्रेसी को चलाने के लिये सब की जरूरत है, वह अच्छे हैं इसमें शक नहीं लेकिन उनके साथ दूसरे मंत्रियों, उपमंत्रियों, सभासचिवों आदि की सब की जरूरत है। इसके माने यह नहीं है कि अगर विभागों का पदों का वितरण होता है तो माननीय मुख्य मंत्री में विश्वास नहीं है। इसलिये जिलाधीशों पर अगर ला एण्ड आर्डर की जिम्मेदारी है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि यह काम वही कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। मैं समझता हूं कि कमिश्नर इस काम को अधिक सुचारु रूप से कर सकेंगे और जनतंत्र की मैं क्या कहूं। पहले जमाने में तो यही आदर्श दिखाया जाता था कि हम ही संसार में सब से बुरे हैं लेकिन अब तो डेमोक्रेसी के युग में फिर नया रास्ता चलना पड़ेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर इस संशोधन को माना जाय तो इससे राज्य का कल्याण होगा और मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री जगन प्रसाद रावत—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय रामेश्वर लाल जी के भाषण से मुझे आनन्द तो बहुत हुआ परंतु जब माननीय नारायणदत्त जी ने संशोधन पेश किया था उस वक्त भी मैंने उनकी बात सुनी थी और उस वक्त भी मैंने कारण बता दिये थे कि जिलाधीश को ही रखना काफी मुनासिब और ज्यादा आवश्यक मालूम होता है। कमिश्नर के

रखने से लाभ नहीं होगा। उसके रखने से समय अधिक लगेगा और जनता को भी उससे कष्ट ही होगा। इसलिये मैं उनके संशोधन का विरोध करता हूं और उसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

*श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं श्री रामेश्वर लाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया मैं तो समझा नहीं कि यह क्या जवाब है, इससे तो वह साफ कह देते कि हमारे पास मजबूत लाठी है हम तुम्हारी बात नहीं मानते। न कोई आरगूमेंट, न उसके पीछे कोई सिद्धांत, तो इसके माने तो यह हैं कि आप के पास बहुमत है। आप जो चाहें कह दें ठीक है। आप कोई तर्क भी न दें तो भी ठीक है। तो आप खाली यह कह देते कि हमको यह संशोधन अस्वीकार है तो ज्यादा सुन्दर होता बनिस्बत इसके कि उन्होंने दो-तीन मिनट लिया और वह बेकार गया, क्योंकि अगर आप ने कोई तर्क उपस्थित किया होता तो हम समझते कि हां साहब यह समझने की चीज है। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही रहे तो ठीक है और कमिश्नर के यहां जायगा तो बेठीक है। यह कोई तर्क नहीं हुआ, आप कोई तर्क पेश कीजिये हमें समझा दीजिये। हम कोई हठधर्मी से काम नहीं लेने वाले हैं। श्रीमन्, आपने देखा होगा कि उधर से जब मंत्री लोग समझा देते हैं और हमारी समझ में आ जाता है तो हम उस संशोधन को वापस ले लेते हैं, लेकिन आखिर हम विधान भवन में आते हैं तो कोई तर्क ही सुन कर तो वापस लेंगे। यह नहीं कि आप ने हुक्म दे दिया कि वापस ले लो और हम वापस ले लेंगे। यह तो ट्रेजरी बेंच वाले ही। कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। अगर तर्क की तराजू पर कोई चीज उतरे तो उस प्रकार का कानून आप बनावें इसके लिये हम आये हैं। मैं स्वयं नहीं मानता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास बहुत से काम हैं इसलिये इस काम को वे नहीं कर सकते हैं। यह बहुत छोटा सा काम है शायद साल भर में एक या दो सिनेमा के लाइसेंस देने की बात हो लखनऊ को छोड़ दीजिये, यहां तो हर साल ही बहुत से खुलते ही रहते हैं लेकिन और जगहों में तो एक या दो को लाइसेंस देना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि विधेयक के इस खंड के शब्द हैं "इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को होगा।" तो लाइसेंस किसको दिया जाय? जो चल रहे हैं उनको लाइसेंस नहीं देना है देना तो उनको है जो भी नये बनेंगे। जो चल रहे हैं उनको तो लाइसेंस का रिन्यूअल होना है उससे नये लाइसेंस से कोई प्रयोजन नहीं है और यह काम तो बहुत कम है। अगर यह काम कमिश्नर के पास चला जाय तो इससे क्या दिक्कत होगी यह मेरी समझ में नहीं आया और जो शंकायें हमारी हैं वह भी दूर हो जायंगी क्योंकि कमिश्नर एक जगह रहता है उसको रोज की पार्टीबाजी का ज्यादा सामना नहीं होता है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स का आचरण हमसे बहुत ऊंचा है। हम कब कहते हैं कि सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटस चोर हैं या बहुत से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हम लोगों से ऊंचे नहीं हैं, लेकिन जब कानून बनता है तो यह मान कर तो नहीं बनता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स सीधे हैं या टेढ़े, अच्छे हैं या बुरे। उनमें अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। पता नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह तर्क कैसे रखा? वह तो बहुत विद्वान आदमी हैं, उन सा न तो हम बोल सकते हैं, न तो हममें उतनी विद्या है, न पढ़े लिखे हैं, न आदर्शवाद को उतना अच्छा समझ सकते हैं, लेकिन वह तो इस छोटे से प्रश्न पर मारेलिटी और न जाने क्या-क्या समझा गये? ठीक है अगर आदर्शवाद पर समझाना है उनको तो दारुलशफा में मेहरबानी कर के आ जायं और हम लोगों को समझा दें क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हममें बहुत त्रुटियां हैं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य संशोधन पर ही बोलें तो अच्छा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैं उसी पर आ रहा हूं। तो मैं यह कह रहा था कि कानून इस दृष्टि से नहीं बनता कि सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स खराब हैं या सभी अच्छे हैं। कानून तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

कानून की दृष्टि से बना करता है और इसीलिये मैं कहता हूं कि कमिश्नर जो है वह हर चीज से दूर रहने वाला आदमी है। हर जिले से दूर रहेगा तो मैं समझता हूं कि यह कोई तर्क नहीं है। हम लोग हठधर्मी से काम लेने वाले नहीं हैं जैसे सरकार की आदत है। अगर समझा दें और कोई तर्क दे दें तो फिर हम उसको मान लें। इन शब्दों के साथ मैं रामेश्वरलाल जी के द्वारा संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय रामेश्वरलाल जी ने संशोधन रक्खा है मैं उसका समर्थन करता हूं। बिल में यह है कि लाइसेंसिंग अथारिटी जिलाधीश नाया जाय लेकिन माननीय रामेश्वरलाल जी का कहना है कि जिलाधीश लाइसेंसिंग अथारिटी न बनाया जाय, उसकी जगह पर कमिश्नर बनाया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करीब सभी लोग जानते हैं कि जिले की सारी जिम्मेदारी जिलाधीश के ऊपर होती है, उसका कितना काम होता है उसे वह खुद तो सभाल नहीं पाता, कचेहरियों में उसे फुर्सत नहीं मिलती कि वक्त से जा सके। हफ्तों के बाद कचेहरी में बैठता है। उसको जिले भर में दौरा करना होता है और हर विभाग का काम उसके जिम्मे देखने को होता है। उन्होंने यह समझ कर यह संशोधन नहीं रक्खा कि जिलाधीश बुरा होता है बल्कि जिलाधीश अपने जिले का सारा इंतजाम अपने ऊपर लेकर चलता है। वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है क्योंकि हमने श्रीमन्, देखा कि जो भी जिम्मेदारी होती है जिले भर के कामों की वह सारी की सारी कलेक्टर पर ही होती है, चाहे वह पंचायतों का काम हो या किसी और चीज का। तो अगर सारी जिम्मेदारी जिलाधीश पर रख दी जाती है तो वह कहां तक इंतजाम कर सकेगा। अभी यह मेरे एक मित्र ने बतलाया कि जिले भर के सिनेमाओं का सारा काम वह कर सकेगा क्योंकि थोड़ा काम है। रामेश्वरलाल जी ने बताया कि बिल में तो यह है कि राज्य भर की एक लाइसेंसिंग अथारिटी बनायी जाय और यह तो तीन चार जिले या छः जिले का एक कमिश्नर होता है और उसको भी आसानी होगी....

श्री जोरावर वर्मा—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसुभग वर्मा—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इस बिल में है कि राज्य का कोई भी अधिकारी लाइसेंसिंग अथारिटी बनाया जाय लेकिन माननीय रामेश्वरलाल जी ने यह रक्खा है कि अगर कमिश्नर के जिम्मे यह भार रक्खा जाय तो वह ४,५ या ८ जिलों का कमिश्नर जिम्मेदार होता है, तो इतने जिलों को वह लाइसेंस आसानी से दे सकता है। और लाइसेंस लेने वाले को भी यह सुविधा होगी कि वह जाकर आसानी से लाइसेंस ले सके। यही नहीं कमिश्नर को भी आसानी होगी क्योंकि जिलाधीश को बहुत काम रहता है। श्रीमन्, जहां तक मुझे जानकारी है उतना एक कमिश्नर को काम नहीं रहता। यही नहीं जो उन्होंने शंका उपस्थित की थी कि जिले का जो सब से बड़ा अधिकारी होता है और वह कोई थोड़ी सी गलती करे तो उसके नीचे के अधिकारियों को उसका प्रोत्साहन मिल जाता है गलती करने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जहां तक अनुभव है जिले के अधिकारी को सारे जिले का अधिकार है। वह चीनी मिलों का भी अधिकार रखता है। जहां तक हमको याद है हमारे यहां जो जिलाधीश महोदय थे चूंकि उनके हाथ में यह अधिकार था कि वह चीनी के बेचने का आदेश दें, और चीनी २९ रु० ६ आने बिक रही थी, उन्होंने अपने एक दोस्त से मित्रता कर के २६ रु० ६ आने मन का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों मन चीनी बिकी। ऐसे-ऐसे नाजायज फायदे लोग उठा लिया करते हैं। तो इस तरीके से अगर एक जिलाधीश के हाथ में यह काम दिया जाय तो हो सकता है कि इससे बहुत से नाजायज काम हो सकें। इसलिये माननीय रामेश्वरलाल जी ने जो संशोधन रखा है यह बहुत ही

सोच विचार के रखा है कि जिलाधीश को वह लाइसेंसिंग अथारिटी न बना कर कमिश्नर को बनाया जाय। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनके संशोधन को वह स्वीकार करें।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामेश्वरलाल जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसा बताया गया है लाइसेंस देने की अथारिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को होन के कारण लोकल अधिकारी होने से जो सिनेमाघरों का प्रबन्ध है वह ठीक नहीं हो पाता है और ठीक क्यों नहीं हो पाता है उसका कारण बताया जा चुका है कि करप्शन की प्रैक्टिस जो है वह चालू है। उनको फ्री टिकट मिल जाना या जो कलेक्टर की कार में चले गये उन सब को सिनेमा देखने को मिल जाना, यह ऐसे कारण हैं, जिससे आम जनता के लिये, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसे सिनेमाओं को लाइसेंस देने में उचित कार्यवाही नहीं कर सकता है। इसलिये जो यह संशोधन रखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बजाय अगर कमिश्नर को लाइसेंसिंग अथारिटी बना दिया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९१८ का जो कानून इस सम्बन्ध में बना था उसमें इस प्रकार का एक क्लाज भी था, आप की आज्ञा से मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं, क्लाज ४ का प्राविजो है—

"Provided that the Provincial Government may by notification in the Official Gazette constitute in the whole or any part of the province such other authority as it may specify in the notification, to be the licensing authority for the purposes of this Act."

इसके अनुसार प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार था कि वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अलावा अगर चाहे तो पूरे सूबे के लिये या कुछ क्षेत्रों के लिये लाइसेंसिंग अथारिटी नियुक्त कर सकता है। उस समय जिस समय यहां अंग्रेजों का राज्य था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बजाय प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार था कि दूसरे अधिकारी को यह अधिकार दे सकती थी। अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वह सारे कार्य करने पड़ते हैं जो हमारे यहां लखनऊ में सचिवालय करता है। सचिवालय में अलग-अलग मंत्री हैं, अलग उप-मंत्री हैं, अलग-अलग सचिव हैं, और कई हजार का स्टाफ है। तब इतना काम यह सरकार कर पाती है और वे सभी कार्य कलेक्टर को करने पड़ते हैं। तो वास्तव में वह देख भी नहीं पाता है कि कोई स्थान सिनेमाघर के उपयुक्त है या नहीं। या जो शर्तें रखी गयी हैं उनको पूरा करता है या नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि जो संशोधन रखा गया है बहुत ही उचित है और स्वीकार होना चाहिये।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन, मैं श्री रामेश्वरलाल जी के संशोधन का विरोध करता हूं। उन्होंने अपने वक्तव्य में तथा जगन्नाथ मल्ल जी ने जो अपने वक्तव्य में कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बजाय कमिश्नर को यह अधिकार देने से लाइसेंस मांगने वालों को सुविधा होगी। यह मेरी समझ में बिलकुल नहीं आया, मेरठ कमिश्नरी के कमिश्नर महोदय मेरठ में रहते हैं। चकरौता में अगर किसी को सिनेमा के लिए लाइसेंस लेना हो तो चार जिले पार करके वह मेरठ पहुंचेगा यह सुविधा नहीं असुविधा है। दूसरी बात यह है कि इस विधेयक में जो अधिकार दिये गये हैं उनके अनुसार जब कोई शांति भंग की समस्या आ जायगी तब डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही कार्यवाही करनी पड़ेगी। इसलिये उचित यही प्रतीत होता है कि लाइसेंस वही सज्जन दें जो उस जिले में ही रहते हों और उस जिले की समस्याओं से अधिक वाकिफ हों। श्री जोरावर वर्मा जी ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लाइसेंस का अधिकार देने से कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनमें करप्शन की सम्भावना है और टिकट आदि मुफ्त में ले सकते हैं और सिनेमा देख सकते हैं। यह समस्या जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ हो सकती है वैसे ही कमिश्नर के साथ भी हो सकती है।

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

कमिश्नर जब जिलों में दौरे पर जायगा और चूंकि वह एक सम्मानित व्यक्ति होगा अगर वह सिनेमा देखना चाहेगा तो वह सुविधा उसको भी प्राप्त हो सकती है। इसलिये वह सुविधा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को प्राप्त हो सकती है और कमिश्नर को नहीं प्राप्त हो सकती है। यह मेरी समझ मे नहीं आया। लाइसेंस देने का अधिकार जिस जिले मे लाइसेंस देने का प्रश्न हो उसी जिले के अधिकारी को होना चाहिये। और यह कि चूंकि विधेयक में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ है इसलिये उसकी जगह पर कमिश्नर कर दें और उसके मुताल्लिक दलीलें दी जायं यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के पक्ष में एक तर्कहीन तर्क रखा गया है। मैं नहीं समझता कि आज इस तर्कहीन तर्क रखने का किस तरह से साहस हमारे कुछ साथियों को हुआ। जिन साथियों ने यह संशोधन रखा है उन्हीं की ही नहीं बल्कि हम लोगों की सब की ही नीति यह रही है कि शक्ति विकेन्द्रित हो। तो अच्छा ही होता और यह उचित भी होता कि यदि हमारे साथी जिन्होंने संशोधन रखा है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अलावा उसी जिले में एक समिति बना दी जाय इसका सुझाव रखते जो कि अच्छी तरह से छानबीन कर सके, लाइसेंसिंग के सम्बन्ध में आज्ञा देती तो अच्छा होता। जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि कमिश्नर को लाइसेंसिंग अथारिटी मान लेना किस तरह से उपयुक्त होगा। मैं नहीं समझता हमारे साथी किस तरह से आशा करते हैं कि कमिश्नर जो हमारे जिले से ५०,६०,७०,-१०० मील की दूरी पर बैठा है किस तरह से छानबीन कर सकेगा, किस तरह से जब कि नगरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और साथ ही साथ सिनेमाघर भी बढ़ते जाते जा रहे हैं। दिन ब दिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या अधिकारियों के पास यह शिकायतें जाती हैं कि लाइसेंस जो दिया गया है वह ठीक नहीं दिया गया। मैं नहीं समझता कि किस तरह से कमिश्नर इतनी दूरी से आकर ऐसी बातों की छानबीन कर सकेगा। हमारे साथी जोरावर वर्मा जी ने कुछ साहस किया, संशोधन जो रखा गया है उसका समर्थन किया उन्होंने एक धारा पढ़ कर सुनायी मैं नहीं समझता कि उस संशोधन के पक्ष में वह किस तरह से जाती है वह धारा जिसको उन्होंने पढ़ कर सुनाया।

वह उन्हीं के खिलाफ जाता है। उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेन्ट किसी क्षेत्र में भी वह क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र हो, या कमिश्नरी का क्षेत्र हो या सूबे का क्षेत्र हो, कहीं पर इस तरह की लाइसेंसिंग अथारिटी का निर्माण कर सकती है, तो इस संशोधन को मैं बिलकुल तथ्यहीन पाता हूं और यह उस नीति के विपक्ष में पड़ता है जो डिसेंट्रलाइजेशन की नीति है और जिसको उस दल के सदस्य भी मानते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

(इसके उपरान्त श्री उपाध्यक्ष ने श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य का नाम पुकारा)

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मुझे आपने बोलने की आज्ञा दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जब प्रस्ताव आ गया है तो मुझे इस पर राय ले लेनी चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर । क्या यह उचित है कि जब एक माननीय सदस्य को अध्यक्ष ने आज्ञा दे दी कि उठ के बोले तो उसके बीच में भी कोई प्रस्ताव आ सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष---हां । मैं समझता हूं कि ऐसा प्रस्ताव आ सकता है अगर उसकी जरूरत समझी जाती है और मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता है, इसलिये मैं अब प्रस्ताव पर राय लिए लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामेश्वर लाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन तमाम माननीय सदस्यों को जिन्होंने हमारे संशोधन के पक्ष में अपने विचार प्रकट किये हैं धन्यावाद दिये बिना नहीं रह सकता और उसके साथ-साथ मै उन भाइयों को, उन सदस्यों को जिन्होंने हमारे संशोधन के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त किये हैं उन्हें भी उनकी समझ के लिए बधाई देता हूं । मान्यवर अपने संशोधन के पक्ष में जितने भी तर्क उचित देने चाहिए थे वह सब मैंने प्रस्तुत कर दिये हैं । किन्तु श्री वीरेन्द्रपति जी यादव के तर्क पर और भाषा पर मुझे मजबूर होना पड़ा । मान्यवर कि मैं आपके द्वारा दो शब्द उनसे निवेदन करूं मैं। यह समझता हूं कि जिस भाषा और साहित्य के दबाव पर उन्होंने हमसे इस संशोधन को वापस लेने की या इस संशोधन को असंगत कहने की जो चेष्टा उन्होंने की है श्रीमन्, वह किसी भी तरह से मैं नहीं समझता कि उनके लिए उचित है । उन्होंने साहस शब्द का इस्तेमाल किया । मान्यवर वीरेन्द्रपति जी यादव को आश्चर्य हो रहा है कि मैंने कैसे साहस किया कि यह प्रस्ताव या यह संशोधन सदन के सम्मुख उपस्थित किया। साहस का इम्तिहान हो तो मैं नहीं समझता कि मेरा साहस और न मैं समझता हूं कि वीरेन्द्र-पति जी का साहस किसी से कम है, इम्तिहान हो तो पता लग जाय । लेकिन यहां परीक्षक है कौन ? मान्यवर, इसलिए उनको छूट है कि वह चाहे जो कुछ कहें । साहस का इम्तिहान तो हो चुका और श्रीमन, आगे जाऊंगा तो कड़वी बात निकल आयेगी, लेकिन मैं आपको उसमें फेल नहीं समझता । यह तो वह जानेंगे या उनके पास बैठने वाले जानेंगे लेकिन इसमें साहस का क्या सवाल है । संशोधन है सीधा सादा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जगह पर कमिश्नर हो जाय । मान्यवर अगर वीरेन्द्रपति जी यादव पढ़ते तो इस अधिनियम को तो न वह मेरे साहस को चेलेंज करते और न इस तरह के तर्क उपस्थित करते । इसमें तो प्राविजो है कि जब चाहे तब जिस आदमी को चाहे किसी भी क्षेत्र के लिए वह प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है । इस प्राविजो को तो मैं निकालने की बात नहीं करता । वह तो ज्यों का त्यों बना हुआ है । मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जगह पर कमिश्नर रख दिया जाय । प्राविजो ज्यों का त्यों रहने दिया जाय जिसमें वीरेन्द्रपति जी और उनकी सरकार को मौका रहे । और जब वह चाहें जिसको प्राधिकारी नियुक्त कर दें । माननीय वीरेन्द्रपति यादव ने संशोधन को पढ़ा नहीं । जोश में आ गये और साहस का इम्तिहान देने लगे और हमारा इम्तिहान भी लेने को ठान ली । जहां तक डिसेंट्रलाइजेशन का सम्बध है उसके सम्बन्ध में हमारी पार्टी की नीति बिलकुल स्पष्ट है और हमारी पार्टी के नेताओं और माननीय सदस्यों ने डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर अपने सुझाव दिये हैं । हमारा तो यह दावा है कि डिसेंट्रलाइजेशन को बदनाम करने की यह सरकार साजिश करती है और उस साजिश का नमूना हमने चुर्क फैक्टरी में देखा कि उसको डिसेंट्रलाइज किया और लोगों को छूट दे दी और जो कुछ भी धांधली हुई वह सब को देखने को मिल रहा है चुर्क की फैक्टरी में। आज जो वहां काम हो रहा है उससे डिसेंट्रलाइजेशन की बदनामी होती है । तो डिसेंट्रलाइजेशन हम चाहते हैं और चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन हो और इसके लिए हमारे सुझाव भी हैं लेकिन सरकार

[श्री रामेश्वरलाल]

डिसेंट्रलाइजेशन के यह मानी लगाती है कि गांव के लेखपाल को सारे अधिकार दे दिये जायं यह डिसेंट्रलाइजेशन है ? इस विधेयक में कहीं भी उनको डिसेंट्रलाइजेशन दिखलाई देता है वीरेन्द्रपति यादव को तो वह बताएं कि वह कहां है ?

श्री वीरेन्द्रपति यादव—हाउस के बाहर पूछ लें।

श्री रामेश्वर लाल—मान्यवर हाउस के बाहर क्या, हम हाउस में ही समझेंगे। हम वहां तक नहीं जायेंगे जहां तक माननीय दीनदयालु शास्त्री गये। उन्होंने कहा कि लाइसेंस लेने वालों को सुविधा हो जायगी वरना मेरठ आना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि सिनेमा कौन खोलेगा ? वह खोलेंगे या मैं ? वह तो जो लखपति लोग हैं वही खोलेंगे। पर हमारे दीनदयालु शास्त्री जी को लाइसेंस लेने वालों के लिए बड़ी चिन्ता है कि उनको बड़ा कष्ट हो जायगा। आखिर जो सिनेमा खोलेगा वह लाखों का सिनेमा घर बनायेगा इतने कर्मचारी रखेगा। तो जो लाख रूपये खर्च कर सकता है वह ५-७ रुपये टिकट के नहीं खर्च कर सकता। वह तो हजार की बाजी लाइसेंस लेने में लगाता है और लगायेगा, यह माननीय दीनदयालु शास्त्री को नहीं मालूम।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को चाहिये कि वह हमारे इस संशोधन को स्वीकार कर लें क्योंकि इसके अन्दर प्रोवाइजो है, जिसको वह चाहे लाइसेंसिंग आथारिटी बना दें लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के स्थान पर कमिश्नर हो जाय।

श्री जगन प्रसाद रावत—मैंने माननीय रामेश्वरलाल और दूसरे माननीय सदस्यों के भाषण को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। सुनने के बाद भी मेरी निश्चित राय यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बजाय अगर कमिश्नर को उसके पद पर नियुक्त करते हैं तो उसमें असुविधा ही होगी। साथ ही मुझे एक बात से दुख हुआ कि जो दलील के सिलसिले में इस तरह का आक्षेप किया गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो सिनेमा मुफ्त देखने की कोशिश करेंगे और उसका नाजायज फायदा उठायेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजीस्ट्रेट और कमिश्नर में बहुत बड़ा आन्तर नहीं होता है। साधारण तौर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही आगे चलकर कमिश्नर हुआ करते है। अगर जिन्दगी के २०-२२ वर्ष तक वह इतने बेईमान बने रहें कि सिनेमा मुफ्त देखना चाहें तो क्या उन से उम्मीद की जा सकती है कि सर्विस की जिन्दगी के आखिरी साल वह इतने ईमानदार हो जायेंगे ? यह तो बिलकुल असंगत सी बात है। इस तरह की शंकाये मैं समझता हूं कि अच्छी मनोवृत्ति के प्रतीक नहीं हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति न तो देश को उठा सकती है और न हमको और न जिन माननीय सदस्यों ने ये तर्क दिये हैं उनको उठा सकती है, हमको गिरायेगी ही।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करुंगा कि वह ऐसी शंकायें अपने मन में न रखें और इस मनोवृत्ति से ऊपर उठने की कोशिश करें। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ की पंक्ति ३ के शब्द "डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "कमिश्नर" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—अभी एक नये संशोधन की सूचना मिली है, श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य ने दी है। इस में है कि खंड ४ का प्रोविजो निकाल दिया जाय।

श्री कृष्णकारण आर्य—मुझे तो इस पर संधानिक आपत्ति है, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं चूंकि आपत्ति हो गई और कई दिनों से यह बिल सदन के सामने था लेकिन यह संशोधन नहीं आया इस लिये मैं इस को इजाजत नहीं देता।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी के अधिकारों पर निरोध।

५---(१) लाइसेंस प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन तब तक लाइसेंस नहीं देगा जब तक कि वह निम्नांकित के विषय में संतुष्ट न हो कि---

(क) इस अधिनियम के अधीन बने नियम तत्वत: (substantially) अनुपालित किये गए हैं, तथा

(ख) उस स्थान में, जिसके निमित्त लाइसेंस देना है, प्रदर्शन देखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त पूर्वाविधान (precautions) रखे गये हैं।

(२) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन तथा राज्य सरकार के नियंत्रण एवं सामान्य जनता के हित का पालन करते हुए लाइसेंस प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रतिबन्धों और ऐसी शर्तों पर और ऐसे निरोधों के अधीन जिन्हें वह अवधारित करे तथा ऐसा शुल्क देने पर जो नियत किया जाय, लाइसेंस दे सकता है।

(३) लाइसेंस प्राधिकारी के इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस न देने के निर्णय से क्षुब्ध (aggrieved) कोई भी व्यक्ति, उस अवधि के भीतर जो नियत की जाय, राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है, और राज्य सरकार इस मामले में ऐसी आज्ञा दे सकती है जिसे वह उचित समझे।

(४) किसी फिल्म अथवा फिल्म वर्ग के प्रदर्शन के विनियमन के प्रयोजन से राज्य सरकार समय-समय पर सामान्यतया लाइसेंस गृहीताओं को अथवा किसी विशेष लाइसेंस गृहीता को ऐसे आदेश दे सकती है जिससे वैज्ञानिक फिल्मों, शिक्षार्थी फिल्मों (films intended for educational purposes) तथा समाचारों एवं वर्तमान घटनाओं से संबद्ध फिल्मों, वर्णनात्मक फिल्मों (documentary films) एवं स्वदेश में निर्मित फिल्मों (indigenous films) के प्रदर्शन को उपयुक्त अवसर प्राप्त हो तथा जब ऐसे कोई आदेश जारी किये जायं तो उनके विषय में यह समझा जायगा कि वे उन शर्तों और निरोधों (conditions and restrictions) के अतिरिक्त (additional) हैं जिनके अधीन लाइसेंस दिया गया था।

श्री रामेश्वर लाल---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं:---

खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (क) की पंक्ति १ में शब्द "तत्वत:" के स्थान पर शब्द "पूर्णत:" रख दिया जाय।

इसके संबंध में मैं बहुत लम्बा भाषण नहीं करना चाहता और न दलील देना चाहता हूं। सिर्फ मैं यह समझता हूं कि शायद माननीय मंत्री जी इससे सहमत हो जायंगे और "तत्वत:" की जगह "पूर्णत:" रखने का आश्वासन देंगे। श्रीमन्, तत्वत: का जो मतलब है वह करीब-करीब सारत: से बहुत मिलता जुलता है। तत्व और सार में बहुत अन्तर नहीं

[श्री रामेश्वर लाल]

है। अब मान लीजिये कि एक सिनेमा का संचालक एक जगह पर सिनेमा खोलना चाहता है या खोले हुये है और वहां के लोगों को आपत्ति है कि वहां उस व्यक्ति द्वारा सिनेमा चलाने से लोगों को रात में सोना हराम हो जायेगा क्यों कि वह वहां एक बिजली का मोटर लगाना चाहता है। तो तत्वतः में बड़ी कानूनी अड़चन पैदा हो जायेगी। तत्वतः के आधार पर अगर वह सिनेमा संचालक कानूनी पचड़ों में जाना चाहता है तो रात में सिनेमा को बन्द करके सिर्फ दिन में चला कर इस आज्ञा का पालन कर सकता है। लेकिन अगर पूर्णतः इस के स्थान पर हो तो शायद उसे ऐसे स्थान पर सिनेमा चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो इस में न तो कोई नीति का प्रश्न है और न कोई इस के मान लेने से वाद विवाद खड़ा होने वाला है। बहुत ही सीधा सादा संशोधन है। माननीय मंत्री जी इस को मान लेंगे इस लिये मैं बहुत ज्यादा इस पर बहस नहीं करना चाहता।

श्री जगन प्रसाद रावत---यह तो माननीय रामेश्वरलाल जी ने सही कहा कि न तो यह प्रश्न कोई नीति का है और न सिद्धान्त का है। लेकिन व्यवहारिकता का प्रश्न जरूर है इसमें पूर्णतः कर देने से कठिनाई यह होती है कि जो नियम होते हैं उनमें बहुत से तफसील होते हैं। तत्वतः नियम का पालन भी हो जाय लेकिन अगर कोई छोटी सी बात रह जाय उसके पीछे किसी आदमी को इतना परेशान होना पड़े कि वह अपना काम कर ही न सके, यह व्यावहारिक भी नहीं मालूम होता और लाभप्रद भी नहीं मालूम होता। इस के साथ-साथ जो भी जिला मजिस्ट्रेट होंगे वे अच्छी तरह से इस बात को देखेंगे कि जो भी नियम बनाये गये हैं, उनका ठीक तरह से पालन किया जाता है। मैं प्रार्थना करूंगा रामेश्वरलाल जी से कि वे अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री रामेश्वर लाल---श्रीमन्, मैं अपने पहले संशोधन से भी ज्यादा इसको महत्वपूर्ण समझता हूं जिस पर सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मंत्री जी की बात सुन कर मुझे दुख हुआ। मंत्री जी का कहना यह है कि तत्वतः रखने से साधारणतया आज्ञा पालन करने का मौका मिलेगा और पूर्णतया हो जायेगा तो हो सकता है कि कठिनाई या असुविधा सामने आ जाय।

मान्यवर, आज चल चित्रों का व्यवसाय ऐसा है जिस के लिये हर शहर में होड़ लगी हुई है। आज जितने भी चल-चित्र इस सूबे में चल रहे हैं, उनमें से किसी के संबंध में यह कहना कि वह घाटे में जा रहे हैं बड़ा अनुचित है और यह बात सत्य से बहुत परे है। आज लोगों की प्रवृत्ति इधर बहुत ज्यादा होती जा रही है। रिक्शेवाले भी जो बहुत कड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं उनको भी शाम को ९ बजे के बाद ५० प्रतिशत सिनेमाघरों में देखा जा सकता है। मान्यवर, इस का प्रचलन बढ़ जायेगा और लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे फिल्म बनायेंगे और सरकार अपनी नीयत भी अच्छी करती जायेगी तो इस आधार पर इस व्यवसाय में लोगों को मुनाफा होने की संभावना होने के कारण यह काफी आगे बढ़ेगा। आज एक शहर में सिनेमा के लिये दस आदमी प्रार्थना-पत्र देते हैं। तत्वतः रखने के बाद दस आदमियों की एबीलिटी को रखने में कठिनाई हो जायेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और अगर पूर्णतः रक्खा जाता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक आदमी का चुनाव करने में आसानी होगी तो फिर तत्वतः क्यों रखा जाय, यह प्रश्न है।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि सरकार जो भी कानून बनाये उसकी अवहेलना न हो, जो सरकार आज्ञा दे यदि वह न्यायोचित है, संगत है तो उसकी अवहेलना न हो, यही मेरा इरादा है और इस इरादे से प्रेरणा पाकर हमने यह रखा है। तत्वतः रखने में लोगों को छिपने का मौका है इसलिये पूर्णतः रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि कानून बनाने वालों का भी कर्त्तव्य है कि वह नियमों के पालन करने का लोगों को अधिकार दें और उनके इम्तहान में पास होने की उन्हें शिक्षा दें। इन आधारों को देखते हुये तत्वतः के बजाय पूर्णतः ज्यादा उपयुक्त है। मैं समझता हूं और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि यह नीति का प्रश्न नहीं है और न इसमें कोई उलटफेर होने वाली है बल्कि

इससे लायसेंस लेने वाले को और देने वाले दोनों को सुविधा होगी। इसकी आज्ञा को पालन करने में और लोगों को इम्तहान देने में सुविधा होगी, इसीलिये मैंने यह संशोधन रक्खा है। मैं समझता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री जगन प्रसाद रावत——यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (क) की पंक्ति १ में शब्द "तत्वतः" के स्थान पर शब्द "पूर्णतः" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी——श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (क) की पंक्ति १ में से शब्द "तत्वतः" निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, जितने भी विधेयक अभी तक इस सदन द्वारा पारित किये गये हैं, उन सब में जो धारायें रखी गई हैं अगर उनका हम अध्ययन करने की चेष्टा करें तो हम यह देखेंगे कि उनमें इस प्रकार तत्वतः शब्द का प्रयोग शायद ही कहीं भूल कर किया गया हो। पिछले साढ़े तीन वर्ष के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि कम से कम हमने जितने विधेयक यहां पास किये हैं उनमें इस प्रकार तत्वतः शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अगर तत्वतः शब्द को निकाल दिया जाय तो धारा इस प्रकार हो जाती है :——

> "५——(१) लाइसेन्स प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन तब तक लाइसेंस नहीं देगा जबतक कि वह निम्नांकित के विषय में संतुष्ट न हो कि——
>
> (क) इस अधिनियम के अधीन बने नियम अनुपालित किये गये हैं, तथा
>
> (ख) उस स्थान में, जिसके निमित्त लाइसेन्स देना है, प्रदर्शन देखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये उपर्युक्त पूर्वाविधान रखे गये हैं।"

तो इसमें जो उपखंड (ख) है, अगर हम (क) में शब्द तत्वतः रखते हैं तो वह भी इससे प्रभावित हो जाता है क्योंकि उपखंड (ख) के संबंध में नियम बनने वाले हैं और अगर शब्द तत्वतः रह जाता है "क" में तो विधेयक का मंशा अपूर्ण रह जाता है। आप देखेंगे कि उपखंड (ख) में शब्द तत्वतः नहीं आया है और इसलिये जो इस धारा के ड्राफ्ट करने वाले हैं उनका यह मंशा रहा होगा कि उपखंड (क) का जो मंशा है वह पूरा होना चाहिये। लेकिन उपखंड (ख) के लिए नियम बनने वाले हैं और इसलिये उपखंड (क) और (ख) की भावना परस्पर विरोधी हो जाती है। यह एक ऐसी बात है कि जिसको मैं संभवतः पूरी तरह पर समझा नहीं पा रहा हूं किन्तु मेरा मंतव्य बिल्कुल साफ है। तत्वतः का मतलब हम क्या लेंगे ? सब्सटेंस क्या है और क्या नहीं है यह एक इंटरप्रेटेशन की बात है, अर्थ लगाने की बात है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि नियमों का पालन हुआ है या नहीं, यह बात है। तो जब हमने नियमों के अनुसार लाइसेंसिंग अथारिटी को पूरा अधिकार दिया है कि वह रूल्स को इंटरप्रेट करे कि आया वह लागू होते हैं या नहीं तो फिर मेरे विचार से यह सब्सटेंशियली शब्द का रखना कोई बहुत महत्व की बात नहीं है। शायद एक तर्क यह दिया जा सकता है कि यह शब्द सन् १८ के ऐक्ट में रखा गया था इसलिये हमने इसको दोहरा दिया है। लेकिन इसके साथ ही बहुत से ऐसे शब्द हैं कि जिनको हमने दोहराया नहीं है। तो यह आवश्यक नहीं है कि हम इस शब्द को यहां दोहरायें और एक वेग, अस्पष्ट कानून यहां पर रख दें। तो इन तीनों कारणों की बिना पर कि, एक तो यह उपखंड (ख) के विरोध में दीखता है, दूसरे अस्पष्ट विधान बनता है और तीसरे बिना सब्सटेंशियल शब्द रखे हुए ही जो

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अथारिटी है वह गलतबाहा इंटरप्रेटेशन कर सकती हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि यह एक अनावश्यक शब्द है और यह किसी और विधेयक में नहीं रखा गया है इसलिये मैं इसको यहां रखना उचित नहीं समझता ।

श्री जगन प्रसाद रावत---इस तत्वतः शब्द के सिलसिले में जो पहला संशोधन था उस समय भी मैं कह चुका हूं कि इसका रहना जरूरी है। जो कुछ तिवारी जी ने कहा उसमें भी कोई नयी बात नहीं है। वही बात है जो पहले संशोधन में आयी थी। मेरा विचार है कि तत्वतः शब्द रहना चाहिये, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी के निवेदन को तत्वतः नहीं समझ सका कि उनका अभिप्राय क्या है? जो इस शब्द का अनुवाद किया गया है वह इसके लिये बिलकुल अनावश्यक है। शायद माननीय मंत्री जी इसका अर्थ भी न बतला सकें कि सब्सटेंस का क्या वास्तविक अर्थ है? नियम में यह है कि जो दर्शक हों उनके बैठने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिये। इसके अर्थ के लिये ही तत्वतः शब्द का प्रयोग किया गया है कि सब लोगों के बैठने के लिये सीट ठीक होनी चाहिये। अगर किसी ने फर्स्ट क्लास का पैसा दिया है तो उसको फर्स्ट क्लास सीट मिलनी चाहिये। उसके स्थान पर तत्वतः का अर्थ पूर्णतः होना चाहिये। जब उससे वह अर्थ ही नहीं निकलता तो उसको छोड़ भी सकते हैं। तत्वतः का इन्टरप्रिटेशन लगाकर जो शब्द रखा गया है वह निरर्थक हो जाता है या कोई इसका लीगल इन्टरप्रिटेशन दिखायें कि सब्सटेन्स का यह इन्टरप्रिटेशन किया गया है। जहां तक मेरी जानकारी है इसका कोई इन्टरप्रिटेशन अभी तक नहीं हुआ है। अगर माननीय मंत्री जी के पास हो तो वह दिखायें मैं इसको मानने के लिये तैयार हूं।

श्री जगन प्रसाद रावत---मेरे ख्याल में तत्वतः का जो अर्थ है वह साधारण हिन्दी जानने वाले को भी मालूम है। इस कारण तत्वतः शब्द की व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती है। तत्वतः शब्द के जो अर्थ को जानते हैं वह इसकी आवश्यकता को भी समझते हैं। अगर माननीय सदस्य इसको वापस ले लें तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (क) की पंक्ति १ में से शब्द "तत्वतः" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (ख) के बाद एक नया भाग (ग) निम्न रूप में रख दिया जाय :---

"(ग) उस स्थान से दूर जहां शिक्षा संस्थायें, छात्रावास आदि हों, ला इसेंस वाहने वाले ने चलचित्र प्रदर्शन का स्थान बनाया है।"

उपाध्यक्ष महोदय, अधिनियम की धारा ५ के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन तब तक लाइसेंस नहीं देगा जब तक कि वह निम्नलिखित के विषय में सन्तुष्ट न हो। वह बने हुये नियमों के अधीन सन्तुष्ट होकर ही लाइसेंस देगा। मैं यह चाहता हूं कि यदि सिनेमाघर शिक्षा संस्था या छात्रावासों के निकट हों, तो उनको लाइसेंस न दिया जाय क्योंकि हम सभी सिनेमा के प्रभाव या कुप्रभाव को जानते हैं और आज के युग में सिनेमा के कुप्रभाव काफी काम करते हैं। मैं ऐसी शिक्षा संस्थाओं को जानता हूं कि जिनके पास कुछ दूरी पर सिनेमाघर थे और वहां से लाउड प्रबंध करने पर भी विद्यार्थी छात्रावासों से दीवार लांघकर भाग जाते थे। जहां सिनेमा का लाउड स्पीकर बजा, वह बोर्डिंग हाउस से सिनेमाघर के मैदान में चले जाते थे और अनुशासन भंग करते थे। ऐसे भी उदाहरण मिले कि जब एक आठवीं कक्षा का बहुत अच्छा

विद्यार्थी जो अपनी कक्षा में बराबर फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता था दुर्भाग्यवश वह किसी तरह से एक सिनेमाघर के पास रहने लगा और उसको सिनेमा देखने का मौका लगने लगा तो वह एक सिनेमा तारिका की पूजा करने लगा। उसकी तस्वीर पर फूल चढ़ाने लगा और पूजा करने लगा। पिता को मालूम हुआ तो वह कहने लगे कि यह तो बड़ा भारी पुजारी हो गया। तो फिर देखने पर उनको मालूम हुआ कि वह एक सिनेमा तारिका की पूजा करता है। उसको समझाया गया और उस तस्वीर की पूजा करने से छुड़ाने पर वह कक्षा में फेल हो गया और वह घर छोड़कर बम्बई चला गया। इतना ही नहीं ऐसे भी छात्र पाये गये जिन्होंने दो तारिकाओं के ऊपर आपस में झगड़ा किया और एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गये। ऐसी बातें भी पायी गयीं कि जब शिक्षा संस्था के कई विद्यार्थी किसी एक सिनेमा के प्रश्न को लेकर दूसरी शिक्षा संस्थाओं से पार्टीबाजी कर बैठे और आपस में उलझ गये। हम देखते हैं कि छोटे-छोटे मासूम बच्चे जो गानों का अर्थ भी नहीं समझते हैं वे कहीं "दिल के टुकड़े" करते पाये जाते हैं तो कहीं "दिल का करार," लुटाते पाये जाते हैं। ये हमारे वे नवयुवक हैं जिनके ऊपर कुछ दिनों में देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। जो हमारी शिक्षा संस्थाओं में बनाये जाते हैं, यदि वे इस रोग से ग्रसित हो जायेंगे तो हमारी जो आने वाली संतति होगी, जो हमारा भावी समाज होगा वह बहुत ही भद्दा होगा। इसलिये हमें अभी से ऐसा प्रबंध करना होगा। जिससे हम इस कुप्रबंध को दूर रख सकें।

दूसरे जब कभी किसी सिनेमाघर में कोई तमाशा शुरू होता है तो काफी शोरगुल मचता है। एक तो मशीन की आवाज होती है, दूसरे टिकट लेने वाले भी अलहदा शोर करते हैं और कभी-कभी ऐसा तमाशा भी आ जाता है कि लोग लात घूंसा भी चलाने लगते हैं। ऐसी सूरत में शिक्षा संस्थाओं के निकट सिनेमा घरों के रहने से छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिये बड़ी दुश्वारी होगी तथा शिक्षाक्रम का चलना मुश्किल हो जायगा। मैं समझता हूं कि मेरे इस संशोधन से काफी लाभ होगा और हम अपने भावी नागरिकों को इसके कुप्रभाव से बचा सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को मानने की कृपा करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामजी लाल सहायक के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा अपना ऐसा ख्याल है कि जो भाव इस संशोधन के जरिये से व्यक्त किये गये हैं, उनसे इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य असहमत न होगा। यह जो चलचित्र हैं, मैं समझता हूं कि उसका नाम यहां पर पूरा नहीं रक्खा गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि उन्हें सिनेमा देखने का कम मौका मिला है लेकिन उन्हें यह अवश्य पता है कि अब यह चित्र केवल चल चित्र ही नहीं रह गये हैं बल्कि वह बोलते भी हैं। संस्कृत में एक 'वद्' धातु है जिसका अर्थ होता है बोलना। तो अगर इन चित्रों को बदचलन कहा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। इस शब्द से मेरा मतलब उर्दू के बदचलन शब्द से नहीं है लेकिन अगर कहीं कहीं उसका अर्थ यह भी निकल आये तो भी कुछ हर्ज नहीं है क्योंकि बहुत से सिनेमा ऐसे होते हैं जो विद्यार्थियों में उसी प्रकार के भाव भर देते हैं। कहीं वे सुरैया की छाप की बुशर्ट पहनते हैं तो कहीं अवारा की छाप की कमीज। माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि यह तो इस युग की करामात, है, इससे बचकर निकलना असंभव है। सही बात है साइंस का युग है। बिजली का प्रकाश है, फोटो की चमक है और जब हमें इस युग के साथ चलना है और सिनेमा भी देखना है तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें अपनी नवीन पीढ़ी को कहां ले चलना है। उससे आचार विचार पर जनता के क्या प्रभाव पड़ता है, इन तमाम बातों पर हमें गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। जहां तक संशोधन का अर्थ है कि जहां छात्रावास या विद्यालय हों वहां ऐसे सिनेमा घर न रहें, क्योंकि हम आज के युग में यह तो कह नहीं सकते कि सिनेमाघर बिलकुल न रहें, यह तो नामुमकिन बात है लेकिन यह तो अवश्य किया जा सकता है कि ऐसे चलचित्र या जैसा कि मैंने कहा कि बद चलचित्र यह वहां न लगाये जायं जहां छात्रावास या विद्यालय हों। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि न जाने क्यों छात्रों

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

को तो सिनेमा देखने के लिये कुछ कन्सेशन और सुविधायें प्रदान कर दी गयी हैं, उनके लिये रियायती टिकट मिलता है, वह भी यह नहीं है कि किसी खास शो के लिये कि जिससे चरित्र सुधरता हो, मिलता हो, बल्कि हर चलचित्र के लिये उनको यह जनरल प्रलोभन दिया गया है कि वह जाकर सस्ते दर पर सिनेमा देखें। पता नहीं किस नीति का अवलम्बन लेकर यह किया गया है, उन्होंने हड़ताल की। उनकी बात फौरन मान ली गयी। अगर उनकी कोई और जायज मांग हो उसके मानने में भले ही अधिक दिन लग जायं लेकिन इस मांग को सरकार ने शीघ्र ही कबूल कर लिया मेरे ख्याल से जिसको कभी नहीं मानना चाहिये था।

अगर सरकार इस संशोधन को इस प्रकार से यहां न मान सके तो भी कहीं न कहीं नियमों में ही यह बात आनी चाहिये कि जहां ऐसे छात्रावास या विद्यालय आदि हों वहां से सिनेमाघर दूर बनाये जायं। दिन ब दिन यह सिनेमा बढ़ते जाते हैं कहीं-कहीं तो दस-दस बीस-बीस हो गये हैं और छोटे-छोटे कस्बों में सिनेमा लगाने की, प्रवृत्ति। जागृत हो रही है। जैसे कि किसी माननीय सदस्य ने कहा भी था कि उद्योगपति ऐसी ही जगह सिनेमा लगाने का प्रयत्न करते हैं जहां भीड़-भाड़ ज्यादा हो और लड़के भी ज्यादा वहां पहुंच सकें और उनको अधिक पैसा उनसे मिल सके और इस तरह से सरकार को भी टैक्स के रूप में कुछ अधिक पैसा मिल जाता है, उसको कम करने के लिये भी कैसे कहा जाय लेकिन छात्रावासों और विद्यालयों के जो छात्र हैं उनके चरित्र पर अगर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है तो इस तरह की बढ़ती हुयी आमदनी को सरकार भी अच्छा न समझेगी। वैसे यह तो सबके अनुभव की बात है कि बरसात हो तो, गर्मी हो तो, वहां कतारें लगती हैं, ऐसा यह नशा हो गया है अब शायद जुये या शराब का भी उतना नशा नहीं रह गया है और यह सिनेमा का नशा सब नशों से आगे बढ़ गया है। इस आधुनिक युग की करामात को रोका भी नहीं जा सकता लेकिन विद्यार्थियों के लिये तो यह निश्चय करना आवश्यक ही है कि कौन चलचित्र उनके लिये हानिप्रद या लाभकर है। एक सेंसर बोर्ड है उसने लाइसेन्स दे दिया और सिनेमा चालू हो गया। अब दिक्कत यह है कि वह विद्यार्थियों को गर्त में गिराने वाला हो या, उनके जीवन को वह गिराने वाला हो, अगर वह स्वीकार हो गया तो उसको सार्टिफिकेट मिल जाता है। हम यह भी नहीं कह सकते कि वह सर्टिफिकेट देने वाले अनजानकार होंगे मुमकिन है कि वह अपनी विचारधारा के अनुकूल उस को उत्तम समझते हों लेकिन उनका जो आम प्रभाव पड़ रहा है यानी जो प्रत्यक्ष चीज है उससे कोई इन्कार करता हो तो समझ में नहीं आता। लड़के आवारागर्दी और मटरगश्ती करते हैं और चोरी वगैरा सभी कुछ वहां से सीखते हैं। उनको जो पैसा मां-बाप पढ़ने को देते हैं वह भी इसी में व्यय करते हैं। अगर इस तरह की चीज को न रोका जाय तो किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है ? स्टेट या सरकार पर जहां राज्य संचालन की जिम्मेदारी है तो क्या उस की यह जिम्मेदारी नहीं है कि यहां के विद्यार्थियों और नागरिकों के चरित्र का स्तर ऊंचा हो ? यदि इसी तरह से समाज के विचारों में प्रगति होने दी गयी तो समाज के पतन की पराकाष्ठा होती दिखलाई दे रही है, इसको अगर न रोका गया तो मेरी राय जो तरह-तरह के ऐब हो रहे हैं उसे कौन रोक सकेगा। छोटे-छोटे कर्मचारी और उनके घरवाले जाकर रोज सिनेमा देखते हैं, उनके खर्च कम वेतन से पूरे नहीं होते तो तरह तरह के भ्रष्टाचार फैलते हैं। जिस नवीन समाज और युग की रचना का यह आविष्कार कर रहा है उस को रोकना हमें है और इस आविष्कार को चरित्रगठन और समाज निर्माण का साधन बनाना है। संशोधन का कोई भी रूप हो, या नियमों में ही इस की व्यवस्था हो लेकिन विद्यार्थियों को इस हानि से बचाकर हमें इस के आशय को अवश्य ही किसी न किसी रूप में स्वीकार करना चाहिये।

यदि विद्यार्थियों को सिनेमा देखने के लिये कोई छूट दी भी जाय तो वह केवल उन्हीं चलचित्रों के लिये दी जाय जो उनके देखने योग्य हों और वह छूट उन चित्रों के लिये न दी जाय जो उनके देखने के योग्य नहीं हैं और जो उन पर उल्टा असर पैदा करते हैं। इन सब बातों को देखते हुये मैं समझता हूं कि यह संशोधन अपनी जगह पर ठीक है, दूसरा संशोधन भी इसी आशय का है अगर बिल में कहीं न कहीं इस चीज का समावेश कर दिया जाय तो चाहे इस रूप में

इस को न माना जाय लेकिन इस का जो आशय है वह तो स्वीकार करने योग्य है और आशा है कि सरकार उसको स्वीकार करेगी। नियम भी जब बनाये जाते हैं तो उन का कड़ाई के साथ पालन नहीं होता है। बनारस का जो कवींस कालेज है वहां सड़क की एक पटरी पर कालेज का छात्रावास है और सड़क की दूसरी पटरी पर उसी के सामने सिनेमा की इजाजत बहुत दिनों तक रुकी रही लेकिन बाद में न जाने कैसे वहां वह अब चल रहा है, इसलिये इस तरह से इजाजत का मिलना अस्वाभाविक नहीं है, इसलिये आवश्यक है कि जो नियम बनाये जायं उनका कड़ाई के साथ पालन हो और कभी सिनेमा छात्रावास के पास या स्कूल कालेज के पास न चलने दिये जायं क्योंकि वह विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण और समाज के लिये बाधक है।

*श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन में एक वैधानिक दोष देखता हूं। उस के द्वारा वह यह नया भाग जुड़वाना चाहते हैं कि "उस स्थान से दूर जहां शिक्षा संस्थायें, छात्रावास आदि हों," लेकिन "आदि" शब्द का कोई जागृत रूप नहीं दिखाई देता, तालिका में बहुत से स्थानों का ब्योरा देना होगा। मेरा विचार यह है कि यह सब नियमों में आ सकता है और यहां पर किसी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जिस प्रकार से संशोधन माननीय सदस्य ने रखा मैं उससे सहमत नहीं हूं। इस आविष्कार का लाभ उठाने के लिये हमें अपने यहां की जनता की लोकरुचि में आवश्यक परिवर्तन करना होगा और मैं अपनी केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देता हूं कि अब उस का ध्यान शनैःशनैः इस ओर जा रहा है। हम इस सिनेमा के आविष्कार के युग में बहुत से लाभ के कार्य सम्पादन कर सकते हैं, उसके प्रति हमें अपने विचारों में मैत्रीभाव लाना है और उसके प्रति जो हेय दृष्टि है उसको चरित्र पर सुप्रभाव डालने वाले शिक्षाप्रद चित्रों के आविष्कार के द्वारा दूर करना होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—तत्वतः मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से सहमत हूं किन्तु मूलतः मैं उस का विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मित्र रामजी लाल सहायक और हमारे आदरणीय मित्र मौर्य जी ने संशोधन के समर्थन में जो बातें कहीं उनका स्थान भावुकता के क्षेत्र में निस्संदेह बहुत उत्तम है किन्तु जब हम ठोस व्यावहारिक जीवन में आते हैं तब हम यदि उनके संशोधन और भाषणों पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि भावुकता में बह गये व्यक्तियों के उद्गार हम सुन रहे हैं और यह कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि सहायक जी के सम्बन्ध में तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मौर्य जी बड़े ही काव्य मर्मज्ञ हैं। जो उनकी अंतरंग गोष्ठी में बैठे हैं वे जानते हैं कि वे कविता में बड़ा रस लिया करते हैं। अब इस सम्बन्ध में माननीय सहायक जी ने जो बातें कहीं हैं उनका मैं मूलतः विरोध इसलिये करता हूं कि अधिकांश जितने सिनेमाघर इस वक्त मौजूद हैं मैं जिस शहर में रहता हूं कानपुर में वहां निशात के सामने मैं आपको बतलाऊं कि क्राइस्ट चर्च कालेज है और पीछे जे० एन० के० कालेज है। इस तरह से तो मैं तालिका बनाऊं तो मैं बता सकता हूं कि जो मौजूदा सिनेमाघर हैं उनके अगल-बगल कालेज, होस्टल्स और शिक्षण संस्थायें मौजूद हैं और वह चीज किसी एक शहर से सम्बन्ध नहीं रखती बल्कि जितनी एक शहर की कैपिसिटी है कि कितने सिनेमाघर वहां हो सकते हैं वह वहां की कैपिसिटी तक पहुंच गये हैं। मुमकिन है कि एक आध शायद लक्जरी हाउसेज बने तो उसकी गुंजाइश हो तो हो बाकी एक शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिये जितने सिनेमाहाउसेज की जरूरत है वह करीब करीब पहले से ही शहरों में मौजूद हैं और उनका लोकेशन वगैरह सब तय हो चुके हैं। अब उसमें चेंज होना नहीं है। अगर सहायक जी इस प्रकार का संशोधन लाते कि जहां पर आज स्कूल्स कालेज और छात्रावास वगैरः हैं वहां से सिनेमाघरों को हटाकर दूसरी जगह ले जाया जाय तो मैं उनके संशोधन का समर्थन करता। अब रह गयी नीति और चरित्र की बात तो इसका सम्बन्ध न सिनेमा से है और न शिक्षणालयों से, उनके सान्निध्य से है। हम देखते हैं कि इतने बड़े-बड़े बच्चे जो जरा बोल सकते हैं उनसे दिल के हजार टुकड़े अवश्य सुन लीजिये जो बच्चे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवदत्त मिश्र]

तीन चार वर्ष से ज्यादा नहीं हैं उनसे सुन लीजिये तो यह ट्रेनिंग तो हम उनको आरम्भ से देते हैं लिहाजा इससे कोई अन्तर नहीं हो सकता है । अगर वे शहर से बाहर बना दिये जांय तो भी जो उनके माता पिता हैं वे अगर सिनेमा जाते हैं और अपने साथ अपने छोटे-छोटे बच्चों को भी ले जाते हैं तो उनके चरित्र पर जो असर पड़ सकता है वह तो पड़ेगा ही । मैं नाट्यमंचों से विशेष सम्बन्ध रखता हूं और मैं इसलिये जानता हूं कि इसका प्रभाव जो है आजकल के जमाने में चरित्र के ऊपर नाममात्र के लिये रह गया है क्योंकि समाज में हमारा जैसा मनोभाव बन चुका है वह बन चुका है । मैं नाट्य मंचों पर देखता हूं, सिनेमा में देखता हूं कि घोर करुणा का दृश्य उपस्थित है लेकिन दर्शक ठहाका मारकर हंस रहे हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है क्योंकि उनके जो मनोविकार हैं वह इस प्रकार के हैं कि उनके सामने जो सूक्ष्म कला सम्बन्धी भाव और भावनायें हैं उनका कोई असर होता ही नहीं । वह किसी वजह से आकर बैठ गये हैं इसलिये प्रभावित हो कर अगर वे जाते होते तो जो आखिर में अल्टीमेट रिजल्ट दिखाया जाता है वह चरित्र को सुधारने वाले ही दिखाये जाते हैं और उसे कोई अवसर प्राप्त हो तो हमारे महानुभाव लोग बतलावें । इसलिये समाज की वह चीज जिसका एक साधारण नैतिक स्तर है, चारित्रिक स्तर है वह जब समुन्नत होगी तो उसके लिये बहुत से उपादन हैं । इसलिये मैंने जैसा कहा तत्वतः मैं अपने मित्र से सहमत था लेकिन मूलतः इसमें बहुत से लोगों के साथ [डिफरेंशियेशन होगा। आज जो नये बनने वाले हैं उनके साथ तो आप यह लगा देते हैं लेकिन पहले से जो राइट इनजवाय कर रहे हैं उनके साथ यह चीज नहीं होती इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय प्रस्तावक महोदय यह चाहते हैं कि जहां छात्रावास हो, विद्यालय हो वहां सिनेमागृह न हों । जनता में आवाज उठती है कि जहां निवासस्थान हों वहां विद्यालय न बनें । बड़ा विवादग्रस्त प्रश्न है । श्रीमन्, फिर भी इस दृष्टि से कि स्कूल में विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिये आता है और शिक्षा कार्य में बाधा न हो चाहे सिनेमा देखना अच्छा हो या बुरा लेकिन यदि अच्छा होने पर भी विद्यार्थियों का झुकाव उधर हो जाय तो उसका प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ेगा इस तरह से मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं । जहां तक माननीय मौर्य जी के तर्क का सवाल है उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे मैं सहमत हूं परन्तु मौर्य जी की एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। मौर्य जी ने अपने भाषण के बारे में ही कहा कि चलचित्र नाम न रख कर बदचलन रख दिया जाय। मान्यवर, दुनिया के इतिहास में जिन देशों ने जनतंत्र पद्धति से प्रगति की है उनका कहना है, चाहे वह चीन हो या रूस को कि चलचित्रों से उन्हें बड़ा लाभ हुआ है और विशेषकर बच्चों को शिक्षा देने में। माननीय मौर्य जी की सेवा में अपने देश की रोटी फिल्म के दो पद्य रखना चाहता हूं इसलिये कि आपके दिमाग में जो यह बात है कि चलचित्र खराब चीज है वह निकल जाय । महबूब प्रोडक्शन ने बम्बई में रोटी फिल्म बनाया था । एक जगह भिखमंगे इकट्ठे हो रहे हैं और एक करोड़पति एक-एक पैसा बांट रहा है । एक समाजसेवी मौर्य जी की तरह आता है और कहता है—

"गरीबों पर दया करके बड़ा उपकार करते हो,
उन्हें बुजदिल बनाने का यह क्यों सामान करते हो,
डरो उस वक्त से जब रंग बदलेगा जमाने का,
यह बदला लेंगे तुमसे जिनका तुम अपमान करते हो ।

श्रीमन्, फिर रोटी फिल्म में दूसरी जगह आता है एक भूखे आदमी को रोटी की जगह पर जूता दिया जाता है : वहां पर मौर्य जी की तरह एक समाजसेवी आता है और शिक्षा देता है—

"दुखिया दुर्बल छीन लो रोटी हाथ मरोर कर छीन लो रोटी
भीख मांगकर जीने से तो अच्छा है मर जाना,
रहम न खाना, रहम न खाना, है मक्कार जमाना ।"

मान्यवर, तो यह रोटी फिल्म भी चलचित्रों में बना था और तब बना था जब ब्रिटिश हुकूमत, थी। महबूब प्रोडक्शन ने इसे बनाया था और यह शिक्षा दी थी कि भीख मांग कर जीने से अच्छा है मर जाना और गरीबों पर दया करके बड़ा उपकार करते हो, उन्हें बुजदिल बनाने का समान तुम करते हो। सेंसर बोर्ड ने उस समय इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। चलचित्रों ने अपने देश में इस तरह की हजारों प्रेरणायें दीं और अगर आज वे बुरे हैं तो पूरी व्यवस्था को लांछित करना ठीक नहीं है। यह सदन, यह राज्य की विधान सभा बैठी हुयी क्यों नहीं यह निर्णय करती है कि निकम्मी फिल्म जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने कहा, ४२० मि० सम्मत, पिलपिली साहब, फौलादी मुक्का, झिंगराखाना जो फिल्में बन रही हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि व्यवसाय में कोई दोष नहीं है। अगर राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार चाहे तो इस व्यवसाय को अच्छा बना सकती है और देश का बड़ा लाभ हो सकता है।

जहां तक संशोधन का प्रश्न है यह सही है कि चलचित्रों के पास छात्रावास और विद्यालय न हों और विद्यालय के पास चलचित्र न हों, सरकार को इस संशोधन के मानने में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, यह सही है। क्योंकि जमीन के अभाव में विद्यालय बाध्य होते हैं कि वह किसी भी सिनेमागृह के पास अगर उन्हें किसी दाता द्वारा मुफ्त जमीन मिल जाय तो वहां छात्रावास बना लें या विद्यालय खोल लें। अगर इस संशोधन को मानते हैं तो उसके लिये यह जरूरी होगा कि सिनेमागृह के पास मुफ्त मिलने वाली जमीन को वह न ले और उससे दूरी पर कहीं वह विद्यालय बनायें। मुझे ताज्जुब हुआ देवदत्त जी की तकरीर से श्रीमन्। माननीय देवदत्त जी ने कहा कि यदि माननीय संशोधन प्रस्तुतकर्त्ता का यह संशोधन ऐसा होता कि यह सारे सिनेमाघर जो विद्यालयों और छात्रावासों के पास हैं, वह हटा दिये जायं तो उसका वह समर्थन करते। इतना बड़ा रिस्क जो राज्य सरकार पर चढ़ बैठेगा उसके समर्थन के लिये तो आप तैयार हैं जो कि सम्भव नहीं है लेकिन जो सम्भव है कि आगे ऐसा ध्यान रखा जाय कि भविष्य में कोई छात्रावास या विद्यालय सिनेमाघर के पास न हो, इसका आप विरोध करते हैं। यह क्या है। यह हमारी समझ में नहीं आता है देवदत्त जी का तर्क तो या तो सिर्फ यह है कि भाषण देने के लिये ही वह खड़े होना चाहते थे और उठकर के उन्होंने मंत्री जी के पक्ष में भाषण दे डाला, यद्यपि मैं नहीं समझता कि मंत्री जी के पक्ष में वह होता है या नहीं लेकिन फिर मैं यह नहीं समझ पाता कि किस लिये उन्होंने ऐसा किया। इन शब्दों के साथ मैं माननीय संशोधन प्रस्तुतकर्ता के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो यह संशोधन भवन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उससे सहमत होते हुये भी उसके पक्ष में या विपक्ष में कुछ कहना नहीं चाहता था क्योंकि मेरा ऐसा ख्याल है कि रूल्स के अन्तर्गत कहीं पर आ चुका है कि जहां स्कूल हों या हास्पिटल हों वहां से एक फर्लांग की दूरी तक, कुछ ऐसा ही फासला है, मैं ठीक नहीं कह सकता, सिनेमाज का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन हमारे विद्वान् साथी पं० देवदत्त मिश्र जो एक विद्वान पंडित हैं और जो भविष्य की बात आसानी से विचार सकते हैं, उन्होंने कुछ अपने विचार प्रकट किये मुझे उनसे खेद हुआ। आपने यह कहा कि चूंकि शहरों में जो इतने सिनेमाज लगे हुये हैं वह बहुत सी संस्थाओं के सामने हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया क्राइस्ट चर्च कालेज के सामने एक सिनेमा है, इसी तरह से उन्होंने और भी उदाहरण दिये। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है, अगर सरकार द्वारा या ऐडमिनिस्ट्रेशन द्वारा या कुछ और लोगों के द्वारा ऐसी गलती हो चुकी है तो इसके माने यह नहीं हैं कि भविष्य में जो सिनेमाज का निर्माण हो उनमें यह पाबन्दी लगायी न जाय। मेरा तो विचार है कि जो अभी तक नियम हैं उनका वास्तव में पूर्ण रूप से पालन नहीं हुआ और शासन की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज की तरफ से बहुत ढील सी रही। मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूं कि जनहित में अगर सरकार को वह सिनेमा हाल्स हटाने पड़ें जो कि आज दस या पन्द्रह साल पहले से बने हुये हैं तो जनहित में उचित होगा कि वह हटा दिये जायं। लेकिन यह यदि संभव नहीं है तो यह तो हमको अवश्य करना चाहिये कि भविष्य में इन पाबंदियों का

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

ख्याल रखा जाय । लेकिन जिस तरह से आज बच्चों के चरित्र के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अभी मौर्य जी ने कहा और और माननीय सदस्यों ने भी कहा, उसको देखते हुये उन बच्चों की खातिर, देश की संतान की खातिर अगर यह हम कर सकते हैं तो अच्छा ही होगा । हमें उन लोगों की परवाह नहीं करनी है जो कि लखपति हैं, कैपिटलिस्ट हैं, जिनके द्वारा इन सिनेमाज का निर्माण किया जा चुका है । यह देश की पुकार है, जनता की पुकार है कि सिनेमाज के सम्बन्ध में जो नियम बनाये जा चुके हैं उनका पूर्णतः पालन किया जाय । मैंने जैसा कहा मैं इस संशोधन के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोलना चाहता था लेकिन यह जो कहा गया कि पहले से जो बने हुये हैं उनका प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिये मुझे यह कहना पड़ा और मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूं कि अगर जन हित में कोई सिनेमा पहले से बना हुआ है, और वह हास्पिटल के सामने है या किसी रेलीजस इंस्टीट्यूशन के सामने है, या किसी पाठशाला के सामने है तो उसको कीमत हटा दिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री कृष्णशरण आर्य---श्रीमन्, मैं प्रश्न उपस्थित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रस्ताव यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामजीलाल सहायक---श्रीमन्, मंत्री जी ने तो कुछ बताया ही नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---वह अगर बोलना नहीं चाहते तो मैं मजबूर नहीं कर सकता हूं । उनको दो बार बोलने का मौका है । वह बोलने के लिये खड़े हो सकते थे ।

श्री रामजीलाल सहायक---यदि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें....

श्री उपाध्यक्ष---स्वीकार करने के लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे हैं ।

क्या माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करने को तैयार हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी नहीं ।

श्री रामजीलाल सहायक---उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव पर जिन सज्जनों ने अपने विचार प्रकट किये उनको धन्यवाद और चूंकि मंत्री जी तैयार नहीं हैं इसको स्वीकार करने के लिए, इसलिये मैं इसे वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, मैं अपने संशोधन में जरा सा परिवर्तन कर के पेश करता हूं ।

खंड ५ के उपखंड (१) भाग (ख) के बाद नया भाग (ग) निम्न रूप में रख दिया जाय ---

"(ग) वह स्थान जिस के निमित्त लाइसेंस देना है किसी शिक्षण संस्था, चिकित्सालय, अनाथालय, छात्रावास, पुस्तकालय तथा वाचनालय से कम से कम २२० गज की दूरी पर है ।"

श्रीमन्, इस धारा में यह है कि जो लाइसेंस देने वाला अधिकारी होगा वह अगर सैटिस्फाइड हो जायगा कि ये जो दो तीन धारायें हैं उनका पालन किया है तो वह लाइसेंस देगा । बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी राय व्यक्त की और मैं जहां तक समझता हूं करीब करीब सदन के सभी सदस्यों की यह राय है कि इस किस्म की धारा जरूर होनी चाहिये । जब जनरल डिस्कशन के समय जब बहस हो रही ही थी तो माननीय ग्रामवासी जी ने कहा था

श्री व्रजभूषण मिश्र——आप कल की बात आज कह रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ मल्ल——आप के दिमाग में जो शंका है उसका समाधान हो जाना चाहिये। उसमें एक शंका उत्पन्न हुई कि अगर कोई सिनेमाघर पहले से किसी स्कूल के सामने है तो इस संशोधन से वह सिनेमाघर निकाल दिया जायगा, तोड़ दिया जायगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र——गलत बात है।

श्री जगन्नाथ मल्ल——मैंने एक मिसाल दी। तो श्रीमन्, मैं बताऊं कि शायद उन्होंने इस विधेयक को पढ़ने की कृपा नहीं की, क्योंकि इस विधेयक में ऐसा नहीं है कि जो लाइसेंस पहले से दिये जा चुके हैं वह भी कैंसिल हो जायेंगे। अगर मिश्र जी ने धारा १२ की उपधारा (२) को पढ़ा होता तो शायद ऐसी शंका उत्पन्न न हुई होती। श्रीमन्, आपकी इजाजत से मैं उस खंड को पढ़ देना चाहता हूं ——

"सिनेमैटोग्राफ ऐक्ट, १९१८ के अधीन दी गई आज्ञा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित हो, प्रचलित रहेगी और इस अधिनियम के अधीन दी गई कोई आज्ञा समझी जायगी, और ऐसी किसी आज्ञा के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, दिये गये लाइसेंस, आरोपित शर्तें या निरोध तथा प्रवारित आदेश जो उक्त प्रारम्भ से तत्काल पूर्व हो, यथावत् प्रचलित रहेंगे, और इस अधिनियम के अनुसार की गयी, दिये गये, आरोपित अथवा प्रचारित समझे जायंगे।"

इसलिये जो हमारे मिश्र जी को डर है कि वह सिनेमा तोड़ दिया जायगा कि तो वह डर नहीं होना चाहिये। इस संशोधन का मतलब सिर्फ यही है कि जो नये लाइसेंस दिये जायंगे वह ऐसे लोगों को नहीं दिये जायंगे कि जो कि किसी स्कूल के पास सिनेमा घर खोल कर वहां चलाना चाहेंगे। अभी इधर से एक मित्र ने कहा कि अगर वे भी हटा दिये जाते तो अच्छा था। अरे, हम कहते हैं कि सरकार इतना ही मान ले तो गनीमत है। यह सरकार जिस गति से चलती है उसमें अगर्चे आगे देने वाली चीज ही मान ले तो बहुत गनीमत है, पीछे हटाने का सवाल ही नहीं है।

एक और विरोध रामलखन जी ने किया। उनका कहना था कि एक तालिका बनानी पड़ेगी। तो मेरे संशोधन से उनकी तालिका भी पूरी हो जाती है, इसलिये उनका भी विरोध खत्म हो जाता है। हां, एक चीज माननीय मुख्य मंत्री जी ने सवेरे कही इसके विरोध में कि साहब, ऐसी चीजें ऐक्ट में नहीं होनी चाहिये बल्कि नियमों में होनी चाहिये। लेकिन श्रीमन्, उन्होंने कह दिया, बड़े आदमी का कहना ही कानून है, लेकिन कोई तर्क इसके बारे उन्होंने उपस्थित नहीं किया। मैं तो समझता हूं कि इसे ऐक्ट में ही होना चाहिये और इसके बारे में एक भारी तर्क है और वह यह कि जो ऐक्ट होता है वह बड़ा जोरदार होता है ज्यादातर लोग ऐक्टों को ही पढ़ते हैं। अगर्चे यह चीज ऐक्ट में रख दी जायगी तो सरकार का कोई नुकसान तो होता नहीं है। सरकार की तो मन्शा है ही क्योंकि जब नियमों में बना हुआ है और मुख्य मंत्री जी ने इस चीज को मंजूर भी किया तो उसको ऐक्ट में रख देने से मैं नहीं समझता कि कोई हानि हो जायगी। नियम तो किसी वक्त भी बदले जा सकते हैं और उन्हें सरकार बदल सकती है, जब चाहे बदल दे, लेकिन ऐक्ट तो सरकार नहीं बदलेगी, वह तो यह विधान सभा ही बदल सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसी जरूरी चीजें ऐक्ट में ही रहनी चाहिये और इस तर्क के साथ चाहता हूं। और वैसे अगर हठधर्मी है कि नहीं साहब, हम नियमों में ही रखेंगे तो दूसरी बात है। लेकिन जो तर्क मैंने दिया उसे तर्क के तराजू पर तौलते हुये यही बात सही जंचती है कि ऐसी जरूरी

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

चीजें ऐक्ट में ही रहनी चाहिये। सिनेमा सामने न रहे यह हम इसलिये नहीं कहते कि लड़के तुरन्त जा कर सिनेमा देखेंगे क्योंकि अगर एक फर्लांग पर भी सिनेमा है और कोई लड़का देखना चाहे तो वह जरूर देखेगा। यूनिवर्सिटी बहुत से

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

दूर सिनेमा हैं लेकिन जिन लड़कों को देखना होता है चले आते हैं और जिनको नहीं देखना होगा आहे घर के सामने सिनेमा हो वह नहीं देखेंगे । मैं तो सामने सिनेमा न हो यह इसलिये चाहता हूं कि जहां सिनेमा घर होता है वहां का एटमास्फ़ियर बहुत दूषित रहता है । कई किस्म के लोग वहां जुटते हैं, कई किस्म की बातें करते हैं, गाली गुफ्ता बकते हैं और कई किस्म के गाने वगैरा गाते हैं तो इस तरह से वहां का एटमास्फियर दूषित हो जाता है । इसके अलावा वहां पर हल्लागुल्ला भी होता है, जिससे पढ़ने में दिक्कत होती है । इसलिये मैं चाहता हूं कि यह जो कानून है इसको सरकार को यहां रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । यह थोड़ी सी दिक्कत सरकार कह सकती है कि इसको अमेंड करना होगा तो जो सही चेंज है उसके लिये १०, १५ मिनट ले कर के अमेंडमेंट करा लें क्योंकि इस पर कोई बहस तो होगी नहीं और कुछ समय नहीं लगेगा । आप की भी मंशा है, हाउस की भी मंशा है और सब की मंशा है कि सिनेमाघर स्कूल के सामने, अस्पताल के सामने या अनाथालयों वगैरह के सामने न हों हम समझते हैं कि इसमें ५ मिनट लगेंगे कौंसिल में, क्योंकि सरकार कहेगी कि हमें स्वीकार है और जब अमेंडमेंट अच्छा है तो फिर कौन उसका विरोध कर सकता है । मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी हठधर्मी न करें और इसको कानून में रख दें तो बड़ा अच्छा हो क्योंकि जनता ज्यादातर ऐक्ट को पढ़ती है नियम कोई नहीं पढ़ता है और नियम पढ़ने भी हैं, तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं और यह जल्दी मिलते भी नहीं हैं । बाजार में ऐक्ट मिल जायगा लेकिन नियम नहीं मिलेंगे । जो लोग सिनेमाघरों को बनायेंगे वह यह जानेंगे कि यह बड़ी गड़बड़ बात है इसलिये एक फर्लांग की दूरी पर बनायेंगे । अगर सामने बनायेंगे तो लायसेंस नहीं मिलेगा । मैं समझता हूं कि आप मन्त्री जी इसको समझ गये होंगे इसलिये वह हठधर्मी से काम न लेकर इसको स्वीकार न करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि वह इसको ऐक्ट में रख दें ।

श्री जगन प्रसाद रावत---यह संशोधन और इससे पहले के संशोधन पर जो विचार किया था वह करीब करीब एक से हैं, केवल इसमें दूरी का सवाल और उठाया गया है । जहां तक इस संशोधन में भावना व्यक्त की गयी है मैं उसका आदर करता हूं और मैं आवश्यक समझता हूं कि जहां अस्पताल स्कूल और अनाथालय आदि हैं, वहां से काफी दूर पर सिनेमाघर बनें, लेकिन जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि कुछ तफसील की बात होती हैं जिनको नियमों में रखना अधिक सुविधाजनक होता है । ऐक्ट में लाने से कोई विशेष फायदा नहीं होता । इसके सम्बन्ध में जो रूल्स हैं कि अस्पताल, स्कूल और अनाथालय से एक फर्लांग की दूरी पर नये सिनेमाघर बनाये जा सकते हैं । चूंकि यह नियमों में दिया है इसलिये ऐक्ट में इसके लाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यगणों की जो भावना है उसका हमने आदर रूल्स में किया है और मुझे आशा है कि वह इसको वापस ले लेंगे ।

श्री जोरावर वर्मा---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मल्ल जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । यद्यपि नियमों में इसका समावेश है लेकिन नियमों का पूरा पालन नहीं किया जाता है, कानून में या ऐक्ट में.....

श्री अध्यक्ष---आप समर्थन किसका कर रहे हैं, आप अकेले 'मल्ल' कह रहे हैं तो 'मल्ल जी' कहने से गड़बड़ी हो जाती है ।

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, इसमें एक क्लाज जोड़ा जाय, क्योंकि यह लायसेंस देने की बात है, इससे निश्चित सम्भावना हो जायगी, क्योंकि नियम प्रायः लोग नहीं पढ़ते हैं और मैं समझता हूं कि जो लाइसेंसिंग अथारिटी है वह भी नियमों की कोई परवाह नहीं करती है । लेकिन अगर इस कानून में यह धारा रख दी जायगी तो यह निश्चित है कि वह इस पर विचार करेंगे, क्योंकि ऐसे उदाहरण अनेक हैं कि जिनमें नियमों की अवहेलना की गई ।

इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें अधिक समय न लेकर यही कहना ठीक होगा कि यह संशोधन बहुत अच्छा है और अगर हम इस बात को लागू करना चाहते हैं शिक्षा संस्थाओं के पास सिनेमाघर न हों और एक फर्लांग की दूरी पर हों तो हमें इस संशोधन को मान लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि मंत्री जी जन-भावना का आदर कर इसे मान लेंगे और इसलिये मैं उनसे इसको मानने की प्रार्थना भी करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, क्या ही अच्छा होता अगर माननीय उपमंत्री जी इस तर्क को देने के पहले दे कि नियमों में सब मौजूद है, नियमों को पढ़ लेने की कृपा करते। श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस समय नियमों को पढ़ने की कृपा की, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने उसके थोड़े से शब्द ही पढ़े। अगर पूरे नियम पढ़ देते तो स्पष्ट हो जाता कि नियम कितने अस्पष्ट हैं और कितने अधूरे हैं। माननीय मंत्री जी हमारी भावनाओं से सहमत हैं। वह स्वयं कहते हैं कि यह एक तफसील की बात है अगर इसको वह एक तफसील की बात मानते हैं तो खंड ५ के उपखंड (ख) में दी गई बात कि "उस स्थान में, जिसके निमित्त लाइसेंस देना है, प्रदर्शन देखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये उपयुक्त पूर्वविधान रखे गये हैं"। भी तफसील की बात होगी। प्रकाशन की बात तफसील की बात हो सकती है? अगर आपने प्रकाशन की बात को ऐक्ट में रखना उचित समझा तो यह भी उसी प्रकार की बात है और हमारे माननीय उपमंत्री जी तत्वतः के हामी हैं और इसलिये मैं समझता हूं कि उन्हें इस पर कोई एतराज इस कारण न होना चाहिये।

अब मैं नियमों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आप सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट के नियम ७ के उपनियम २ को देखें। वह अंग्रेजी में है। मैं उसको पढ़ कर उसका अनुवाद करता जाऊंगा। उसमें लिखा है:

"No building except that already licenced at the date this rule comes into force shall be licenced for Cinematograph exhibition if it is situated:

(*a*) within a radius of one furlong from:"

कोई भी ऐसी इमारत जो कि, जिस तारीख को यह नियम लागू किया जाता है उसके पहले ही अगर लाइसेंस न कर दिया गया हो, उसके बाद किसी इमारत को सिनेमा प्रदर्शन के लिये लाइसेंस नहीं दिया जायगा, अगर

"(1) No residential institution attached to a recognised educational institution such as a College, a High school or a Girls school, or"

किसी ऐसे निवास स्थान से जो कि अटैच्ड हो किसी रिकग्नाइज्ड शिक्षा संस्था से जैसे कि कालेज, हाईस्कूल और लड़कियों का स्कूल। इसमें पहली ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह शिक्षा संस्थाओं के लिये नहीं है, शिक्षा संस्थाओं से संबंधित निवास स्थान के लिये है, होस्टल से है। शिक्षा संस्था के नजदीक एक फर्लांग में सिनेमा हो सकता है लेकिन होस्टल के नजदीक नहीं हो सकता है। पहली खामी तो इसमें यह है। दूसरा लेक्यूना यह है कि शिक्षा संस्था को रिकग्नाइज्ड होना चाहिये। आप जानते हैं कि इस समय ९५० अनरिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यहां हैं। तो शिक्षा संस्थाओं के लिये जो मंत्री जी की भावना है वह अधूरी रह जाती है। अब आगे देखिये:

"(2) A public hospital with a large indoor patient ward; or

पब्लिक अस्पताल हो जिसमें बड़ा इन्डोर पेशेंट वार्ड होना चाहिये, इसके आगे

"(3) An orphanage containing one hundred or more inmates; or"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अनाथालय के बारे में है जिसमें १०० या एक सौ से अधिक अनाथ रहते हों। जिसमें १०० या अधिक पेशेन्ट रहते हों। और अगर वहां पर इतने नहीं रहते तो वहां पर लागू नहीं होगा। अब आगे आप देखें जिसमें यह लिखा है कि :

"in any thickly populated residential area which is either exclusively residential or reserved or used generally for residential as distiguished from business purposes."

इसमें ऐसा एरिया जिसमें लोग रहते हों लेकिन वहां पर रहने के मकान तो हों वहां पर कोई बिजनेस नहीं होती हो, व्यापार कोई न होता हो। किसी शहर में इस तरह से बहुत कम होता है कि दुकान ही दुकान हों। आमतौर पर यह होता है कि ऊपर लोग रहते हैं और नीचे दुकान होती है, जहां पर बिजनेस का काम होता है। इसलिये वहां पर यह परिभाषा लागू नहीं होती। अब आगे चल कर आप देखें यह भी माननीय मंत्री जी की खली-खंगड़ी परिभाषा उनके मन्शा को पूरा नहीं करती। आगे आप जो प्राविजो लिखते हैं उसमें लिखा है कि:

"for the purpose of this rule the District Magistrate shall, subject to the general control of the Government, determine what is a hospital, recognized educational institution, a large indoor patient ward or a thickly populated residential area, and his decision shall be final and conclusive."

अब जितनी ऊपर परिभाषा दी गयी हैं उनको सीमित कर दिया गया है, कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पूरा अधिकार होगा कि वह इस बात को तय करेगा कि कौन अस्पताल है, कौन रिकगनाइज्ड स्कूल है नियमों में और इस प्रतिबन्धात्मक वाक्य में फर्क कर दिया गया है। आगे चल कर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ताकत दी गई है। जो ताकत ऐक्ट में होनी चाहिये वह इन नियमों में दे दी गई है। इसमें लिखा है कि :

"Provided that the District Magistrate may for sufficient reason and with the prior approval of Government relax this rule or any part thereof in any case."

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह ताकत दी गयी है कि सुविधा के अनुसार परामर्श लेकर स्थानीय अधिकारियों से और सरकार से वह नियमों में छूट भी दे सकता है।

दूसरा प्राविजो जो है वह तो हंसी प्रदान करने वाला है, उसमें यह दिया हुआ है कि:

"Provided further that in relaxing this rule or any part thereof the Government shall take into consideration the nature of the proposed building and whether or not it is sound proof or is within a radius of 50 feet from any petrol pump or any shop or store dealing in highly combustible material."

इस प्राविजो में जो लिखा है वह तो सारी परिभाषा के विपरीत जाता है। एयर कंडीशन्ड सिनेमा के होने से अस्पताल का क्या ताल्लुक है कि अगर एयर कंडीशन्ड है तो वहां पर छूट हो सकती है। यहां पर इस नियमावली पर बहस नहीं हो रही है, लेकिन जब माननीय मंत्री जी ने नियमों का हवाला दिया है तो जो नियम अधूरे हैं और अपर्याप्त हैं उनके बारे में जरूर बात होनी चाहिये। हम जानते हैं कि माननीय मंत्री जी और हमारी भावनायें एक हैं, लेकिन वह उनकी भावना को पूरी नहीं करती। मंत्री जी अपने हृदय से पूछ लें और अगर उनकी भावना को यह अनुकूल है और उनका दिल राजी है तो हम इसको वापस लेने के लिये तैयार हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यह नियम उनकी भावना को पूरा नहीं करते। वह नियम तो रिकगनाइज्ड स्कूल के लिये हैं और जो रिकगनाइज्ड नहीं है उसके लिये नहीं है। जहां पर दुकानें न हो वहां के लिये, लेकिन जहां पर दूकानें हैं वहां पर सिनेमा हो सकता है, तो इसके अन्दर इस प्रकार के अधूरे वाक्य इस प्रतिबन्ध में हैं जो उनकी भावना को

पूरी नहीं करते। इन अधूरे नियमों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक में इस प्रकार के नियम नहीं होने चाहिये और कम से कम नियमों में इस प्रकार के अधिकार नहीं रहने चाहिये, कि जो ऐक्ट की मर्यादा के बाहर जाते हों। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो मल्ल जी का संशोधन है, चाहे उसमें कुछ हेर-फेर कर दिया जाय और ज्यादा समय लेना चाहते हों तो हम उसके लिये भी तैयार हैं कि कल इस पर विचार हो जाय, आज स्थगित कर दिया जाय, कानूनी मशविरा लेकर यहां लायें, और जैसे हमारी और उनकी भावना एक है तो फिर यहां पर त्रिवेणी को बहना ही चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, मैं नारायणदत्त जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम लोगों की आखें खोल दीं। हम लोग तो समझे बैठे थे कि मामला ठीक ही है लेकिन यह सब देख कर मालूम होता है कि यह सब चों-चों का मुरब्बा है और यह कि इसम सारी ताकत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देदी गयी है। यह एक बहुत ही इम्पार्टेंट चीज है इसलिये इसको बजाय नियमों के अधिनियम में ही होना चाहिये, क्योंकि सब लोग नियमों को देखने की चेष्टा नहीं करते खाली अधिनियम को देखते हैं। यह चीज मेरे तर्क को और भी मजबूत करती है कि इस किस्म की इम्पार्टेंट चीज बिलकुल ऐक्ट में ही होनी चाहिये और यह नियमों में नहीं होनी चाहिये। हम जानते हैं कि शायद यहां जितने माननीय सदस्य बैठे हैं उनमें से किसी ने नियमों को पढ़ा नहीं होगा, सब लोगों ने अधिनियम को ही पढ़ा होगा चाहे वह नया हो या पुराना। अब यह तो मैं नहीं कहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने भी उसको नहीं पढ़ा होगा। लेकिन माननीय सम्पूर्णानन्द जी कि जो हमारे मुख्य मंत्री हैं उन्होंने भी इसको छोटा सा ही बताया। यह हम कैसे कहें कि वे यह कह कर हम लोगों को भुलावा दे रहे थे, लेकिन उनको पूरा पढ़ कर सुनाना चाहिये था। इसलिये इसको ऐक्ट में ही होना चाहिये क्योंकि अब यह तो साबित ही हो गया कि किसी ने भी इस रूल को देखा नहीं है और सब लोगों ने ऐक्ट को ही देखा है लेकिन इस नियम को किसी ने नहीं पढ़ा और यह जो नियम है वह हम लोगों की भावना को प्रदर्शित भी नहीं करता है। जैसा कि माननीय नारायण दत्त जी ने कहा कि यदि माननीय मंत्री जी को कोई दिक्कत हो तो वे इसको आज स्थगित कर के कल ले लें। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के सड़े गले नियम से काम चलने वाला नहीं है क्योंकि उसमें इस सदन की जो भावनायें हैं वे भी नहीं आती हैं। अतः कृपा कर के वे इसको मंजूर कर लें। अगर वे "नहीं" भी कर देंगे तो भी लोग हाथ तो उठा ही देंगे। आपको सदन की भावनाओं को डंडा लेकर नहीं कुचलना चाहिये। इसलिये आप सब की भावनाओं को देखकर इस संशोधन को स्वीकार कर लें क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि यह हो जाय। एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो यह न चाहता हो। अगर ऐसा है तो कोई कहे, कोई नहीं है। अतः माननीय मंत्री जी को मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रेस करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इसको मंजूर कर लें।

श्री जगन प्रसाद रावत---माननीय नारायणदत्त जी ने रूल्स पढ़ कर सुनाये और उन्होंने यह बताया कि रूल्स में वे सब भावनायें नहीं आती जो कि आनी चाहिये तो जहां तक रूल्स का ताल्लुक है, रूल्स का बदलाव ही हो सकता है। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि सदन की जो भावनायें हैं रूल्स उनके अनुसार ही बनाये जायेंगे, और अगर सदन की भावनाओं को ध्यान में रख कर रूल्स का बदला जाना आवश्यक होगा, तो उनको बदला भी जायगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि ऐसी चीज नियमों में ही आना चाहिये, ऐक्ट में आने से उसमें कोई विशेष सुविधा न होगी। मैं आशा करता हूं कि मल्ल जी इसको वापिस ले लेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल---मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐक्ट में इसको लाने में क्या असुविधा होगी?

श्री अध्यक्ष---मैं उनसे ऐसा नहीं कह सकता कि उनको यह लाजिमी तौर पर बतलाना ही चाहिये।

(कुछ ठहर कर)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (ख) के बाद नया भाग (ग) निम्नरूप में रख दिया जाय :—

"(ग) वह स्थान जिसके निमित्त लाइसेंस देना है किसी शिक्षण संस्था, चिकित्सालय, अनाथालय, छात्रावास, पुस्तकालय तथा वाचनालय से कम से कम २२० गज की दूरी पर है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वर लाल—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन रखना चाहता हूं कि खंड ५ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ में शब्द "तथा" के बाद शब्द "नियत" रख दिया जाय और आगे आया शब्द "ऐसा" निकाल दिया जाय तथा पंक्ति ५ में शब्द "जो नियत किया जाय" निकाल दिया जाय।

यह नया संशोधन मान लिया जाय तो खंड ५ का उपखंड (२) इस प्रकार हो जायगा :—

"(२) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन तथा राज्य सरकार के नियंत्रण एवं सामान्य और जनता के हित का पालन करते हुये लाइसेंस प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रतिबन्धों और ऐसी शर्तों पर और ऐसे निरोधों के अधीन जिन्हें वह अधिरोपित करे तथा नियत शुल्क देने पर लाइसेंस दे सकता है।"

मान्यवर, यह हमारा संशोधन बहुत छोटा सा संशोधन है और इस विधेयक की मंशा पर यह कभी चोट नहीं पहुंचाता। नियम में एक लाइसेंसी के लिये २५० रुपये की व्यवस्था है। चाहे वह २५० रुपये हो या २५० से बढ़ाकर १ हजार कर दी जाय उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि यदि हमारा संशोधन नहीं माना जाता तो इस उपखंड का मतलब यह भी लगाया जा सकता है कि किसी भी लाइसेंसी को लाइसेंस देने के लिये अलग-अलग इलाके के प्राधिकारी अलग-अलग फी लगा सकता है, इसलिये मैं चाहता हूं कि मेरे इस संशोधन को मान लिया जाय और पूरे राज्य में एक ही तरह की लाइसेंस फी जो नियत की जाय वह रहे और वह इस विधेयक के इस उपखंड में अवश्य आ जाय, वह चाहे २५० हो या चाहे जो हो। इसलिये मैंने रखा है कि नियत शुल्क देने पर जो नियत किया जाय ऐसा किया जाय। तो मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी इस संशोधन पर सहमत होंगे और इसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री जगन प्रसाद रावत—जैसा स्वयं माननीय रामेश्वर लाल जी ने कहा उनके शब्दों में और इसमें कोई अन्तर नहीं है, और जहां तक शब्दों की सुन्दरता का सम्बन्ध है वह तो शब्द और भी सुन्दर हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस समय इनके लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल—मैं इसमें कोई बहुत अहमियत नहीं देखता और समझता हूं कि माननीय मंत्री जो किसी संशोधन को मानेंगे नहीं इसलिये मैं, इस वक्त उनकी जो जिद रह जाय, अपना संशोधन वापस लेता हूं :—

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (४) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय:—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि राज्य सरकार किसी ऐसे फिल्मों के प्रदर्शन का आदेश जारी न कर सकेगी जो किसी राजनीतिक या धार्मिक पार्टी के प्रचार के लिये बनाई गयी हों।"

श्रीमन्, यह जो धारा ५ है उसके उपखंड ४ में सरकार को यह अधिकार दिये गये हैं कि जैसे कोई फिल्मज आते हैं, चाहे कोई एजूकेशनल फिल्मज हों या कोई न्यूज वाले फिल्मज हों या इस तरह का कोई हमारे देश में उत्थान का काम हो रहा हो उस पर फिल्म बना हो तो

सरकार उसके लिये आज्ञा दे, सिनेमावालों को कि इसे जरूर दिखाना होगा। यह अधिकार सरकार के पास रहना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं, जैसे बुलगेनिन साहब, उनका पिक्चर बन रहा है, तो वह दिखाया जाय, पंडित जी रूस गये थे उनका पिक्चर बना था वह जरूर दिखाना चाहिये। यह चीजें जरूरी हैं क्योंकि हम तो विदेशों में जाते नहीं लिहाजा हम भी देख सकें कि हमारे यहां के लोग जाते हैं तो उनका कैसा स्वागत होता है और उनके यहां के लोग आते हैं तो उनका कैसा स्वागत हो रहा है। या जो उत्थान के काम हो रहे हैं जैसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनको दिखाया जाना चाहिये लेकिन श्रीमन्, हमको भय है कि इलेक्शन आ रहे हैं, सरकार इलेक्शन प्रोपेगंडा वाले पिक्चर न बना ले और हुक्म दे दे कि सब सिनेमाघरों में दिखाया जाय चाहे किसी की सरकार हो कानून अगर बनता है तो वह तो स्थायी रहता है, लेकिन सरकारें बदलती रहती हैं। तो मैं तो यह कहता हूं कि इस किस्म का प्रतिबन्ध जरूर होना चाहिये। अगर्चे ऐसा प्रतिबन्ध नहीं होगा तो हमको खतरा है कि कहीं सरकार इस किस्म का प्रचार फिल्म बनवाये और यह हुक्म न दे दे कि इसको दिखाओ और सिनेमा-घरों में उसका प्रचार करावे। तो श्रीमन्, यह बहुत सीदासाधा संशोधन है। मैं समझता हूं कि इसको बहुत सफाई के साथ माननीय मंत्री जी को मान लेना चाहिये ताकि इस किस्म की किसी को कोई शंका न रह जाय और अगर किसी के दिल में यह इच्छा भी हो कि हम इस किस्म का काम करें तो वह न कर सके। इसलिये इस प्रतिबन्ध को माननीय मंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिये। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस संशोधन को पेश कर रहा हूं।

श्री कृष्णशरण आर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन जगन्नाथ मल्ल जी ने रक्खा है यदि इस स्थान पर यह रक्खा जाय "यदि कोई ऐसा फिल्म जो किसी राजनैतिक संस्था के विरोध में या किसी धार्मिक संस्था के विरोध में हो" तब तो युक्तिसंगत बात थी लेकिन यह कि किसी राजनैतिक संस्था का प्रचार न हो इस पर जो संशोधन रक्खा गया है उससे आशय कुछ ऐसा लगता है कि उनको कुछ खतरा महसूस हो रहा है और वह यह कि द्वितीय पंचसाला योजना के अन्तर्गत भाखरा, नांगल, मिर्जापुर की फैक्टरी या रेहन्द डैम या तराई भावर का काम इन चीजों पर फिल्म बनायी गयी तो जनता के सामने ये सब काम आयेंगे जो सरकार की ओर से हुये हैं तो अवश्य ही जनता कांग्रेस के पक्ष में जायगी, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। इस किस्म के फिल्मों को संस्था का नाम देकर आप कह सकते हैं कि न दिखाये जायं। इसलिये मैं समझता हूं कि जो जनहित के कार्य हो रहे हैं सरकार की ओर से वे जनता के सामने आने चाहिये। इसी कारण मैं इस किस्म के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री जगन प्रसाद रावत—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जो शंकायें उपस्थित की हैं, वे निर्मूल हैं। आज भी सिनेमा घरों में इस किस्म के फिल्म दिखाये जाते हैं और सिनेमा वाले उस आज्ञा का पालन भी करते हैं। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण वह शायद न दे सकेंगे कि किसी राजनैतिक प्रचार के लिये या किसी दूसरे राजनैतिक पार्टी के विरोध के लिये कोई फिल्म दिखाने के लिये वाध्य किया गया हो। मैं समझता हूं कि उनको इस बात पर विश्वास करना चाहिये कि इस तरह की कोई बात होने वाली नहीं है, क्योंकि इस धारामें स्पष्टतया लिखा है कि किन-किन कामों के लिये हम सिनेमावालों से कहेंगे कि वे दिखलायें और उसमें कहीं इस किस्म की बात नहीं मिलेगी कि कोई नाजायज फायदा उठाया जा सके। बाकी जहां तक राजनैतिक संस्था या धार्मिक प्रचार का सबंध है जितने भी फिल्म होते हैं या साधारण तौर से जो चित्र हमारे सामने आते हैं या जो स्वयं सिनेमावाले दिखाते हैं उनमें भी राजनैतिक और धार्मिक बातें ऐसी मिली जुली रहती हैं कि उनको अलग करना बड़ा कठिन होता है। जहां जनता को कोई नुकसान होने की बात हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात हो, ऐसी चीजों को रोकने की जरूर कोशिश होती है। मैं समझता हूं कि इस धारा का केवल अर्थ यह है कि शिक्षाप्रद और जनता के लाभ के लिये जो चित्र हों उन्हीं के प्रदर्शन का प्रश्न है। मैं आशा करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में जो सरकार की नियत है उस पर विश्वास करेंगे और अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री रामसुभग वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जगन्नाथ मल्लजी ने जो संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मल्ल जी ने अपना मतलब साफ कर दिया है अपना प्रस्ताव रखते हुये आर्य जी ने जो कहा उससे एक शंका उपस्थित हो गयी। रामेश्वर लाल जी ने बतलाया जैसे बुलगैनिन साहब यहां आये हैं उनका स्वागत होता है, या पंडित जी विदेशों में जाते हैं या कोई भी अच्छा काम करते हैं, जैसे आपने नहर के लिये बताया, वह दिखलाया जाय तो उसको बन्द किया जाय ऐसा तो मल्ल जी ने कहा नहीं। जिससे समाज को शिक्षा मिले, जिस चीज को देख कर समाज तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके उसको दिखलाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाय ऐसा वह नहीं कह रहे हैं। वह कह रहे हैं ऐसी फिल्म जिनसे समाज पर बुरा असर पड़े, समाज की हानि हो, जैसे कोई ऐसी धार्मिक फिल्म बने जिससे किसी एक संस्था का प्रचार हो और जिससे आपस का झगड़ा बढ़े या जैसे बीड़ी, सिगरेट हैं ऐसी चीजों की जो फिल्में आती हैं और प्रचार होता है इससे समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है, बुरा असर पड़ता है। ऐसी चीज पर उन्होंने कहा कि प्रतिबन्ध होना चाहिये और यह अगर ऐक्ट में आ जाय तो ऐसी फिल्में न आयेंगी, न समाज में कोई बुरा असर पड़ पायेगा। इस मंशा से मल्ल जी ने इस संशोधन को प्रस्तुत किया है। इस चीज को समझते हुये माननीय मंत्री महोदय को इसको कबूल करना चाहिये और आर्य जी को इस बात की शंका नहीं होनी चाहिये कि अगर कोई अच्छा काम सरकार करती है और उसकी कोई फिल्म आती है तो उनका दिखलाना वह बुरा समझते हैं ऐसा उनका मंशा नहीं है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन का विरोध करता हूं, उसके लिये मेरे पास आधार हैं। यह मल्ल जी की आशंका निर्मूल है कि सरकार पार्टी लाइन पर चलेगी। सरकार की साधारण नीति किसी पार्टी लाइन पर काम नहीं कर रही है। प्रमाण के लिये मैं बतलाना चाहता हूं कि जब कांग्रेस सेशन होता है तो उसमें हम लोगों को, अगर हम चाहें कि हमें कन्सेशन टिकट मिल जाय रेलवे का, तो नहीं मिला करता सर्वोदय मेले का, जो बिनोवा जी का है, वार्षिक अधिवेशन जब होता है, तो उसमें यह मिल जाता है क्योंकि वह किसी पार्टी विशेष का समारोह नहीं माना जाता। लेकिन जो पार्टी विशेष का समारोह माना जाता है, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें कंसेशन टिकट नहीं मिलता। तो यह साबित करता है कि हमारी नीति स्वतः ऐसी है कि हम किसी तरह से पार्टी लाइन पर या पार्टी विशेष को सुविधा देने या पक्ष करने की नीति पर नहीं चल रहे हैं, हम स्वयं उस नीति का पालन करते हैं जिस ओर वह संकेत करते हैं और हम स्वयं उस नीति पर चलते हैं। लेकिन यह कहा जा सकता है कि हमने यह प्रमाण केन्द्रीय सरकार का दिया है प्रान्तीय सरकार दूसरी नीति पर चल सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारी जो केन्द्रीय नीति है वही प्रदेशीय नीति है। इस वास्ते वह संशोधन निरर्थक है क्योंकि हम स्वतः उस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं जो कि वह मनवाना चाहते हैं; इस वास्ते मैं आग्रह करूंगा कि जब उनका वह संशोधन निरर्थक है और हमने जब अपने सिद्धांत से, व्यवहार से यह सिद्ध कर दिया है कि हम उसका पालन कर रहे हैं तब उनका यह संशोधन व्यर्थ है और आशा है कि उसको वह वापस ले लेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मुझे तो कुछ अजीब सा अनुभव हुआ यह जो तीन मूर्तियों ने मेरे संशोधन का विरोध किया।

श्री अध्यक्ष—'मूर्तियों' शब्द से उनके प्रति आदर की भावना व्यक्त होती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—जी हां। जरा एक शब्द और उसमें जोड़ दूं सजीव मूर्तियों ने। श्रीमन्, आर्य जी को अभी समझ ही में नहीं आया कि पार्टी क्या है, सरकार क्या है, राज्य क्या है। वे सब को एक ही में जोड़ देते हैं। मैंने पहले ही कहा कि निर्माण के कार्य जो राज्य की तरफ से हो रहे हैं उनका प्रदर्शन होना चाहिये। वह कोई कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है, वह राज्य

का काम हो रहा है। उसमें हम भी सहयोग करते हैं। मैं जरा आर्य जी को मोटे हिसाब से समझा दूं, महीन से तो वह शायद न समझ पायें। एक गाड़ी यानी बैल गाड़ी को लीजिये। जो गाड़ी है वह अस्थायी है, वह राज्य है। उसमें जो बैल हैं ....

श्री व्रज बिहारी मिश्र---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। क्या यह किसी सम्मानित सदस्य के लिये उचित होगा कि किसी दूसरे सम्मानित सदस्य के लिये कहे कि आप उसको समझे नहीं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अगर वक्ता को छेड़ा जाय और उसके जवाब में कुछ थोड़ी सी ऐसी बात कही जाय तो वह कोई अनपार्लियामेंटरी बात तो नहीं है। लेकिन अकारण यह बात किसी के लिये कही जाय तो मैं टोक देता पहले ही। लेकिन जब भाषण के बीच में उन्होंने वक्ता को टोक दिया तो ऐसा जवाब दिया जाय और यह बात हुयी जो अनपार्लियामेंट्री नहीं कही जा सकती।

श्री जगन्नाथ मल्ल---जो गाड़ी है वह तो अस्थायी चीज है, वह राज्य और उसमें जो बैल जुते हुये हैं उसको आप समझिये सरकार। अगर्चे एक बैल खराब हो जायगा तो दूसरे बैल से उसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो गाड़ी तो नहीं बदलेगी लेकिन जो बैल है वह बदला जा सकता है, अगर्चे ठीक काम नहीं करते। और उस पर जो गाड़ीवान होता है वह पार्टी है। वह बैलों पर यानी सरकार पर कंट्रोल करती है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय आर्य जी इसको समझ गये होंगे कि पार्टी क्या, सरकार क्या, राज्य क्या है? जितने भी निर्माण के कार्य हो रहे हैं वे राज्य की तरफ से हो रहे हैं उसमें सबका सहयोग है इसलिये उसको दिखाने में कोई हर्ज नहीं और उसको मैं रोकने को नहीं कहता। मैंने तो उसको पहले ही कहा है।

दूसरी शंका माननीय मंत्री जी की तरफ से उत्पन्न की गयी है कि स्टेट वह धार्मिक चीज कैसी होगी? मैं धार्मिक पिक्चर का विरोध नहीं कर रहा हूं, दिखाना चाहिये। लेकिन जो धर्म के नाम पर पार्टियां बनी हैं, साम्प्रदायिक जो पार्टियां हैं उनका कोई प्रचार, उनकी पार्टी की कोई प्रचार की फिल्म तैयार हो तो उस पर प्रतिबन्ध हो। किसी राजनीतिक पार्टी के प्रचार का काम हो, जैसे इलेक्शन के लिये हम फिल्म बनाते हैं और कहें हर सिनेमागृह में उसको दिखाओ, तो इस किस्म की चीज नहीं होनी चाहिये।

जहां तक माननीय मिश्र जी का सवाल है आपकी दलील तो पता नहीं सदन ने समझी या नहीं लेकिन मैं तो कतई नहीं समझा उसको। यह कहा कि कांग्रेस अधिवेशन में हम जाते हैं तो कोई कन्सेशन नहीं होता है। इससे और इस अमेंडमेंट से क्या सम्बन्ध है और माननीय मिश्र जी कुछ फिर बताना चाहें तो मैं बैठ जाऊं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं यों आप ही अपने भाषण में समझायें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---वहां अगर कन्सेशन नहीं मिलता, मैं समझता हूं जो संस्था इस तरह का कन्सेशन देगी वह संस्था ही नहीं। आपका अधिवेशन चल रहा है तो क्या एम० एल० ए० होने के नाते उनको कन्सेशन मिल जायगा या किसको कंसेशन मिलेगा? जो डेलीगेट है उसको डेलीगेट फीस देकर जाना होगा, जो दर्शक है उसको फीस देकर जाना होगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र---रेलवे के भाड़े में।

श्री जगन्नाथ मल्ल---रेलवे के भाड़े में कंसेशन चाहते हैं। तो यह आपने क्यों नहीं कहा। रेलवे के भाड़े में भी हो सकता है। यह अगर्चे पहले आप कह देते तो कुछ सफाई हो गयी

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

होती । यह आपने नहीं कहा । आपने कहा कि हमको कंसेशन नहीं मिलता । तो श्रीमन्, गाड़ी वगैरह तो मिल ही जाती है । हमको वह नहीं मिलती वह तो आप पा ही जाते हैं । इससे भी आप इन्कार नहीं कर सकते । चुनावों में क्या क्या होता है । अब उसको श्रीमन्, मैं यहां नहीं कह सकता । क्या-क्या खेल होते हैं, कैसे-कैसे अफसर लोग दबाव डालते हैं हमने तो कई एलेक्शन देखे हैं, उनमें क्या-क्या दबाव डाले जाते हैं, मंत्री जी जाकर कह आते हैं ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अब भाषण कुछ असंगत हो रहा है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दरअसल इसमें अख्तियार है । इसमें यह अख्तियार है कि साहब, जब चाहें तब हम फिल्म एक बनवा लें और उसमें अपने एलेक्शन का प्रचार करवायें कि कांग्रेस होगी तो यह होगा, वह होगा । अरे, आपका प्रचार तो डाकूमेन्ट्री के द्वारा हो ही रहा है लेकिन फिर भी न जाने क्या चीज आपके दिमाग में आ जाय तो एक फिल्म बन जाय और उसके द्वारा प्रचार होने लगे । इसलिये मैं समझता हूं कि अब सफाई हो गयी और मैं समझता हूं कि इसको माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे ।

श्री जगन प्रसाद रावत---मैं तो इस सम्बन्ध में पहले ही कह चुका कि माननीय सदस्य जिन्होंने संशोधन दिया है उनकी शंकायें निर्मूल हैं और मैं संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (४) के बाद निम्न प्रतिबन्ध रख दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि राज्य सरकार किसी ऐसे फिल्मों के प्रदर्शन का आदेश जारी न कर सकेगी जो किसी राजनीतिक या धार्मिक पार्टी के प्रचार के लिये बनायी गयी हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ६

राज्य सरकार अथवा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कुछ मामलों में फिल्म का प्रदर्शन स्थगित करने का अधिकार । १९५२ की अधिनियम संख्या ३७ ।

६---(१) यदि राज्य सरकार अथवा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की, जैसी भी, दशा हो, राय हो कि किसी फिल्म से, जिसका सार्वजनिक प्रदर्शन हो रहा है, शांति भंग होने की संभावना है तो राज्य सरकार, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में, तथा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के अधीन जिले के सम्बन्ध में, आज्ञा देकर फिल्म के प्रदर्शन को स्थगित (Suspend) कर सकते हैं । तत्पश्चात् ऐसे स्थगन काल में राज्य, उसके भाग अथवा संबद्ध जिले के भीतर, सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट, १९५२ के अधीन दिये गये सर्टीफिकेट के होते हुये भी, फिल्म प्रदर्शित नहीं की जायगी ।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन कोई आज्ञा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार से भिन्न किसी अन्य लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दी जाय तो उसकी एक प्रति तत्सम्बन्धी कारणों के विवरण सहित उसके द्वारा राज्य सरकार को तुरन्त भेजी जायगी जो उस आज्ञा को पुष्ट अथवा उत्सर्जित (affirm or discharge) कर सकती है ।

(३) इस धारा के अधीन दी गयी स्थगन की आज्ञा, उसके दिनांक से दो मास तक प्रचलित रहेगी, किन्तु यदि राज्य सरकार की राय में उसका जारी रहना आवश्यक हो तो राज्य सरकार आदेश दे सकती है कि स्थगन आगे ऐसी अवधि तक, जिसे वह उचित समझे, बढ़ा दिया जायगा ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ के शब्द "सम्भावना है" के पश्चात् शब्द "अथवा जनता के नैतिक स्तर के गिरने का भय है" रख दिये जायं ।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि इसके पहले के संशोधनों के समय इस विषय पर काफी कहा जा चुका है । वैसे मुझे भय है कि कहीं बीच में बोलते हुये ही, श्री कृष्ण शरण जी आर्य इधर देख रहे हैं, क्लोजर न मूव कर दें क्योंकि ऐसे ही मुझे एक बार आज्ञा मिली बोलने के लिये, मैं खड़ा हुआ लेकिन मेरे कुछ कहने के पहले ही आपने क्लोजर मूव कर दिया और मुझे बैठ जाना पड़ा। इसलिये मैं कुछ ज्यादा इस सम्बन्ध में कहने का साहस भी नहीं कर रहा हूं । यह जरूर है कि अगर लाइसेंसिंग एथारिटी यह देखें कि वहां किसी तरह से उस फिल्म के प्रदर्शन से कोई ऐसे झगड़े का अन्देशा है तो उसे बन्द कर दे तो उसके साथ-साथ नैतिक स्तर के गिरने का भी भय जहां दिखलाई पड़े उसे भी वह बन्द कर दे क्योंकि कोई झगड़े वगैरह का अन्देशा हो उससे कोई कम महत्व की बात यह नैतिक स्तर के गिरने की नहीं है । और नैतिक स्तर पर जिन चल-चित्रों से प्रभाव पड़ता है गिरने का उनकी ओर सरकार और लाइसेंसिंग अथारिटीज को ध्यान देना चाहिये और नैतिक स्तर को उठाने के साधन मुहैया होने चाहिये साथ ही नैतिक स्तर को जो गिराने के साधन हैं उन्हें मिटाने का प्रयत्न करना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि हर फिल्म नैतिक स्तर को गिराने वाला होता है, लेकिन ऐसे भी फिल्म हैं जो सेंसर बोर्ड से पास हो चुके हैं, सर्टिफिकेट मिल जाता है लेकिन विशेष परिस्थितियों में वह नैतिक स्तर को गिराने वाले सिद्ध हुये हैं। ऐसी अगर परिस्थिति हो तो वैसे चित्रों को रोक देना चाहिये । इसका अधिकार सरकार के हाथ में या लाइसेंसिंग अथारिटीज के हाथ में रहे ताकि जो सिनेमा वाले हैं वह संशक्ति होकर वैसे फिल्म बनाने का प्रयत्न न करें । मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन असंगत नहीं है और इसमें सरकार के अधिकार को कम करने की बात नहीं है, बल्कि बड़ा करने की बात है। यह अवश्य है कि यहां पर अगर कोई संशोधन स्वीकृत हुआ तो विधान परिषद् में उसे ले जाना पड़ेगा लेकिन अगर उससे कोई सुधार होता हो तो कोई जल्दी भी नहीं है कि आज ही जो कुछ होना हो वह हो जाय वरना इसके लिये समय निकल जायगा तो उसका विधान परिषद् से सुधार हो सकता है ।

मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार करने योग्य है और स्वीकार होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह संशोधन का वाक्य जो आया है कि "जनता के नैतिक स्तर के गिरने का भय है" तो शांति का तो राज्य सरकार से सम्बन्ध है लेकिन "नैतिक स्तर गिरने से बचाने के हेतु" प्रान्तीय सरकार इस तरह का विधेयक बना सकती है या नहीं ? इस विषय पर मुझे जरा शंका है ।

श्री जगन प्रसाद रावत---यह तो केन्द्रीय सरकार ही जब फिल्म को सर्टिफाइ करती है तभी वह इस पर विचार करती है कि नैतिक स्तर गिरने का भय नहीं है। हम तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष---मैं तो समझता हूं कि इस विषय को अधिक देखने की बात है। माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य, मैं आपको मौका दूंगा कि आप किस तरह से कहते हैं कि यह प्रान्तीय सरकार के दायरे के बीच में है, यह बताये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---अब यह तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही स्वयं इस चीज का निर्णय कर दें, क्योंकि कांस्टीट्यूशन देखने की बात हो गयी और उससे सिद्ध करना यह समय की बात है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह संशोधन ऐसी अवस्था में अवैधानिक हो जाता है। इसलिये....

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जब लाइसेंस ग्रान्ट करने और कैंसिल करने का अधिकार दिया गया है तो यह कंडीशन लगाई जा सकती है लाइसेंस देने के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, इसमें निर्णय करने का सवाल है कि, "जनता के नैतिक स्तर के गिरने का भय है।" तो यह भय किसको है? सरकार को है। भय है कि नहीं इस बात के फैसले का, उसके सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार सरकार को नहीं है। फिल्म सेंसर बोर्ड को अधिकार केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार है। तो यह उस अधिकार के विपरीत जाता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---तो फिर केन्द्रीय सरकार यह नहीं तय करती कि इससे झगड़ा होने का अन्देशा है या नहीं?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, वह लाएंड आर्डर का प्रश्न है, प्रान्तीय सरकार इसको कर सकती है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---आपका निर्णय होने से पहले मैं दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---हां, कहिये।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उठाया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह का आदेश करने का अधिकार है या नहीं? मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसके खंड ७ को हम देखें तो उसीके आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकार ने भी अपने इस अधिकार को कबूल किया है, स्वीकार किया है। और किस तरह से खंड ७ के उपखंड (ग) में उस अधिकार को एक तरह से स्वीकार किया है हालांकि वह स्पष्ट नहीं है फिर भी उसको पढ़ने के बाद हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि सरकार को इस प्रकार का अधिकार है। वह इस प्रकार है :

"लाइसेंस प्राप्त स्थान की स्थिति में किसी भी परिवर्तन के हो जाने के कारण लाइसेंस जारी रहना शोभनीयता अथवा नैतिकता के लिये अहितकर (prejudicial to decency or

morality) समझा जाता है" इस प्रकार की परिस्थिति में अगर कोई सिनेमा है जहां पर किसी फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है और उस स्थान में कोई परिवर्तन हो जाता है और उसके कारण वह शोभनीयता और नैतिकता के गिराव की चीज कही जा सकती है तो सरकार उस लाइसेंस को निरस्त कर सकती है। तो जब सरकार ने ७ (ग) में यह रखा है कि यह हमारा अधिकार है तो मैं नहीं समझता कि सुरकार यह कह सकती है कि यह उनके जुरिस्डिक्शन की चीज नहीं है। तो खंड ७ के आधार पर....

श्री अध्यक्ष--आपने शब्द बता दिये, अब आप भाषण न दें। इसमें अंग्रेजी में है :

"On account of any changes occurring in the situation of the place licensed the continuance of the licence is considered prejudicial to decency or mora-lity."

और हिन्दी में है :

"लाइसेंस प्राप्त स्थान की स्थिति में किसी भी परिवर्तन के हो जाने के कारण लाइसेंस जारी रहना शोभनीयता अथवा नैतिकता के लिये अहितकर (prejudicial to decency or morality) समझा जाता है।" तो यह लाइसेंस के सम्बन्ध में है, फिल्म के सम्बन्ध में इसका कहीं जिक्र नहीं है। यह चीज बिल्कुल उससे अलग है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--सिद्धांत तो वही इन्वाल्वड है।

श्री अध्यक्ष--सिद्धांत भी तो अलग हो गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपका ध्यान विधान के आर्टिकल २४६ (२) की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसके अनुसार जो कान्करेन्ट लिस्ट है उसमें स्टेट और सेन्टर दोनों को विधान बनाने का अधिकार है। तो उसके सम्बन्ध में जो शेडयूल VII है उसके आइटम नम्बर २०,२३ और २८ इन तीनों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें एक तो एकोनामिक और सोशल प्लानिंग और दूसरे सोशल सिक्योरिटी ऐंड सोशल इंश्योरेन्स और तीसरे चैरिटीज इन चैरिटेबुल इंस्टीटच्यूशन्स, चैरिटैबिल रेलिजस एन्डाउमेंट्स ऐंड रेलिजस इंस्टीटूयूशन्स। तो सामाजिक जब हम नियोजन करते हैं तो फिर सामाजिक नैतिकता के ऊपर भी हम नियोजन कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--वह तो जनरल बात आप कह रहे हैं। आपको इस लिस्ट में यह देखना है सिर्फ यह बात है कि इसको स्वतः आप इस बेसिस पर करें या जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कल कहा था कि दो हिस्से इसके हो गये कि कुछ अधिकार केन्द्रीय सरकार ने अपने पास रख लिये हैं इस शिडयूल के अनुसार, वह आइटम मुझे मिल नहीं रहा है। वह देखकर मैं कल फैसला दूंगा। यह देखिये कि कौन-सा अधिकार केन्द्रीय सरकार ने किस आइटम के अनुसार अपने पास सुरक्षित रखा है और कौन-सा अधिकार स्टेट लिस्ट में है। अगर आप जनरल वैलफेयर की बात को मिलाना चाहें तो वह चीज ठीक नहीं होगी। अगर इसमें स्पष्ट दिया है कि सिनेमाटोग्राफ के लिए अधिकार किसी बात में केन्द्र को है तो फिर आप जनरल बात नहीं उठा सकते हैं और प्रांतीय विधान सभा को यह अधिकार नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि

[श्री अध्यक्ष]

इस विषय पर फिर से विचार कर लिया जाय। मंत्री जी से भी मैं कहूंगा कि उनके जो कानूनी सलाहकार हैं, उनसे सलाह लेकर वह कल इस विषय पर प्रकाश डालने की कृपा करें।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ५९ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

राधेरमण सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
७ दिसम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६६ पर)

सन् ५३–५४ तथा सन् ५४–५५ में बस्ती जिले में प्लानिंग विभाग की ओर से पानी पीने के कुओं के लिये दी गई सहायता की तहसीलवार सूची।

तहसील का नाम	पानी पीने के नये एवं मरम्मत वाले कुओं की स्वीकृत संख्या	उन कुओं की संख्या जो अपूर्ण हैं, जिनका अधूरी सहायता मिली है	उन कुओं की संख्या जो पूर्ण हो कर पूर्ण अनुदान प्राप्त कर चुके हैं।
१	२	३	४
	सन् १९५३–५४		
खलीलाबाद ..	३	२	१
डुमरियागंज ..	१	१	०
बस्ती ..	१	१	०
बांसी ..	१	१	०
हर्रैया ..	५	२	१
	सन् १९५४–५५		
खलीलाबाद ..	१०२	१०३	५
बांसी ..	४५४	१५४	१२
बस्ती ..	८९	८१	२
हर्रैया ..	८३	६६	२
डुमरियागंज ..	१२३	४३	०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७३ पर)

सन् १९५४–५५ के द्वितीय वर्ष में जिला नियोजन समिति, मथुरा के वैयक्तिक लेखन उपलब्ध प्राप्त एवं व्यय किये गये धन का विवरण

जिला मथुरा

क्रम-सं०	नाम ग्रान्ट	१–४–५४ को उपलब्ध धन	१–४–५४ से ३१–३–५५ तक प्राप्त धन	योग	व्यय जो १–४–५४ से ३१–३–५५ तक हुआ	३१–३–५५ को अब शेष धन	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
		रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	
१	स्थानीय विकास कार्य के लिये प्राप्त अनुदान ५३–५४	८,६८,६२२–०–०	..	८,६८,६२२–०–०	६६,१०३–६–०	२०,७५८–१०–०	

पंचायत घर	५,४५०–०–०
गाँधी चबूतरा	६७१–०–०
बीज गोदाम-भवन	२८,५००–०–०
कुआं जू० हा० स्कूल	७,७२९–०–०
स्कूल भवन	५,०००–०–०
पक्की सड़क	९,४३७–११–०
पुलियां	१३०–११–०
खरंजा	१,९६१–०–०
तालाबघाट	४,१२४–०–०
पानी पीने के कुएँ	३,१००–०–०
योग ..	६६,१०३–६–०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२	स्थानीय विकास कार्य के लिये प्राप्त अनुदान ५४–५५	५०,०००–०–०	..	५०,०००–०		२५,७११–६–०	२४,२८८–१०–०
					पंचायतघर	१२,९६५–१०–०	
					गांधी चबूतरा	३,९६१–१२–०	
					कुल मरम्मत स्कूल	१३४–०–०	
					स्कूल भवन	४,८००–०–०	
					कैंटिल पूल	१७५–०–०	
					सड़क पक्की निर्माण	३००–०–०	
					पुलियां	४२५–०–०	
					खरंजा	२,१५०–०–०	
					तालाब घाट	८००–०–०	
					योग ..	२५,७११–६–०	
३	ऐच्छिक कार्यों के लिये अनुदान	४७,१५३–१३–३	३०,०००–०–०	७७,१५३–१३–३		५६,९८०–१५–९	२०,१७२–१३–६
					पुल	५,०००–०–०	
					पंचायत घर	१०,७९१–०–०	
					ह्यूम पाईप	८,४८८–७–०	
					जू० हा० स्कूल भवन	३,०००–०–०	
					बीज गोदाम भवन	९,५००–०–०	
					खड़ंजा	२,९५०–०–०	
					कुआँ	२,२८४–८–०	
					पक्की सड़क निर्माण	१,२००–०–०	
					गांधी चबूतरा	८७५–०–०	
					पुस्तकालय भवन	४००–०–०	
					पुलियां	४७०–०–०	
					विविध	१२,०२२–०–०	
						५६,९८०–१५–९	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमसं०	नाम ग्रान्ट	१-४-५४ को उपलब्ध धन	१-४-५४ से ३१-३-५५ तक प्राप्त धन	योग	व्यय जो १-४-५४ से ३१-३-५५ तक हुआ	३१-३-५५ को अब शेष धन	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
		रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	
४	हरिजन कूप निर्माण (पानी पीने का)	१६,०७६-०-०	,४४५-०-०	२०,५२१-०-०	६,६२५-०-०	१३,८९६-०-०	
५	हरिजन घर निर्माण	,९००-०-०	१,५००-०	४, ००-०-०	२,२ ०-०-०	,२००- -०	
६	हरिजन उत्थान	१,५६६-४-३	१४०-०-	१,७०६-४-३	१,४३७-१२-०	२६८-८-३	
७	फिजिकल ... वर	१,३६२-८-३	१,०३६-१२-०	२,३९९-४-३	२,०४१-४-६	३५७-१५-९	
८	...साना ड्रेन	९,०००-०-०		९,०००-०-०		९,०००-०-०	
९	व्यायामशाला	..	४००-०-	४००-०-०	२००-०-०	२००-०-०	
१०	सार्वजनिक शौचालय	..	५००-०-	५००-०-०		५००-०-०	
११	सामूहिक बन संस्थापन	२९,५९९-०-६	६३,००८-१३-९	९२,६०७-१४-३	४९,८७५-७-६	४२,७३२-६-९	
१२	पानी पीने का प्रबन्ध	..	२,००,०००-०-०	२,००,०००-०-०	२,०७५-०-०	१,९७,९२५-०-०	
	योग ..	१,९४,५१९-१०-३	३,११,०३०-..-९	५,४५,५५०-४-०	२,१३,२५०-३-९	३,३२,३००-०-३	

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७३ पर)

सन् ५२–५३ एवं ५३–५४ में तहसील छाता में हुये विकास कार्यों का विवरण केवल जो श्रमदान एवं पंचायत के धन से सम्पन्न हुआ।

वर्ष	नाम विकास कार्य	व्यय धनराशि	श्रमदान योग	विशेष विवरण
१	२	३	४	५ ६
		रु०	रु०	
५२–५३	३ मील सड़क निर्माण कच्ची ..	..	६,०००	
	२ मील ३ फ० मरम्मत सड़क कच्ची	..	१,८००	
	१६६ कम्पोस्ट पिट	..	३३२	
	१२५ सोख्ते	..	३०	
५३–५४	१०० लालटेन ..	१,००२–८–०		
	१४ गांधी चबूतरा ..	७,६५०		
	५०० गज खरंजे ..	५००		
	५५ मी० ७ फ० १७० ग० कच्ची सड़क निर्माण ..	..	४८,४८२	
	२० मी० ४ फ० कच्ची सड़क की मरम्मत ..	..	६,००६	
	१,६६५ गढे तथा ५,६२६ खाईयां वृक्षा-रोपण ..	..	१०,३६०	
	८०७ कम्पोस्ट पिट		१,२८०	
	६४ सोख्ते		२०	
	६ तालाब गहरे किये गये		६००	
	१ पुलिया		१५०	
	१ क्रीड़ा-स्थल		२०	

नोट —शासकीय अनुदान से कोई धन इन वर्षों में प्रयोग नहीं किया गया है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७५ पर)

राष्ट्रीय प्रसार ब्लाक जो २ अक्टूबर, १९५५ को खोले गये हैं, उनकी सूची

१—गंगोह, जिला सहारनपुर

२—पिलाना, जिला मेरठ

३—जावान सिकन्दरापुर, जिला अलीगढ़

४—नोझील, जिला मथुरा

५—फरीदपुर, जिला बरेली

६—जलालपुर, जिला बिजनौर

७—अमरोहा, जिला मुरादाबाद

८—रामपुर, जिला जौनपुर

९—बेरूअर बारी, जिला बलिया

१०—दोहरीघाट, जिला आजमगढ़

११—जोशीमठ (पेनखान्डा), जिला गढ़वाल

१२—भटवारी (तकनोर बरहट) जिला टेहरी-गढ़वाल

१३—सुमेरपुर, जिला उन्नाव

१४—सांडी, जिला हरदोई

१५—मिटोली, जिला खीरी

१६—मसोधा जिला, फैजाबाद

१७—भारसपुर, जिला गोंडा

१८—महीमपुरवा जिला, बहराइच

१९—भवानीगंज कोटा, जिला प्रतापगढ़

२०—धरगला, जिला अलमोड़ा ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

जिले का नाम	महिलाएं जो भरती हुयीं	अनुसूचित जाति की महिलायें
१	२	३
१—देहरादून	४	..
२—सहारनपुर	१	..
३—मेरठ	१	..
४—बुलन्दशहर	१	..
५—अलीगढ़	१	..
६—मथुरा	..	..
७—आगरा	३	..
८—बरेली	२	..
९—मुरादाबाद	१	..
१०—शाहजहांपुर	१	..
११—पीलीभीत	१	..
१२—इटावा	२	..
१३—कानपुर	६	..
१४—झांसी	२	..
१५—हमीरपुर	१	..
१६—बलिया	२	१
१७—गोरखपुर	६	..
१८—बस्ती	..	..
१९—आजमगढ़	१	..
२०—देवरिया	५	..
२१—नैनीताल	२	..
२२—अलमोड़ा	१	..
२३—गढ़वाल	१	..
२४—सीतापुर	२	..
२५—खीरी	१	..
२६—फैजाबाद	१	१
२७—सुल्तानपुर	१	..
२८—बाराबंकी	..	..
२९—बनारस	१०	..
३०—लखनऊ	५	..
योग	.. ६५	२

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८५ पर)

सूची

१—१९५४ ई० में कासीमाबाद विकास यो ना के अन्तर्गत यूसुफपुर से कासिमाबाद तक केवल एक सड़क बनी जो कि १४ मील लम्बी है ।

२—निम्नलिखित सड़कें विकास योजना के धन से पक्की बनाई जा रही हैं—

सड़क	लम्बाई
१—कासिमाबाद से पारा ..	१० मील
२—कासिमाबाद से मरदह ..	८ मील
३—गंगोली से जिला बोर्ड की सड़क तक ..	आधा मील
४—बोरी से जिला बोर्ड की सड़क तक ..	१ मील

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८८ पर)

गेहूं की खरीदारी की मंडियों की सूची

जिला	मंडियों के नाम	जिला	मंडियों के नाम
मेरठ रीजन		**कानपुर रीजन**	
मेरठ	मेरठ	जालौन	उरई
	हापुड़		कोंच
	बड़ौत		कालपी
	गाजियाबाद	झांसी	झांसी
मुजफ्फर नगर	मुजफ्फर नगर		चिरगांव
	शामली		ललितपुर
	खतौली	फतेहपुर	फतेहपुर
सहारनपुर	सहारनपुर		त्रिदकी
	रुड़की	हमीरपुर	कबरई
	देवबन्द		महोबा
	रामपुर मनिहारन		मौदहा
बुलन्दशहर	बुलन्दशहर		भरवा सुमेरपुर
	खुर्जा	बांदा	बांदा
	डिबाई		करवी
	गुलौठी		अटारा
आगरा	आगरा	इटावा	इटावा
एटा	कासगंज	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद
	गंजडुन्डवारा		कायमगंज
मैनपुरी	मैनपुरी	कानपुर	पोखरायां
अलीगढ	अलीगढ	**बनारस रीजन**	
	हाथरस	गोंडा	गोंडा
	सिकन्दरारात्र		बलरामपुर
लखनऊ रीजन		बहराइच	बहराइच
हरदोई	हरदोई		नानपारा
	माधवगंज		पयागपुर
	संडीला		रूपैढ़िया
	शाहाबाद		
	बालामऊ		
रामपुर	रामपुर	बदायूं	उझानी
			बबराला
			बदायूं
		बाराबंकी	बाराबंकी
			सफदरगंज
		शाहजहांपुर	शाहजहांपुर
			तिलहर

जिला	मंडियों के नाम
सीतापुर	सीतापुर
	सिधौली
मुरादाबाद	मुरादाबाद
	कांठ
	अमरोहा
	चंदौसी
	सम्भल
	बहजोई
	धनौरा
नैनीताल	काशीपुर

जिला	मंडियों के नाम
बरेली	बरेली
	आंवला
उन्नाव	बांगरमऊ
बिजनौर	नगीना
	चांदपुर
	कीरतपुर
लखीमपुर	लखीमपुर
	गोलागोकरननाथ
पीलीभीत	पीलीभीत
	पूरनपुर

जवर की खरीदारी की मंडियों की सूची

कानपुर रीजन	
जालौन	उरई
	कोंच
	कालपी
झांसी	झांसी
	चिरगांव
	ललितपुर
	मऊरानीपुर
बांदा	बांदा
	करवी
	अटारा
हमीरपुर	भरवासुमेरपुर
	महोबा
	मौदहा

चने की खरीदारी की मंड़ियों की सूची

कानपुर रीजन	
बांदा	बांदा
	करवी
हमीरपुर	कबरई
बनारस रीजन	
बहराइच	रूपैड़िया

गुड़ की खरीददारी की मंडियों की सूची

मेरठ	
मेरठ	हापुड़
	मेरठ
	बरौत
	मवाना
मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर
	शामली
बुलन्दशहर	सियाना
	बुलन्दशहर
	गुलौठी
सहारनपुर	सहारनपुर
पीलीभीत	पीलीभीत

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१६१ एल० ए०—१९५६—७९६ ।